खण्ड-288, अंक-4
गुरूवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1893
(25 मार्च, 1971 ई0)

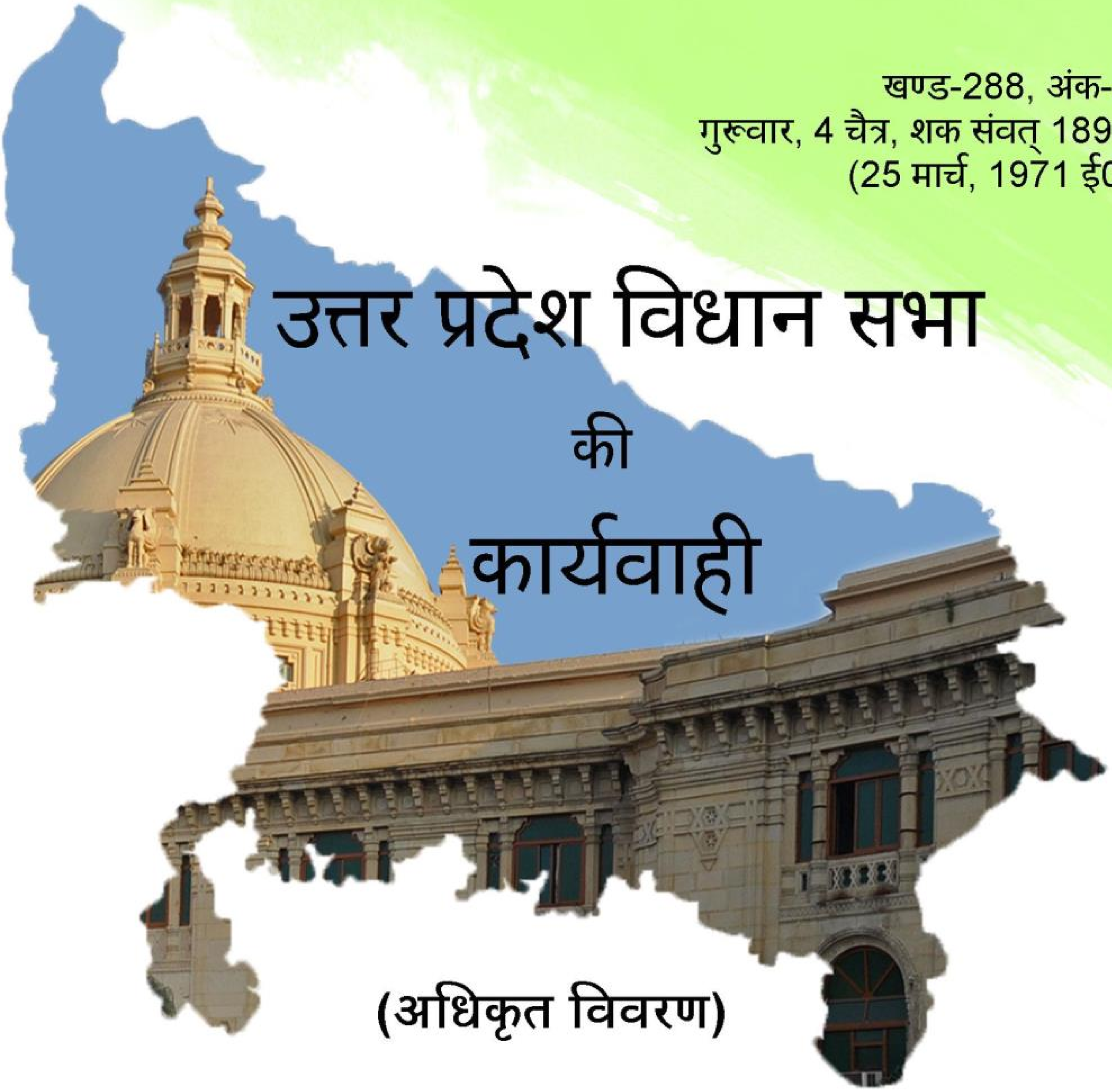

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	२२३–२२७
श्री रियासत हुसैन द्वारा व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	२२८
प्रश्नोत्तर	२२८–२५०
श्री रियासत हुसैन द्वारा व्यवस्था का प्रश्न	२५०
श्री उदित नारायण द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	२५०–२५१
श्री इन्द्र लाल द्वारा ३ जून, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न ५ के सम्बन्ध में राजस्व उप मंत्री का शोधन वक्तव्य	२५२
श्री शम्भू नाथ चौधरी द्वारा २८ मई, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न ५ के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का शोधन वक्तव्य	२५२–२५३
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा दी गयी) ..	२५३–२५४
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	२५४–२९९
नियम ५१ तथा कार्यस्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनायें	२९९
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	३००–३०४
नत्थियां	३०५–३०६

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३९७

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयाला सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपयी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त ,श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनरायन मणि, श्री
दुर्जन श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर,
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म दत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
तत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह, विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मशाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
रजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री

राम अवध ,श्री
रामकरन श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरन, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल, सहायक श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल श्री
रामप्यारे ,श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति, 'अंचल' श्री
रामरतन,श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालसा, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री

शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह बानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा , श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह ,राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र तथा राजस्व मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

श्री रियासत हुसैन द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन् इससे पहले कि आप सदन की कार्यवाही शुरू करें मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आज समाचार पत्रों में यह छपा है कि कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स ने अपोजिशन बेन्चेज ज्वाइन कर ली है। जो नियम है उसमें डिप्टी मिनिस्टर भी मिनिस्टर के बराबर होता है। मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर ने ओथ आफ सिक्रेसी ली थी ट्रेजरी बेन्चेज में बैठने की। आज आपोजिशन बेन्चेज ज्वाइन कर ली।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न इस वक्त नहीं उठाया जा सकता। यह प्रश्नों के बाद उठायें।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९७१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनेरगांव की भूमि पर अवैध कब्जा

*१---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में तहसील रानीखेत पट्टी पल्ला आठागुली के ग्राम पनेरगांव आदि की कितनी बंजर भूमि सार्वजनिक स्थानों की व्यक्तिगत लोगों ने आबाद कर ली है? क्या इस बेजा आबादी को रोकने का कोई प्रबन्ध सरकार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

राजस्व उपमन्त्री (श्री रामबचन यादव)---

जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत, पट्टी पल्ला, आठागुली के ग्राम पनेरगांव व चैक-अलिया की लगभग ३८ नाली बंजर बेनाप भूमि पर सात व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर लिया था। नाजायज कब्जेदारानों को उक्त भूमि पर से बेदखल किया जा चुका है।

श्री इन्द्र लाल---

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को तो बेदखल कर दिया है लेकिन सरकार के नोटिस में यह चीज कब आयी, किस तारीख को बेदखल किया और जिनको बदखल किया उनके नाम क्या हैं?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीप नारायण मणि)---

यह सूचना जून में मालूम हुई और उसके बाद लेखपाल नें रिपोर्ट की और यह कार्यवाही की गयी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया था उसका कितना रकबा था और जिस जमीन से बदखल कर दिये गये वह जमीन आजकल किसके कब्जे में है?

श्री दीपनारायण मणि--

आजकल वह भूमि गांव सभा के कब्जे में है और बेदखल २७ दिसम्बर को किये गये थे ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

जो जमीन बेदखल कर दी गयी है उस पर फसल लगी हुई है ? वह फसल किस की होगी यह माननीय मंत्री जी कृपया बतलायें ?

श्री दीपनारायण मणि--

इसकी सूचना नहीं है, नोटिस चाहिए ।

श्री इन्द्रलाल--

अगर सूचना नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानकर.....

(इस समय ट्रेंजरी बेन्चेज के कुछ माननीय सदस्य विरोध पक्ष में आकर बैठ गये ।)

(व्यवधान)

श्री राम मूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपने विवेक पर है जो व्यक्ति जहां चाहे बैठे । सदस्यों को इस तरह अपना विवेक और धैर्य नहीं खोना चाहिये ।

(मेजें पीटी गईं--व्यवधान ।)

मान्यवर, आप माननीय सदस्यों से कहें कि वे धैर्य और विवेक न खोएं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर.,...

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इन्होंने गोली चलवाई है । इन्होंने मासूम लोगों पर गोली चलवाई है । इस सरकार को नहीं रहना चाहिये ।

(इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाये गये ?)

श्री अध्यक्ष--

आप शान्त रहें, नहीं तो हाउस एडजर्न करना पड़ेगा ।

श्री चैतराम गंगवार--

इस सरकार के ३ मन्त्री इधर आ गये हैं । कोई नैतिक स्तर न होने के कारण इस सरकार को नहीं रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय इन्द्र लाल जी ।

(व्यवधान)

आप चुप नहीं होते हैं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं। (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

ये लोग दल बदली को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दल बदली को प्रोत्साहन देने के लिये ये इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं और इन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई है। आज उनका बहुमत है सेन्ट्रल गवनमेंट में इसलिए वे इस प्रकार के नियम बनाएं ताकि दल बदली न हो।

श्री इन्द्रलाल—

वहां पर बेदखली की गई है परन्तु वहां पर फसल भी खड़ी हुई है और लोग उस पर कब्जा भी बनाए हुए हैं। क्या इसमें लेखपाल तथा और लोग मिले हुए नहीं है ?

श्री दीप नारायण मणि—

इसमें कोई कर्मचारी सम्मिलिति नहीं है। लेखपाल एक-तिहाई गांवों की परताल करता है। तो जिस गांव का जिक्र किया जा रहा है वह लेखपाल की परताल में सम्मिलित नहीं हुआ होगा। आप कहते हैं कि वहां पर फसल खड़ी है, इसकी हम जांच करवायेंगे।

श्री इन्द्रलाल—

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्हें यह मालूम हो गया था कि वहां पर नाजायज कब्जेदारान हैं तो फिर सदन में इस प्रश्न के उठने से पूर्व बेदखली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री दीपनारायण मणि—

जो गांव उस समय पड़ताल में नहीं थे वहां पटवारी नहीं गये। जब प्रश्न किया गया, तो यह कार्यवाही हुई।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

उस जमीन पर उन लोगों के बने हुए मकानों को भी बेदखली के समय क्या गिरवा दिया गया?

श्री दीपनारायण मणि—

उन लोगों ने खेती के लिये जमीन पर कब्जा किया था, यह सूचना है। इसके अतिरिक्त कोई सूचना मकान आदि की नहीं है।

कानपुर में गांव सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों का नाम जिमिन ४ में दर्ज करना

*२—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर) तथा श्रीमती सरस्वती देवी (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि १२ जून, १९६८ से १२ दिसम्बर, १९६८ के मध्य में कानपुर तहसील के सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल सिटी ने गांव सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वाले कितने व्यक्तियों के नाम जिमिन ४ में दर्ज किये और उससे लगान की आय को कितना घाटा हुआ तथा जिन व्यक्तियों के नाम जिमिन ४ में दर्ज किये गये उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के लिये उपरोक्त समय के मध्य में सुपरवाइजर कानूनगो ने कितनी रिपोर्ट की ?

श्री राम वचन यादव—

१२ जून, १९६८ से १२ दिसम्बर, १९६८ के मध्य में कानपुर तहसील के सुपरवाइजर कानूनगो सिटी ने गांव सभा की भूमि पर एक व्यक्ति का नाम अनधिकृत कब्जा करने के कारण जिमिन ४ में दर्ज किया था। अनधिकृत कब्जा करने से लगान की आय को घाटा होने का प्रश्न नहीं उठता है।

बेदखली की कार्यवाही के लिये कोई रिपोर्ट उक्त समय के मध्य में सम्बन्धित सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि उनका स्थानान्तरण पड़ताल के तुरन्त बाद ही हो गया था। परवर्ती सुपरवाइजर कानूनगो ने इसकी रिपोर्ट की जिस पर बेदखली की कार्यवाही हो रही है।

श्री उपेन्द्रनाथ —

माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया कि एक आदमी का नाम दर्ज है जब कि वास्तविकता यह है कि ९ आदमियों का नाम दर्ज है, तो क्या यह सही है ?

श्री दीपनारायण मणि—

जहां ९ आदमियों के नाम दर्ज होने की बात है, वह जमीन नगरपालिका के अन्दर है।

श्री उपेन्द्रनाथ—

जब सिटी कानूनगो को जिमिन ४ में दर्ज करके उसके अन्तर्गत बन्द करने का अधिकार नहीं है तो उसने यह कार्यवाही गलत क्यों की और क्या इस गलत कार्यवाही करने के लिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री दीपनारायण मणि—

जब कानूनगो पड़ताल के लिये जाता है तो वह नियम के अन्तर्गत दर्ज करता है, इसलिये सजा देने का कोई सवाल नहीं है।

श्री उपेन्द्रनाथ—

यह प्रश्न १३-१२-७० को स्थगित किया गया था। उस समय जो उसका उत्तर आया था वह गलत था। तो क्या उस गलत उत्तर भेजने के लिये जिलाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

श्री दीपनारायण मणि—

प्रश्नों का उत्तर मंगाने के लिये १५ दिन का समय मिलता है। उस समय में पूरी सूचना नहीं मिल पाती। फिर २०-२० सवाल एक-एक विभाग के आते हैं। अब अगर कहीं किसी की गलती बताई जायेगी तो देखा जायेगा।

श्री उपेन्द्रनाथ—

२३-१२-७० को जो सूचना आयी थी वह गलत भेजी गयी थी, तो उस गलत सूचना भेजने के कारण क्या मंत्री जी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिसने पहले गलत सूचना भेजी थी ?

श्री दीपनारायण मणि—

देख लिया जायेगा।

जिला पिथौरागढ़ के ग्राम क्वीटी मुन्स्यारी में पशु सेवा केन्द्र की स्थापना

*३—श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि पिथौरागढ़ के ग्राम क्वीटी मुनस्यारी में एक पशु सेवा केन्द्र खुला है।

सहकारिता उपमंत्री (श्री महीलाल)—

जी हां।

*४—श्री गोपाल दत्त—

क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम क्वी ी की जिस भूमि में पशु सेवा केन्द्र खुला है उस भूमि का विभाग के नाम रजिस्ट्रेशन हो गया है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री महीलाल—

जी नहीं। अभी उक्त भूमि की रजिस्ट्री विभाग के नाम नहीं हो पायी है। परन्तु यह निर्णय ले लिया गया है कि कथित भूमि के लिये भूस्वामी को उचित कीमत दे दी जाय और तत्काल रजिस्ट्री की कार्यवाही कर ली जाय। शासन को खेद है कि यह मामला अभी तक अनिर्णीत रहा।

श्री गोपालदत्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो पशु सेवा केन्द्र का भवन है, वह जबरदस्ती दूसरे की जमीन पर कैसे बनाया गया है ?

श्री महीलाल—

जिसकी यह जमीन थी, उससे मौखिक रूप से बात हो गई थी और उससे आश्वासन मिल गया था, इसीलिये उस पर निर्माण करा लिया गया है।

श्री गोपाल दत्त—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस जमीन पर यह पशु सेवा केन्द्र बनाया गया है, यानी जिस अधिकारी ने बिना मर्जी के यह भवन बनाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

यह बिना उसकी अनुमति के नहीं बनाया गया है। यह जरूर है कि कुछ रुपये के लेन-देन के बारे में उसके मालिक और सरकार के बीच अन्तर था। इसलिये यह देर अब तक हुई है।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

सरकार के पास क्या सबूत है कि मालिक की स्वीकृति ली गई थी ?

श्री महीलाल—

जिला अधिकारी की रिपोर्ट यह है जमीन का मालिक १५०० रुपये चाहता था जब कि शासन की नीति के अनुसार उसका मूल्य १२६६ रुपये बनता था और ३० रुपये इस पर रजिस्ट्री का लगता था। इसीलिये थोड़ा सा विवाद था। अब जिलाधिकारी ने यह आशा दिलाई है कि यह मामला जल्दी ही निपट जायगा।

श्री गोपालदत्त---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र के नजदीक की जमीन का मूल्य क्या है ?

श्री मही लाल---

हो सकता है कि जिस समय १९५९ में यह जमीन ली गई थी, उस समय मूल्य और कुछ रहा हो, और इस समय और कुछ हो। इसलिये निश्चित रूप से इसका उत्तर देने के लिये समय की आवश्यकता है।

१९६९-७० में गन्ने का उत्पादन

*५---श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन १९७० के सीजन में कितना गन्ना पैदा हुआ था तथा अनुमान कितना था ?

श्री महीलाल---

कृषि निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष १९६९-७० में समस्त प्रदेश में लगभग ६०६·७९ लाख मी० टन गन्ने की उपज अनुमानित थी। वास्तविक उपज के आंकड़े अप्राप्त हैं।

प्रदेश में चीनी मिलों की सुरक्षित क्षेत्रों में ४६४ लाख मी० टन गन्ने के उत्पादन का अनुमान था और फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर ४७४.०९ लाख मी० टन गन्ने का उत्पादन हुआ।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना गन्ना किसानों का खेत में खड़ा रह गया जिस मिल मालिकों ने नहीं लिया ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सही मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि एक चौथाई यानी डेढ़ सौ मीट्रिक टन गन्ना खड़ा रह गया जिससे कृषकों को ५० करोड़ रु० का नुकसान हुआ है ?

श्री महीलाल---

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा विस्तृत है। कुछ तो ऐसा एरिया होता है जो शुगर फैक्टरी का सुरक्षित होता है और कुछ फ्री होता है। दोनों क्षेत्रों से फक्टरी में गन्ना आता है। माननीय सदस्य के प्रश्न से स्पष्ट नहीं है कि वह कौन से क्षेत्र क बारे में कह रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रिजर्व एरिया की जांच उनके सुझाव के मताबिक करवा ली जायगी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों का जो सट्टा हुआ था वह कितने क्विन्टल का सट्टा किया गया था और वह सट्टा पूरा किया पेराई में या नहीं ?

श्री महीलाल—

मूल प्रश्न यह था कि १९७० के सीजन में कितना गन्ना पैदा हुआ था तथा अनुमान कितना था। मान्यवर, बड़े विस्तार का प्रश्न है इसलिये सूचना की आवश्यकता है।

(इस समय ११ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

[दिनांक २५ मार्च, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला अल्मोड़ा के विकास क्षेत्र द्वारा हाट का विद्युतीकरण

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट विकास क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

विद्युत उपमंत्री, (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

द्वारा हाट के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। आशा है कि कार्य वित्तीय वर्ष १९७१-७२ तक पूरा हो जायेगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितनी ऐसी योजनायें हैं जिन में बिजली देने की योजना बनायी गयी है, और कितनी ऐसे योजनायें हैं जो लगभग २-३ साल से इसी प्रकार ठप पड़ी हुई हैं?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जिन योजनाओं का वर्णन किया है कहीं योजना इसमें ठप नहीं है। स्पेसिफिक आप बतायें तो बता दूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत क्या जिला गढ़वाल को भी विद्युत दी जायगी?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसमें योजना नहीं है, द्वारा हाट चिलियाना नाला की योजना है।

(इस समय ११ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—

श्री रामगोपाल संड, प्रश्न संख्या ३।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, एक पूरक प्रश्न था उसका उत्तर देने वाले थे मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष—

आप रिपीट कर दीजिये। मैं उस समय मौजूद नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह—

मेरा प्रश्न यह था कि इस योजना के अन्तर्गत द्वाराहाट विकास क्षेत्र में विद्युत् व्यवस्था की जा रही है इसके अन्तर्गत जो योजना है उसमें गढ़वाल जिले को भी बिजली देने की कोई योजना है?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

मैंने पहले बतला दिया कि इस योजना में सिर्फ रानीखेत के निकट जो योजना चल रही है द्वाराहाट की वह है। प्रश्न यह है कि क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट विकास क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था करने जा रही है? वह मैंने बता दिया। आप गढ़वाल जिले के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। यह तो योजना देखने की बात है।

*२---श्री रामगोपाल सण्ड---

[२रें शुक्रवार के ता० प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड विकास सम्मेलन में लिये गये निर्णय

*३---श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या राज्य सरकार ने बुन्देलखंड के विकास के लिये १२ दिसम्बर, १९७० को एक सम्मेलन लखनऊ में किया था? यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये और इन निर्णयों को कब तक लागू कर दिया जायगा?

श्री महीलाल---

जी हां, ११ दिसम्बर, १९७० को लखनऊ में एक बुन्देलखंड विकास सम्मेलन हुआ था जिसमें लिये गये मुख्य निर्णय यह थे--

१---सूखी खेती (Dry Farming) पर अनुसंधान को सघन किया जाय और सुधरे हुये सूखी खेती के तरीकों का विस्तार किया जाय।

२---कृषि आधारित उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाया जाय।

३---खनिज विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खनन् व भूगर्भ सर्वे व्यापक रूप से किया जाय।

४---क्षेत्रीय विकास (Area Development) के आधार पर सम्यक विकास (Integrated Development) की योजनायें बनाई जायें जिनमें प्राकृतिक साधनों, अवस्थापना (Infra-structure) जन शक्ति इत्यादि के सर्वोत्तम उपयोग का पूरा ध्यान रक्खा जाय।

५---तुरन्त फल देने वाली परियोजनाओं (Schemes) को प्रीयारिटी दी जाय।

६---बुन्देलखंड की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन व उनके हल के लिये सुझाव देने के लिये कार्यकारी दल बनाये जायें जो क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुये योजना की प्राइरिटी में बदलने के भी सुझाव दे सकेंगे।

७---विकास योजनाओं को अमल में लाने के लिये अतिरिक्त साधनों को इकट्ठा किया जाय।

८---कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध किया जाय।

९---ग्राम विद्युतीकरण का विस्तार किया जाय।

उक्त सभी निर्णयों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है। जैसे-जैसे साधन और सुविधायें उपलब्ध होती जावेंगी इन सुझावों के ऊपर अमल करने का प्रयास किया जावेगा।

श्री रामगोपाल सण्ड---

इस समिति ने ९ संस्तुतियां की थीं बुन्देलखंड का विकास करने के लिये। उत्तर में यह कहा गया है कि साधन की सुविधायें जैसे-जैसे उपलब्ध होंगी राज्य सरकार उन योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने इस योजना को सफल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई मांग पत्र दिया था और साधन के लिये रुपया मांगा गया तो फिर कोई पत्र लिखा गया होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको सदन को पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही है कि बुन्देलखंड के लिये नहीं बल्कि पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के जो पिछड़े हुए एरियाज हैं उनके लिये सरकार ने और मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र से १ सौ करोड़ रुपये की मांग की है और उसके लिये पत्र लिखा है जिससे इन पिछड़े इलाकों में ये कार्य किये जा सकें लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। जहां तक सदन के पटल पर रखने का प्रश्न है यदि समय दिया जायगा तो वह रख दिया जायगा, इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री रामगोपाल संड---

इस सम्बन्ध में स्वयं मुख्य मंत्री जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री चौहाण साहब से मिले थे और चौहाण साहब ने उनको कोई आश्वासन दिया था कि पिछड़े हुये प्रदेश के लिये कोई धनराशि देंगे ? यदि हां, तो उसको माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

मिले थे और पत्र भी लिखा था और रुपया मांगा भी था लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जब उस तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं मिला और प्लान चाक आउट करके विभागों को कार्यवाही के लिये भी भेज दिया तो क्या उसे कार्यान्वित करने के लिये अलग से धनराशि बजट में से निकाल कर रखी गयी है या ऐसे ही कागजी कार्यवाही की गयी है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही है कि इन पिछड़े इलाकों का विकास पूर्णरूप से तब तक संभव नहीं है जब तक कि केन्द्र से सहायता न मिले लेकिन तब भी प्रदेश की सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि इसके लिये ही तीन डेवलपमेंट कारपोरेशन बना है बुन्देलखंड, हिल एरियाज और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये और पिछले साल के बजट में कारपोरेशन के लिये कुछ फंड भी एलाट हुआ था और यह फंड कारपोरेशन को दे दिया गया है और यह भी कह दिया गया है कि वह और जगहों से भी पैसा प्राप्त करने की कोशिश करे।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड, पर्वतीय अंचल और पूर्वी जिलों के विकास के लिये तथा एक विकास की योजना बनाने के लिये क्या सरकार कोई विशेष आयोग गठित करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

गोंडा जिले के गैर-कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई

*४—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जुलाई, १९७० से लेकर ७ दिसम्बर, १९७० तक गोंडा जिले में बिजली सप्लाई कितने घं ७ बजे सुबह से लेकर ७ बजे शाम तक गैर कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रों में दी गई है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

गोंडा जिले के गैर कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रों में १ जुलाई, १९७० से ७ दिसम्बर, १९७० तक ७ बजे सुबह से ७ बजे शाम तक कुल १९२० घंटों में औसत रूप में १५४४ घंटे विद्युत् दी गई ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १९२० घंटे में से १५४४ घंटों बिजली दी गई जिससे काश्तकारों को सिंचाई में बड़ी असुविधा हुई तो बाकी ४०० घंटे बिजली किसको दी गई ?

विद्युत् मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

बिजली किसी और को देने का सवाल नहीं है । असल में बात यह है कि बिजली की कमी है । दो तीन तरह से बिजली देने में कमी हो जाती है सबसे पहले तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब नये कनेक्शन देने पड़ते हैं तो उस समय बिजली की सप्लाई बन्दकर दी जाती है । दूसरी बात यह है कि कभी-कभी बिजली खराब हो जाती है तो उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है । तीसरी बात कभी-कभी पावर कम हो जाती है । अतः किसी दूसरे को बिजली देने का सवाल नहीं है ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो बिजली में कमी है उसको दूर करने के क्या प्रयत्न सरकार कर रही है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं । बिजली में कमी कई कारणों से है । अभी कितने ही पावर हाउस बनने को बाकी हैं । अभी हाल ही में हमने हरिद्वार में दो-दो सौ मेगावाट के पावर हाऊस बनाने के आदेश दिये हैं । हमारा खयाल है कि बहुत जल्दी ही काफी पावर हमको मिलने लगेगी ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५४४ घंटे में कितने यूनिट बिजली देहात के किसानों को दी गई और कितने यूनिट बिजली कारखानों को दी गई ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

असल में इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है । काश्तकारों के लिये और कारखानों के लिये बिजली अलग-अलग नहीं होती । जब प्रदेश में बिजली की कमी है और जो लाइन बिजली की गई है वह तो एक ही है और हमने उसे ४-४ घंटे बिजली बन्द रखने के आदेश दिये हैं । २५ प्रतिशत बिजली काट रखी है । उसमें यह जरूर है कि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अवश्य हो जाता है ।

श्री त्रिवेणी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बिजली की कमी की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है उसको सरकार वहन करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि २५ प्रतिशत बिजली हमने काटी हुई है क्योंकि बिजली की कमी है किन्तु बाकी तो हमने बिजली दी हुई है। काश्तकार रात में बिजली चला सकता है और अपने नुकसान को पूरा कर सकता है। रात में तो हम बिजली बन्द नहीं करते हैं।

श्री त्रिवेणी---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया मैंने तो यह पूछा था कि बिजली की कमी के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है और उन्होंने चूंकि गारंटी दी हुई है, तो क्या सरकार उस नुकसान को वहन करने के बारे में सोच रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

मैंने तो अभी कहा है कि बिजली तो हम रात में भी देते रहते हैं और काश्तकार बिजली को रात में इस्तेमाल करके उस नुकसान को पूरा कर सकता है। सिर्फ ४ घंटे ही तो बिजली नहीं मिलती बाकी २० घंटे तो बिजली मिलती रहती है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजली के इस्तेमाल के संबंध में किसानों के लिए राशनिंग और रोस्टरिंग कर दिया गया और उन पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वे उससे अधिक बिजली इस्तेमाल न करें ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

काश्तकारों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल इन्डस्ट्रीज के लिए प्रतिबन्ध है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)---

क्या विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कन्ज्यूमर्स से मैक्सिमम गारंटी ले ली जाती है बिजली के उपयोग के लिए, और जब उनको समय पर बिजली नहीं मिल पाती है तो क्या सरकार जो मिनिमम गारंटी हो उसकी कीमत में कमी करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

गारंटी तो ढाई घंटे अगर बिजली ले तो पूरी हो जाती है। आज भी २० घंटे दिए हुए हैं, इसलिए गारंटी तो साधारणतया पूरी हो सकती है, इसलिए कम करने का कोई कारण नहीं है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

कहा गया कि किसान रात को बिजली का प्रयोग करें तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं है, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि किसान या जो ब्लाक इन्डस्ट्रीज के लोग हैं अगर रात को चलाते हैं तो मीटर तो रीडिंग एक ही बतलायेगा, यह कैसे पता चलेगा कि रात को मीटर चला या दिन को चला ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

काश्तकारों के लिए २५ परसेंट काटने की बात नहीं है पर उनको तो लाइन काट दी जाती है इंडस्ट्री वालों की। बिजली ही नहीं रहती है उनके लिये तो मीटर रहने का सवाल नहीं है।

जिला आजमगढ़ के ग्राम गजहड़ा, गवली, पलिया तथा बेलखरी में भूमि वितरण

*५--श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना, तहसील के गजहड़ा ग्राम में कितनी एकड़ भूमि ग्राम समाज की है और उसमें से कितनी एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की गई है और शेष वितरण न होने का क्या कारण है ?

श्री रामबचन यादव--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्याम लाल--

सूचना एकत्र करने में विलम्ब का कारण क्या है जबकि ये प्रश्न २० फरवरी, १९७१ को पूछे गये थे ?

श्री दीपनारायण मणि--

यह सही है कि यह सवाल २० फरवरी, १९७१ को पूछे गये थे, एक ही महीना हुआ, सूचना अधूरी आई है, पूरी आने पर उत्तर दिया जायगा ।

श्री श्याम लाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक एक ही गांव में भूमिहीनों को भूमि वितारत करने का सवाल था तो सूचना अधूरी क्यों आई है ?

श्री दीपनारायण मणि--

अभी उस पर जांच-पड़ताल की जा रही है । समुचित उत्तर आने के बाद जवाब दिया जायगा ।

*६--श्री श्याम लाल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के ग्राम गबली पलियां और बेलखरी गांव में दिनांक २४ जून, १९७० को कितनी भूमि भूमिहीनों को प्रस्तावित करके बांटी गई और उन व्यक्तियों के नाम और वल्दियत क्या हैं और उनके पास पहले से कितनी जमीनें थीं ?

श्री रामबचन यादव--

२४ जून, १९७० को ग्राम पलिया व गवली में कोई भूमि भूमिहीनों में बांटी नहीं गई । ग्राम बेलखरी की भूमि प्रबन्धक समिति ने १.९६६ एकड़ भूमि वितरण करने का प्रस्ताव पारित अवश्य किया था जिसे परगनाधिकारी द्वारा नियमानुसार न होने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा उक्त भूमि का वितरण अभी तक नहीं किया गया है ।

श्री त्रिवेणी--

उस गांव में जो प्रधान हैं वह सारी जमीन अपने नाम हड़प लिये, क्या उससे संबंध किसी मंत्री, उपमंत्री माल विभाग का था जिससे वह कागज दबा दिया गया हो ?

श्री दीपनारायण मणि--

उसमें जो प्रस्ताव गांव सभापति ने किया था चार आदमियों के बारे में जिनके पास ज्यादा भूमि थी तो परगनाधिकारी को ज्ञात हुआ कि प्रस्ताव गलत आया है तो उसको अस्वीकार करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो भूमि दी गई है उसमें कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री दीप नारायण मणि---

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी, इसमें किसी की जाति नहीं लिखी गई है ।

श्री श्याम लाल---

जो प्रस्ताव पास हुआ है वह किन-किन व्यक्तियों के नाम है और उनके पास कितनी कितनी जमीन है ?

श्री दीप नारायण मणि---

१---श्री सत्यदेव, श्री सत्य नारायण और श्री रामधारी ---इनके पास ९ एकड़ जमीन है, २---श्रीमती सुदामा देवी इनके पास कोई जमीन नहीं है, ३---श्री वशिष्ट सिंह---इनके पिता के नाम ४४ एकड़ जमीन है, और ४---श्री जमुना सिंह---इनके पास डेढ़ एकड़ जमीन है ।

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, आप इस सदन की नियमावली के पेज ८१ पर नियम ३०० देखें, यह सदन के कार्य के विनिमय के बारे में है । अब सदन में कोई सरकार नहीं रह गई है । कई मंत्री इधर आ गए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह आप प्रश्नों के बाद उठाइए ।

श्री श्याम लाल---

क्या जिन व्यक्तियों को जमीन अलाट की गई है वे सब प्रधान के परिवार के ही लोग हैं ?

श्री दीप नारायण मणि---

इसकी सूचना नहीं है । प्रस्ताव ठीक नहीं था इसलिए अस्वीकार किया गया था ।

श्री श्याम लाल---

क्या तहसीलदार और पटवारी ने तहसील में बैठकर ही प्रधान के परिवार वालों के नाम भूमि को बांट दिया ?

श्री दीप नारायण मणि---

इसकी सूचना सरकार को नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

जिला बलिया के पशु विभाग द्वारा बछड़ों का क्रय तथा किसानों में, बीज चारे के प्रदर्शन हेतु पैसे का वितरण

*७---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला बलिया पशु विभाग ने वित्तीय वर्ष सन १९६८-६९ और १९६९-७० में कितने बछड़े साण्ड के लिए खरीदे हैं और किन-किन व्यक्तियों से, कब-कब और कितने-कितने रुपयों में ?

पशु पालन मंत्री (श्री बिशन लाल)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*८---श्री शंभूनाथ चौधरी---

क्या पशुपालन मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि जिला बलिया पशु विभाग ने वित्तीय वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में बीज चारा के प्रदर्शन हेतु कुछ धनराशि किसानों में मुफ्त बितरण की है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि कब-कब दी गई ?

श्री बिशन लाल---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शंभूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्रित करके इसी सत्र में उत्तर देने की कृपा करेंगे ताकि गबन के मामले प्रकाश में आ सकें ?

श्री बिशन लाल---

मैं इसकी सूचना जल्दी मंगाने की कोशिश करूंगा ।

जिला बुलन्दशहर के ग्राम वसी तथा निदामपुर में नलकूपों का विद्युतीकरण

*९---श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर में स्थित ग्राम वसी व ग्राम निदामपुर में जो २१ निजी नलकूपों के कलस्टर के विद्युतीकरण करने की योजना है उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब होने की आशा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

बुलन्दशहर जनपद के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना में स्थित ग्राम वसी निदामपुर के २१ निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का कोई संदर्भ नहीं प्राप्त हुआ है, अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं क्योंकि जो उत्तर दिया गया है वह सरासर गलत है । मुझे खेद है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी ।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वसी और निदामपुर गांव के लोगों ने नलकूपों का कलस्टर बनाने के लिए शासन और जिला अधिकारी को दरख्वास्ते दी थीं ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

अध्यक्ष महोदय, जो दरख्वास्तें दी हैं वसी गांव के बारे में उनमें टर्म्स एन्ड कंडीशन्स पूरी नहीं हुई हैं तथा इस गांव के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी सही तरीके से जानकारी प्राप्त करायेंगे, गलत तरीके से नहीं, कि इन गांवों के किसानों ने इन नलकूपों का एक कलस्टर बनाने के लिए दरख्वास्तें दी हैं ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा लूंगा ।

श्री शिव कुमार (जिला सुलतानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में गांवों के नाम का उल्लेख कर दिया गया है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मंत्री जी का कहना है कि उनके पास जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जो जानकारी थी वह मैंने बता दी कि इस गांव के बारे में कोई दरख्वास्त नहीं आई और न कोई कार्यवाही की गई ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मंत्री जी का यह कहना कि कोई दरख्वास्त नहीं आई, गलत है ।

श्री शिवकुमार (सुलतानपुर)—

क्या मंत्री जी कलक्टर से जांच फिर से करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि २१ गांवों के बारे में मैंने बताया। इसके संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। एक गांव के लोगों ने कुछ दरख्वास्तें दी हैं जिन पर कार्यवाही हो रही है। कुछ को बिजली दे दी गई है और कुछ में टर्म्स एन्ड कंडीशन्स पूरी नहीं हुई ।

श्री शिव कुमार—

क्या मंत्री जी कलेक्टर से फिर सूचना मंगायेंगे ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

मैंने बता दिया है कि वे लिख कर दे दें तो मैं जांच करा लूंगा ।

जिला नैनीताल के ग्रामों का विद्युतीकरण

*१०—श्री इन्द्र लाल—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन देने के लिए शासन द्वारा वर्ष १९७०–७१ में कुल कितने धन का प्राविधान किया गया है और जिले के प्रत्येक ब्लाक खण्ड में किस आधार से विद्युतीकरण की योजना बनाई गई है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जिला नैनीताल में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की लाइन देने हेतु इस वर्ष (१९७०–७१) में कुल ३६.७२ लाख रु० का प्राविधान किया गया है ।

विद्युतीकरण की योजना ब्लाक खण्ड के आधार पर नहीं बल्कि संपूर्ण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत भार के संभावित विकास के आधार पर बनाई जाती हैं ।

श्री इन्द्रलाल---

जिला नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् लाइन देने के लिए ३६.७२ लाख रुपये का प्राविधान किया गया था वह यूटिलाइज हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो क्या मंत्री जी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

अध्यक्ष महोदय, इसमें चार लाइन का प्रावीजन किया गया है:--(१) ११,००० बोल्टस की विद्युत लाइन के लिए १४.४० लाख, (२) निजी नलकूप (पंपिंग सेटों का) विद्युतीकरण के लिए १६.३० लाख, (३) ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली की संपूर्ति के लिए १.१८ लाख, तथा (४) नगरियों (स्माल टाउन्स) के विद्युतीकरण के लिए ४.८४ लाख का प्राविजन किया गया है ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिला नैनीताल के कतिपय क्षेत्रों के लिये शासन द्वारा अक्तूबर में आदेश हुये थे लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट लेविल के विद्युत् अधिकारियों द्वारा न तो शासन के उन आदेशों का पालन किया गया और न स्थानीय निकायों द्वारा जो खेतों के विद्युतीकरण के लिये सुझाव दिये गये थे उन्हीं के अनुसार कोई कार्यवाही की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

ऐसी तो हमको जानकारी नहीं है लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बतायेंगे जिसमें नियमानुसार काम नहीं हुआ है तो जरूर इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि वह काम हो ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह रुपया रखा गया था इसमें से ३१ मार्च तक कितना खर्च होने की सम्भावना है और जो नहीं खर्च हो रहा है उसका क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि यह तो राज्य विद्युत् परिषद् खर्च करता है और उनके लैप्स होने का कोई सवाल है नहीं ।

श्री इन्द्रलाल---

आपकी आज्ञा से मैं दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं । एक आदेश शासन का हुआ था :

"संख्या ५२४२-बी (१)/रा० वि०-(डी), दिनांक २६-१०-७० ।

उपर्युक्त विषय पर विद्युत् मंत्री जी उत्तर प्रदेश को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक सितम्बर १८, १९७० के संदर्भ में मुझे सूचित करने का निदेश हुआ है कि आपका पत्र मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत्) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया । यदि आवश्यकता हो तो भविष्य में इस सम्बन्ध में आप उनसे ही पत्र-व्यवहार करें ।" और जो इन्डोर्समेंट है वह इस प्रकार है :

"प्रतिलिपि उत्तराधीन पत्र एवं उसी पर विद्युत मंत्री जी के आदेशों की प्रतिलिपि सहित मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ, को यथोचित कार्यवाही हेतु भेजी जाती है । कृत कार्यवाही से परिषद् को भी अवगत कराने की कृपा करें ।

(ह०) चन्द्र हास सिंह"

अफसोस की बात है कि अभी तक इस आर्डर के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई । दूसरे वहां की ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी द्वारा वहां के अधिकारियों से यह निवेदन किया जा रहा है

कि वह कार्यवाही करें । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना जिला नैनीताल के लिये बनायी गयी है वह पब्लिक इंटरेस्ट में बनायी गयी है या पब्लिक इंटरेस्ट के विपरीत बनायी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

कोई भी योजना बनती है तो वह पब्लिक इंटरेस्ट में ही बनायी जाती है । आप देखेंगे कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें मेन लाइन खींची गयी जिससे गांवों में बिजली दें । नलकूपों को बिजली देने के लिये कुछ नियम हैं । उनमें यह है कि आधा मील तक हम देते हैं १० हार्स पावर के लिये रोस्टर बनाते हैं । आप भी उसके अनुसार कोई स्कीम भेज दें, भेजी भी होगी जैसा कि आप कहते हैं । तो यह तमाम जितना रुपया है वह ट्यूबवैल आप ही के जिले में लगने वाले हैं । यह हो सकता है कि यहां एकोनामिक न हो तो दूसरी जगह लगें लेकिन जितना रुपया है वह दूसरी जगह जाने वाला नहीं है ।

विद्युत कर्मचारियों का निष्कासन

*११---श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि २५ अगस्त, १९७० को विद्युत् कर्मचारियों के हड़ताल के कारण प्रदेश में किस-किस विद्युत संस्थान में कितने-कितने कर्मचारियों को सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया था तथा उनमें से कितने को पुनः वापस ले लिया गया है तथा जिन्हें नहीं लिया गया है उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

२५ अगस्त, १९७० की हड़ताल के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की १३ इकाइयों में, संलग्न तालिकानुसार १,१५७ कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया था और उनमें से ८२६ को पुनः सेवा में ले लिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०५ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, प्रश्न की अंतिम पंक्ति की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसका उत्तर सरकार की ओर से नहीं मिला है । उसमें लिखा है कि उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ? तो अब कृपया बतला दें कि ३३१ कर्मचारियों के बारे में क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

मैंने राज्य विद्युत परिषद् से कई दफा यह कहा कि जो ३३१ कर्मचारी हैं उनको न लेने का जो मापदंड है उसको कुछ ढीला करें । और कुछ और लोगों को लेने के लिये मैं कई महीने से प्रेस कर रहा था तो इस बात के लिये तैयार हो गये हैं कि उनमें से २५० को और लेंगे । इनमें से जो ऐसे थे जिनको वह लेना नहीं चाहते थे, जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया था उनके लिये वह तैयार नहीं थे लेकिन अब जिनके विरुद्ध वायलेन्स के चार्जेज हैं वे ही बाकी रह जाते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मन्त्री जी ने ३३१ में से २५० को वापस लेने की बात कही लेकिन एक बात मन्त्री जी को याद होगी कि पिछले सत्र में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जिनके ऊपर वायलेन्स के चार्जेज नहीं होंगे उनको भी वापस ले लिया जायगा । मेरी जानकारी के अन्दर किसी भी कर्मचारी के ऊपर ऐसे कैसेज पैंडिग नहीं हैं । अगर ऐसे कैसेज पैंडिग नहीं है तो इन सब लोगों को एक ही आदेश के अन्तर्गत वापस लेने की आज्ञा देंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

यह आश्वासन दिया गया था कि जिनके खिलाफ वायलेन्स के चार्जेज नहीं होंगे उनके केसेज को वापस ले लिया जायगा। उनको वापस ले लिया जायगा जिनके खिलाफ वायलेन्स के चार्जेज नहीं हैं। सब को वापस लेने का आश्वासन नहीं था। आज भी कुछ के खिलाफ वायलेन्स के चार्जेज हैं तो उनको वापस लेने की बात नहीं है। इनमें से २५० को वह और लेने के लिये तैयार हो गये हैं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

जो इस समय हड़ताल चल रही है उसमें यह मांग भी निहित है कि पिछली हड़ताल के जिन लोगों को नहीं लिया गया था उनको भी लिया जाय, तो सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह निर्णय लिया गया है कि २५० को उसमें से और ल लिया जायगा। अब थोड़े से रह गये हैं। जिनको अभी लेने का निर्णय नहीं हुआ है उनके विरुद्ध कुछ चार्जेज हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा निवेदन है कि जो ८० कर्मचारी रह गये हैं उनके लिये मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनकी भी स्क्रूटिनी कर ले ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह एलक्ट्रिसिटी बोर्ड एक अलग संस्था है। उन्होंने इसकी स्क्रुटिनी कर ली है और इसके करने के बाद ही उन्होंने यह निर्णय लिया है कि २५० को और ले लिया जाय। अब सदन की जो इच्छा है उसको मैं फिर उनसे कहूंगा कि वह सदन की इच्छा का आदर करें।

अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत् मण्डल, वाराणसी का स्थानान्तरण

*१२---श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, वाराणसी आठ वर्षों से भी अधिक वाराणसी में एक ही स्थान पर हैं जब कि सरकार का नियम है कि कोई अधिकारी तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर नहीं रहेगा तो इसका क्या कारण है कि अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी का स्थानान्तरण ८ वर्षों के बाद भी नहीं किया गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

वर्तमान अधिकारी जल विद्युत मण्डल वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता के पद पर दिनांक २८ दिसम्बर, १९७० से आसीन हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, जिला मिर्जापुर के विरुद्ध गबन का आरोप

*१३---श्री सुख पाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन---

क्या विद्युत मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता श्री सक्सेना, जिला मिर्जापुर के विरुद्ध कई गम्भीर आरोप हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने रुपये के हैं जिसके

नोट :---तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कारण अधिशासी अभियन्ता (श्री सक्सेना) को मुअत्तल किया गया है क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस मामले में जांच जारी है ।

सचिवालय में भर्ती किये गये टंककों के नाम

*१४---श्री सियाराम (जिला एटा)---

विधान सभा के सत्र १९७० के दूसरे गुरुवार को प्रश्न संख्या २८ के क्रम में दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार उन बयालीस टंककों के नाम भी बताने की कृपा करेगी कि वे कौन-कौन हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)---

विधान सभा के सत्र १९७० के दूसरे गुरुवार के प्रश्न संख्या २८ के उत्तर में जिन ४२ टंककों का उल्लेख है उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०६ पर)

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में चकबन्दी के रिवीजन के केस

*१५---श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)---

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत तहसील सगड़ी के चकबन्दी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की अदालत में १ जून, १९७० से लेकर १४ जनवरी, १९७१ तक सगड़ी तहसील के किसानों की ओर से कितने रिवीजन दाखिल हुये, उसमें से कितने रिवीजन मंजूर किये गये और कितने रिवीजन खारिज किये गये और किस आधार पर ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)---

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में चकबन्दी विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर की अदालत में इस अवधि में कुल ९६८ रिवीजन सगड़ी तहसील के किसानों की ओर से दाखिल किये गये इनमें से ९८ रिवीजन स्वीकृत किये गये तथा १८३ खारिज, जो रिवीजन खारिज किये गये वे गुण-दोष के आधार पर ही किये गये ।

*१६---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[३रे सोमवार के प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक

*१७---श्री इन्द्र लाल---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्तूबर, सन् १९६९ ई० के बाद दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७० तक हिल डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक न बुलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक ३-१२-७० को हो चुकी है ।

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में बंजर तथा परती भूमि

*१८—श्री दलसिंगार—

क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के परगना गोपालपुर में कितनी बन्जर परती जमीन पड़ी है उसका वितरण अभी तक क्यों नहीं किया गया, तथा जिस जमीन का वितरण किया गया है ? क्या उन सब लोगों का नाम मय पता सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी के परगना गोपालपुर में कुल २,०३२ एकड़ बंजर परती भूमि है जिसमें से पांच ग्राम सभाओं में ८ प्रतिशत से अधिक १८५.००४ एकड़ उपलब्ध भूमि १५१ भूमिहीनों में वितरित कर दी गई है तथा अब वहां कोई भूमि वितरण के लिये शेष नहीं है । जिन व्यक्तियों को भूमि वितरण की गई है उनकी सूची लम्बी होने के कारण सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं हो सका है । अतः माननीय सदस्य यदि चाहें तो मेरे कमरे में आकर वांछित सूची का निरीक्षण कर सकते हैं ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के चकबन्दी विभाग की शिकायतें

*१९—श्री दल सिंगार—

क्या माल मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के चकबन्दी विभाग में १ जून, १९७० से लेकर १५ जनवरी, १९७१ तक कितने सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत जनता ने चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पास भेजा है और आज तक उन सब पर क्या कायवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के चकबन्दी विभाग में जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार १ जून, १९७० से १५ जनवरी, १९७१ तक ११ सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी २५ शिकायती-पत्र जनता से चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुए थे । जांच के फलस्वरूप ६ सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये तथा ५ दोषी पाये गये अधिकारियों को दंडित किया गया ।

*२०—श्री जंगबहादुर यादव—

[२रे सोमवार के प्र० सं० १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर जिले के ग्राम घिसुआ में एक तालाब व उसके भीटे पर श्री उमेश सिंह द्वारा कब्जा

*२१—श्री जंगबहादुर यादव—

क्या राजस्व मन्त्री को यह जानकारी है कि ग्राम घिसुआ तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर में ग्राम समाज में १२.८ एकड़ का बन्दोबस्ती तालाब था जिसके भीटे पर आम के बहुत से पेड़ हैं जिसका पट्टा उसी ग्राम के निवासी श्री उमेश सिंह ने फर्जी तौर पर अपने नाम तरमीम करा लिया है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक तालाब को ग्राम समाज की सम्पत्ति घोषित करने तथा उसका स्वामित्व ग्राम सभा को बनाये रखने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जी हां । गांव सभा की १२.८ एकड़ भूमि पर श्री उमेश सिंह ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २२९ (ख) के अन्तर्गत वाद दायर करके

सीरदार के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ गांव सभा प्रधान द्वारा तजवीज सानी दाखिल की गई है जो अभी विचाराधीन है।

*२२-२३---श्री नरेन्द्र सिंह--

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर सदर तहसील में निजी नलकूपों का विद्युतीकरण

*२४---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में स्थित नलकूप नं० १०१ जी० जी० से राप्ती-गोरा नदी के दोआब में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण योजना में कितने लोगों को बिजली दे दी गई है तथा कितने लोगों ने दिसम्बर, १९७० तक सर्वे फीस जमा किया है, अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

गोरखपुर के सदर तहसील में स्थित नलकूप नं० १०१ जी० जी० से राप्ती-गोरा नदी के दोआबे में दिसम्बर, १९७० तक ३ उपभोक्ताओं के निजी नलकूपों को बिजली दी गई है। उक्त क्षेत्र में दिसम्बर, १९७० तक कुल ३३ उपभोक्ताओं ने सर्वे फीस जमा की है। सर्वे के उपरान्त ५ उपभोक्ताओं के कनेक्शन लाइन से दूर स्थित होने के कारण अनुपयुक्त पाये गये हैं। शेष २८ उपभोक्ताओं को लाइन का पैसा जमा करने के लिये पत्र भेजे जा चुके हैं, उनमें से ३ उपभोक्ताओं ने अनुबन्ध कर के पैसा जमा किया है और उन्हें बिजली दी जा चुकी है।

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में किये गये पट्टों की तसदीक

*२५---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत मार्च, १९७० से दिसम्बर, १९७० तक भूमि के कुल कितने पट्टे किये गये हैं और उनमें से कितने तसदीक हुए और कितने बिना तसदीक के पड़े हैं ? पट्टों की तसदीक का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

वांछित सूचना निम्न है:---

(१)	किये गये पट्टों की संख्या	४,५१९
(२)	तसदीक किये गये पट्टों की संख्या	३,१०६
(३)	बिना तसदीक हुए पट्टों की संख्या	१,४१३

(४) तसदीक का शेष कार्य अप्रैल, १९७१ तक समाप्त होने की आशा की जाती है।

जिला कानपुर की डेरापुर तहसील में वितरित की गई जोत बहियां

*२६---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत अब तक किसानों को कितनी जोत-बहियां दी गई हैं और कितनी देनी शेष है ? तथा शेष को कब तक जोत बहियां मिल जायेंगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत १३७७ फसली में बनने वाली खतौनी के आधार पर २४,६६० जोतबहियां बना कर खातेदारों को बांटी जा चुकी हैं और केवल ४५ जोत-बहियां बना शेष है।

जिला चमोली में हाई ड्रम योजनायें तथा विद्यालयों के लिये भवन निर्माण

*२७—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में कहां-कहां हाई ड्रम योजनाओं का निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जिला चमोली के दसोली विकास खंड के ग्राम गडोरा में एक हाईड्रम तथा स्प्रिंकलर यूनिट लगाया जायेगा। इस कार्य हेतु स्थानीय सर्वेक्षण करके योजना तैयार की जा चुकी है। हाईड्रम स्प्रिंकलर आदि मशीनों की खरीद की जा रही है और निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

*२८—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि जिला चमोली में वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कितने जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और छात्रावासों के भवन निर्माण का प्राविधान था ? अब तक कितने भवनों, छात्रावासों का निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है तथा वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में जिला चमोली के कौन-कौन राजकीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के भवन निर्माण की योजना है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में जिला चमोली में किसी भी नये जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा छात्रावास के भवनों के निर्माण का प्राविधान नहीं था। अतः किसी भी भवन के निर्माण-कार्य आरम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु इस वर्ष निम्नलिखित निर्माणाधीन भवनों पर कार्य चालू रहा: —

१—राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोचर।

२—राजकीय इन्टरमीडियेट कालेज, जोशीमठ।

सन् १९७१–७२ में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोचर पर कार्य चालू रहेगा और इसके अतिरिक्त मालतोली (जिला चमोली) में राजकीय जूनियर हाई स्कूल के भवन तथा प्रधानाचार्य के आवास गृह का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत् विभाग द्वारा सुपरवाइजरों का चयन

१—डाक्टर सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बतलाने का कष्ट करग कि विद्युत् विभाग में अक्तूबर, नवम्बर, १९७० में तृतीय श्रेणी (ए० ई० एन्ड एम० ई० एस०) सुपरवाइजरों का जो चुनाव हुआ था, उन पदों के लिए कितने आवेदन-पत्र आये थे तथा उनमें से कितनों का चयन हुआ और चयन का आधार क्या रखा गया था ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

४२९ विभागीय अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से १७५ अभ्यर्थियों का राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा चयन किया गया।

[श्री शांति प्रपन्न शर्मा]

अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता, सेवा काल की अवधि, प्रगति रिपोर्ट तथा साक्षात्कार के आधार पर किया गया था तथा चयन हेतु पात्रता का आधार अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक वर्ष का विभागीय अनुभव वांछनीय था।

श्री रियासत हुसैन द्वारा व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल शाम से समाचारपत्रों में खबर छपी कि कुछ मंत्रिपरिषद् के उपमंत्रियों ने संजीवा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि वह लोग इस वक्त इस सदन में अपोजीशन बेंचेज में विरोधी दल के सदस्यों की हैसियत से बैठे हैं। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि जब उपमंत्री भी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में वही हैसियत रखते हैं जो मंत्रियों की होती है और वह भी सीक्रेसी की ओथ लेते हैं और उन की भी वही जिम्मेदारी होती है जो साधारण मंत्रियों की होती है, तो जब उन के विरोधी दल में आने की सूचना अखबारों में भी आ गई और रेडियो पर भी आ गई और साथ ही जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको डिसमिस करने की भी गवर्नर को कोई सिफारिश नहीं की कि उन्होंने क्यों विरोधी दल को ज्वाइन कर लिया, आज इस सदन की कार्यवाही चल रही है और वह इधर बैठे हैं तो आपको श्रीमन्, व्यवस्था देना चाहिये कि रूल्स के मातहत जब उप मंत्रियों ने विरोधी दल ज्वाइन कर लिया तो यह उचित है या अनुचित है ?

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

यह ठीक है लेकिन इसके ऊपर व्यवस्था आनी चाहिये कि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है या नहीं की है ? और अगर की है तो यह फर्ज मुख्य मंत्री जी का था कि वह उन उपमंत्रियों को डिसमिस कराते लेकिन एसा नहीं हुआ। इसलिये आज सारे सूबे की और इस सदन की नजर इस तरफ लगी है कि क्या उपमंत्री लोग मंत्रि परिषद् में और विरोधी दल में भी रह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जिसने इस्तीफा दे दिया वह मंत्रि परिषद् में नहीं रहेगा।

श्री रियासत हुसैन---

उन्होंने मंत्रि परिषद् से इस्तीफा नहीं दिया है....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, इधर उधर के बैठने से सदस्यों को बेकार की ही यह गलत फहमी हो रही है। कुछ सदस्य इधर क उधर चल गये हैं और कुछ उधर के इधर चले आये हैं, दोनों ही ओर से दल बदली हुई है ....

श्री उदित नारायण द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था इस विषय पर चाहता हूं कि आज का जो यह एजेन्डा है उसम ७ नं० पर एक अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि नियम २७५

के अनुसार जब प्रश्नों का समय समाप्त हो जायेगा तो और कार्यक्रम लेने से पहले इसी को लेना चाहिये। प्रश्नों का समय १२ बजे समाप्त होता है और उसके बाद किसी भी अन्य काम को लेने से पहले आप को अविश्वास के प्रस्ताव को रखना चाहिये। यह जो शोधन वक्तव्य हो रहा था उससे पहले इसको लेना चाहिये....

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न जो था....

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप इनकी बात न सुनिये, यह तो दल बदलू हैं जिस दिन से आये हैं यह ५ दल बदल चुके हैं, इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह जो नियम ३१५ है....

(व्यवधान)

श्री उदित नारायण--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह खड़े होकर जो जबान में आये वह कहता चला जाय....

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

अगर वह दल बदलते हैं रोज रोज, तो हम हमेशा कहेंगे। जिस पार्टी से वह जीत कर आये हैं उससे इस्तीफा दें और तब दल बदल कर लड़ें....

(व्यवधान)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

जिन्होंने डा० लोहिया की हत्या कराई वह उधर बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३१५ को देखें जो सापेक्ष अग्रेता से सम्बन्धित है। इसके उप-नियम (२५) में मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव रखने का प्राविधान है। इसके पूर्व प्रश्नों के सम्बन्ध में यदि कोई सुधार करता है तो वह पहले आता है। इसलिये कोई अनुचित बात नहीं हुयी है। नियमानुसार ही हुआ है।

(श्री राम बचन यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, आप नियम ३०० देखें....

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। माननीय राजस्व मंत्री जी अपना शोधन वक्तव्य पढ़ें।

श्री इन्द्रलाल द्वारा ३ जून, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न ५ के सम्बन्ध में राजस्व उप-मंत्री का शोधन वक्तव्य

राजस्व उप मंत्री (श्री राम बचन यादव)---

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक ३ जून, १९७० को श्री इन्द्रलाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में श्री इन्द्र लाल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि जो सदन में सूचना दे दी गई कि तूफान आने से केवल २,५०० मन ही उड़ा। परन्तु जिन व्यक्तियों के छप्पर आदि भी इसमें उड़ गये उनको सरकार की तरफ से क्या सहायता दी गई ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जिन व्यक्तियों के मकानों को क्षति हुई है उनको २५० रुपये की सहायता दी गई। इस तूफान में २,५०० मन जो अनाज उड़ गया है उसकी कीमत करीब ६५,५०० रुपये है जितना कि उनका नुकसान हुआ है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है---"जिन व्यक्तियों को अग्निकांड से क्षति हुई है उनको कुल ३०० रुपये की सहायता दी गई। इस तूफान में २,५०० मन जो अनाज उड़ गया है उसकी कीमत करीब ६२,५०० रुपये है जितना कि उनका नुकसान हुआ है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्न है।

प्रश्न	उत्तर
५---क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ६/७ मई की रात्रि में जिला नैनीताल के तराई भावर क्षेत्रों में भयंकर तूफान क आने से लाखों रुपये की रबी फसल खलिहानों व खेतों में उड़ कर नष्ट हो गई और कई व्यक्तियों की पेड़ पौधों के उखड़ने व मकानों के टूटने से मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इसकी पूर्ण सूचना सदन में देने की कृपा करेंगे ?	५---इस जिले की तहसील किछा में तूफान से खलिहान व खेतों में पड़ा लगभग २,५०० मन गेहूं उड़ गया परन्तु तूफान से कोई जन-हानि नहीं हुई। तहसील सितारगंज में तूफान आने से ग्राम पंडरी में आग लग गई। इससे २१ कच्चे घर जल गये और १५ परिवार क्षतिग्रस्त हुए। आग से १६ मुर्गियां जल गईं, पर कोई जन हानि नहीं हुई और न फसलों को कोई क्षति हुई।

श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा २८ मई, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न ५ के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का शोधन वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)---

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २८ मई, १९७० को श्री शम्भूनाथ चौधरी इत्यादि द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में श्री शम्भूनाथ चौधरी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है कि जिस दिन २५ फरवरी, १९७० को दुकान की नीलामी हुई, उसी दिन उसने बोली का छठवां भाग खजाने में जमा कर दिया ?

उस सदय सदन में उत्तर दिया गया था "बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य शराब की दुकान की पैरवी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक गन्ने वाली गली कहलाती है। वहां पर यह शराब की दुकान थी। सन् १९६७ में, जब कि संविद सरकार थी, उस समय लोगों ने उस दुकान के बारे में शिकायत की और मांग की कि उसको बन्द कर दिया जाय। यह नीलाम हो चुकी थी। उसी समय का हमारा यह नोट है कि अगर वह बन्द हो सकती है तो उसे बन्द करा दिया जाय। अगर इस साल नहीं तो अगले साल जरूर बन्द करा दिया जाय। अब सन् १९७० में जब नीलाम हुई तो २५ फरवरी को तत्काल उसने १/६ भाग बोली का, रुपये खजाने में जमा कर दिया, यह सही है। और भी बहुत सी दुकानें थीं। इस दुकान से गालिबन ज्यादा आमदनी होती है---१३-१४ लाख की। लोगों ने फिर कहा तो मैंने डी० एम० से कहा कि यह दूकान यहां से हटा कर दूसरी जगह लगा दी जाय। इस पर उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे इसकी बिक्री घट जायगी। फिर मैंने आर्डर दे दिया कि दुकान बन्द कर दी जाय। तो उसको उस वक्त केवल अस्थायी परमिट मिल गया था, स्थाई राइट तब मिलता है जब एक्साइज कमिश्नर से एप्रूव हो जाय। इस पर वह हाईकोर्ट चले गये और उसने इंजक्शन आर्डर दे दिया यह कह कर कि दुकान यहीं रहेगी और यह शराब बेचने का हकदार है जब तक कि आखिरी कोई फैसला न हो जाय। तो सरकार को यह अन्तरिम आदेश उचित नहीं लगा, बहुत हलका शब्द उसके लिये कह रहा हूं, तो हमने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को स्टे कर दिया।"

उक्त उत्तर में अंक और शब्द "१३-१४ लाख की" तथा "तो उसको उस वक्त केवल अस्थायी परमिट मिल गया था" ठीक नहीं था जिनका बाद में पता चला। सही उत्तर निम्न प्रकार है:

उक्त उत्तर में अंक और शब्द "१३-१४ लाख की" के स्थान पर शब्द और अंक "लगभग ९ लाख रु० की" पढ़ा जाय और शब्द "तो उसको उस वक्त केवल अस्थायी परमिट मिल गया था।" के स्थान पर "इस दुकान के ठेके की बोली बोलने वाले को वर्ष १९७०-७१ के लिये अस्थायी लाइसेंस भी नहीं दिया गया था" पढ़ा जाय।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्न है।

प्रश्न	उत्तर
५---क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्पष्ट आदेश दिनांक २४ अप्रैल, १९७० के बावजूद दुकान देशी शराब गन्ने वाली गली, अमीनाबाद, लखनऊ की शराब की निकासी नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?	५---उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक २४ अप्रैल, १९७० के विरुद्ध सर्वोत्तम न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त कर लिया गया है और यह मामला न्यायाधीन है।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने प्रस्ताव भेजा है। वह अविश्वास का प्रस्ताव है। मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं। "यह सदन मंत्रि परिषद् पर अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

(विरोधी दल की ओर से मेजें थपथपाई गईं)

[श्री अध्यक्ष]

जो लोग इसके पक्ष में हैं वे कृपा करके अनुज्ञा देने के लिये अपनी जगह पर खड़े हो जायं।

(पक्ष में ज्यादा हैं इसलिये अनुज्ञा दी गई।)

श्री अध्यक्ष---

मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं कि आप यह चर्चा कब शुरू करना चाहते हैं?

(नेता सदन के सदन में उपस्थित न होने पर)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)---

जो तारीख आप तय कर दें उसके लिये हम तैयार हैं।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

अगर आप नियम देखेंगे, जो सामान्य चर्चा चल रही है, उसके पश्चात् ही वह हो सकता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, आजकल गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। जब उसकी वोटिंग हो उसके बाद इसको रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

(नेता सदन की ओर से स्वीकृति मिलने पर) आपको कोई एतराज नहीं है। ठीक है तो यह श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ३० तारीख तक चलेगी, उसके बाद ३१ तारीख को यह अविश्वास का प्रस्ताव लिया जायेगा। उसके बाद फिर विधेयक लिये जायंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

बहस के लिये कितने दिन देंगे?

श्री अध्यक्ष---

कम से कम एक दिन तो दिया ही जायगा। फिर देखेंगे।

एक सदस्य---

बहस के लिये कम से कम दो दिन होने चाहिये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिन राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा था। उस अभिभाषण में बहुत सी बातें जनता के हित के लिये हमारी सरकार ने रखी है। उसमें कुछ ऐसी बातें और जोड़ी जायं जिससे हमारे प्रदेश का भला हो सके।

२३ वर्ष में हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारी सरकार को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे जनता का भला हो सके। हमारे यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़कें बनवाई जाती हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नहीं बनती हैं,

---

†२३ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी धन बिल्डिंगों, मकानों और डाक-बंगलों के लिये खर्च होता है। साथ ही बहुत सा धन टी० ए०, डी० ए० पर खर्च होता है। मेरा सुझाव है कि सरकार इन खर्चों को बन्द करके जनता के हित में गावों से शहर तक जाने वाली सड़कें बनवायें और उसके लिये अधिक से अधिक धन दें।

कृषि विभाग में भी काफी कार्य करने की आवश्यकता है। जो हमारे एग्रीकल्चरल फार्म चल रहे हैं वह सब घा में हैं, कोई भी उनमें उन्नति नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार उन फार्मों को बन्द कर दे और वह जमीन गरीब भूमिहीन काश्तकारों को दी जाय। वह जमीन गरीबों के पास होगी तो वह उस पर मेहनत करेंगे और अपना भरण-पोषण करेंगे और साथ ही सरकार इस नुकसान से बच जायेगी।

जो कालोनी हमारी सरकार ने बसाई है उनमें अभी तक सीरदारी हक नहीं मिले हैं। मेरा सुझाव है कि उन कालोनी में बसने वालों को, ९–९, १०–१० साल से बसने वालों को, जिन्हें सरकार ने जमीन दी है, मकान बना कर दिया है, उन्हें सीरदारी हक दिये जायं। साथ ही साथ उनके लिये पानी की भी व्यवस्था की जाय। साथ ही साथ जंगल विभाग में बहुत सी कमियां हैं। काफी घूसखोरी, बेईमानी उसमें चल रही है। हजारों एकड़ जमीन बिल्कुल ही बेकार पड़ी है जिनका कोई भी उपयोग वन विभाग नहीं कर पा रहा है। यह भूमि रेवेन्यू विभाग ने उसको दी थी सन् ५२ में परन्तु अब तक खाली पड़ी है। सरकार उस सारी जमीन को ले ले और उसको फिर राजस्व विभाग को वापस कर दी जाय ताकि वह जमीन भूमि-हीनों तथा गरीबों में वितरित की जा सके और वे लोग उस पर खेती कर सकें। इस प्रकार से गरीब काश्तकार उस भूमि से अपनी रोटी कमा सकेंगे और साथ ही साथ सरकार को उसका लगान भी मिलेगा। खाली जमीन से न तो कोई लगान ही मिलता है और न उससे कोई लाभ ही हो रहा है और उसकी रखवाली के लिये सरकार को काफी धन व्यय करना पड़ता है। इसी के साथ इसी कारण लाखों मुकदमें हमारे काश्तकारों पर चल रहे हैं। यह उन काश्तकारों पर हैं जिन्होंने जमींदारी के टूटने के पूर्व उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और रजिस्ट्री पट्टे से जिनके पास उस भूमि की सीरदारी तथा भूमिधरी के हकूक भी हैं। इन लोगों पर मुकदमा चला कर सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है। इस कारण मेरा सुझाव है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाय। हमारे माननीय तिवारी जी ने भी इस जंगल की भूमि के बारे में कई बार सरकार को सुझाव दिया था जब कि वे सरकार में थे कि इस भूमि को ले लिया जाय और उसको रेवेन्यू विभाग को दे दिया जाय ताकि उस पर खेती हो सके। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिये जरूर एक अच्छा कदम उठाये और यह कदम जनता के हित में होगा और इससे प्रदेश की सरकार का भी लाभ होगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कोई विशेष बात नहीं कही है। आज यह जो कुछ हो रहा है भ्रष्टाचार, ब्लैकमार्केटिंग आदि की चीजें तथा चारों ओर जो बेईमानी दिखलाई दे रही है यह उसी का फल है कि हम इस तरह कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। आज हमारे सामने इसी कारण से ऐसी स्थिति आ गई है एक तरफ के सदस्य दूसरी तरफ टूट कर जा रहे हैं जो एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि वह भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि को दूर करने के लिये तथा उसको निर्मूल करने के लिये ठोस कदम उठाये।

निर्माण कार्यों में सरकार का लाखों रुपया व्यय हो रहा है परन्तु उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है इस कारण से हमको अपनी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो रुपया किसी विभाग में दिया जाता है उसका व्यय सही सही किया जाय और उसका पूरा लाभ हमको मिलना चाहिये उस बारे में पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार जो भी रही हो उसने कर्मचारियों की तनख्वाह आदि के बारे में कभी विचार नहीं किया और इस कारण

[श्री हरनरायन]

से भी हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है । जिस सरकारी कर्मचारी को भरपेट खाना नहीं मिल पायेगा, वह अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकेगा, उसकी दवा दारू का इन्तजाम नहीं कर पायेगा उस तनख्वाह में जो कि उसको मिलती है तब उसकी मजबूरी हो जाती है कि वह बेईमानी करे । कोई भी आदमी अपने ईमान को इतनी जल्दी गिराने के लिये तैयार नहीं होता है जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसी मजबूरी न पड़ जाय । इस कारण मैं यही कहूंगा कि सरकार को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह के विषय में भी पूरा ध्यान रखना चाहिये और उसको ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे इस प्रकार का भ्रष्टाचार दूर हो और हमारे कर्मचारी ईमानदार बन सकें और ईमानदारी के साथ काम करें । यह उसी समय हो सकता है जब हम और आप मिल कर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि करें ।

साथ ही साथ मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो बड़े बड़े आफिसर्स हैं वे बहुत ज्यादा भत्ते लेते हैं, रात दिन टूअर पर रहते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये । उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, साथ में गाड़ियां हैं और इसके साथ साथ उन लोगों को खर्च करने के लिये टी० ए० वगैरह भी मिलता है । सरकार को चाहिये कि वह इसके ऊपर भी नियंत्रण लगावे । इसलिये कि समाजवाद में हमें इस बात को सोचना होगा कि एक आदमी २ घंटे काम करने पर ५ हजार रुपये पाता है, वही दूसरा आदमी ८ घंटे काम करने पर केवल २०० रुपये पाता है । साथ ही साथ उसको और सुविधायें भी अधिक हैं । इसके साथ ही साथ हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं का भी खयाल रखा जाय । हमारी सरकार की यह निगाह होनी चाहिये कि नीचे को ऊंचा उठावें ।

साथ ही साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि गवर्नर महोदय का सचिवालय अलग है जिसमें १५० चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं तथा ३० प्रथम श्रेणी के कर्मचारी व अधिकारी हैं । मेरा निवेदन है कि इस पूरे हाउस में जितने सचिवालय हैं वे सब गवर्नर महोदय से ही गवर्न होते हैं तो यह गवर्नर सचिवालय भी क्यों न इसी से सम्बद्ध किया जाय । इनके लिये अलग सचिवालय जो चल रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि सरकार यह सोचे कि उनके सचिवालय को भी इसी से सम्बद्ध किया जाय, उसके लिये सरकार कोई कदम उठावे जिससे इस तरह के खर्चे बन्द हों । हमारी सरकार के पास ऐसे अनेक विभाग हैं जिनमें कोई काम नहीं हैं लेकिन सरकार का उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है और हमारे यहां के गरीब किसान मजदूरों की खून और पसीने की कमाई को इस तरह से लुटाया जाता है । जो कुछ भी राजस्व से आता है उसका ८० प्रतिशत गवर्नर हाउस व अन्य विभागों पर खर्च होता है और हमारे गरीब किसान मजदूरों पर बहुत कम खर्च हो पाता है । सरकार की निगाह इसकी तरफ भी होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गनेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में मेरे कुछ संशोधन हैं, उस सिलसिले में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । लेकिन यह जो डिबेट है इसमें रियलिज्म बहुत कम हो गया क्योंकि एक तरह से इस सारे के सारे सदन में, जो लोक-सभा का चुनाव हुआ है उसके प्रभाव से उनका मस्तिष्क बिल्कुल सराबोर है और दूसरी तरफ आज जोअविश्वास का प्रस्ताव आया है, उनके मन में इसका मूल्य बहुत घट गया है । पता नहीं जिस सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं वह ८ दिन भी चलेगी कि नहीं । इस वजह से ऐसा मालूम होता है कि आगे आने वाले ५–६ दिन तक हम सब लगातार अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ चुनावों के सम्बन्ध में इस सदन में जो कुछ कहा गया है उसके लिये मजबूर हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थोड़े से समय में मैं अपने संशोधन पर आ जाऊंगा। मेरे माननीय संड जी महाराज ने यहां पर कहा है कि एक एक लाख, सवा सवा और डेढ़-डेढ़ लाख वोटों से लोग न जाने कैसे जीत गये। आप इंडियनाइजेशन की बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है लेकिन निरन्तर यहां इंडियनाइजेशन की बात इस सदन में आप कहते हैं तो विदेशों में इसका क्या असर पड़ता है, उस पर भी आपकी निगाह रहनी चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि सारे संसार के लोग हिन्दुस्तान को सबसे बड़ा प्रजातंत्र का देश मानते हुये, हमारे चुनावों को जनता का निष्कपट और बिल्कुल सत्य रूप से फैसला मानते हैं, और सारे संसार की यह धारणा है तो कृपा करके उसको डेमेज न किया जाय।

यह जो आपका कुटिल संकेत है इससे स्वयं आपके इंडियनाइजेशन में कमी मालूम पड़ती है। किसी भी बड़े राजनीतिज्ञ ने यह आरोप नहीं लगाया है। राजनारायण जी तो स्वनाम धन्य है, उनकी बात मैं छोड़ता हूं। लेकिन अगर आप इस चीज को कहें तो यही मैं कह सकता हूं कि "सबसे भले हैं संड, इन्हें न व्यापत जगत गति", इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। मुझे ताज्जुब हुआ जब बांके लाल जी ने कहा कि जनता मूर्ख थी, उसने जिता दिया। जनता मूर्ख रही हो या नहीं। मेरा ईश्वर से ज्यादा नजदीक का ताल्लुक नहीं है। मैं तो जनता को ही ईश्वर के रूप में पूजा करता हूं और जनता मूर्ख है यह कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हां यदि कभी जनता भूलकर सकती है तो वह बांकेलाल जी के और हिटलर के चुनने में।

असल में मैं एक दूसरी मनोवृत्ति देख रहा हूं। कुछ लोगों में हीरे की कनी चाटने वाली बहादुरी होती है यानी वे मर जायेंगे लेकिन अपनी बात से नहीं हटेंगे और कुछ में अपने को एडजस्ट करने की भावना होती है यानी पोलिटिकल कैलकुलेशन को देखकर सही रास्ते पर आ जाना और उसमें किसी हीनता का अनुभव न करना। मेरे जो साथी उधर बैठे हैं वे हीरे की कनी को चाटकर मर जाने वाली प्रवृत्ति को छोड़ें। हमसे आप क्या लड़ते हैं। हम तो लड़ने जा रहे हैं बेकारी और भुखमरी जैसे दैत्यों से। हम जानते हैं कि हमको आपका और सारी जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो हमारी जो वार है अगेन्स्ट पावर्टी उसमें नहीं जीत सकेंगे।

चुनावों में हमारी जीत अप्रत्याशित और एम्बरासिंग विक्टरी है। लोग कहते हैं कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बहबूदी पर रोती है लेकिन बम्बई अधिवेशन में इंदिरा जी के एक आंसू ने ३५० सीटें दिला दीं। हम जो सोचते थे उससे सौ सीट ज्यादा मिली। हम स्वयं अपनी विक्टरी से एम्बरास्ड हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप इस परिस्थिति पर स्वयं विचार करें। मैं स्वयं मानता हूं कि C. B. Guptaji has been a great General. मगर वे अब एस० वी० डी० को पेसमेकर नहीं दे सकते। आप स्वयं सोचें कि सात दिन आगे चले यह डिबेट और ३१ मार्च आवे तो कौन सी जरूरत है। हमारे टी० एन० सिंह साहब शर शैया पर पड़े हुए हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। you know your end has Come. You Know the Ides of March have come. क्या जरूरत है इसपेनफुल अवधि को बढ़ाने की।

उसी तरह से मैं अपने मित्र श्री प्रभु नारायण सिंह जी से कहूंगा और श्री जायसवाल जी से कहूंगा कि देखिये Anti-Congression has failed और लोहिया जी अब हमारे बीच में नहीं है। आपका जो नुकसान हुआ है और जो आपका वैधव्य है उसको मैं समझता हूं, मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। आप परिस्थिति के अनुकूल चलें। आप २७ व २८ तारीख तक जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें बिछड़ना ठीक नहीं है। हमारा नव-निर्माण का जो कार्यक्रम है उसमें आप उत्साह-पूर्वक भाग लें।

बी० के० डी० से हम क्या कहें। एक आदमी ही तो सिर्फ पितरों को पानी देने के लिये जीते हैं। वह भी, मैंने सुना है, हमारी तरफ आने वाले हैं। केवल एक ही आदमी सिंडीकेट में जीते हैं। आप अपने जनरल स्टाफ को तो देखिये, अश्वत्थामा बने बैठे हैं। आप इन सब बातों पर विचार करें। बड़ी-बड़ी बातों को कहने से क्या लाभ होगा। इस संदर्भ में श्री बांके-लाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब बातों पर विचार करें। जिस तरह से वे श्रीमती इन्दिरा

[श्री गनेशदत्त बाजपेयी]

गांधी को कम्पेयर करते हैं, मुझे बड़ा दुःख होता है। यह सदन कड़वी बात कहने के लिये नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'Put sweet words in your mouth.' आप सही बात कहें कोई हर्ज नहीं है। शीरीं जबान बोलना ही ठीक होता है। हम आपको समझाते हैं, कृपया आप स्वयं अपना रिव्यू करिये पार्टीवाइज। 'There is no sense in sticking to a wrecked ship.' इसमें कोई ताज्जुब नहीं मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष---

एक नाईट स्कूल खोल दीजिये, ज्यादा अच्छा हो।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी---

चूंकि इस डिबेट पर बोलने के लिये एक ही दिन है इसलिये मुझे एक ही दिन बोलने का समय है। हमारे कुछ मित्र वे मिनिस्टर हैं जो लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में हार गये हैं और कुछ लोगों की जमानतें भी जब्त हो चुकी हैं। उनके अन्तर्दाह को हम जानते हैं, वे इस्तीफा देना चाहते हैं मगर मुख्य मंत्री जी की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक साहब का एक लड़का था, वह खड़ा-खड़ा लघुशंका कर रहा था। मोहल्ले के लोगों ने उसे खड़े-खड़े लघुशंका करते देख लिया। उनमें से एक ने कहा कि चलो इनके पिता स कहें कि यह बात तहजीब के खिलाफ है और आप कृपया अपने लड़के को तहजीब सिखाएं। मोहल्ले के लोग उस लड़के के पिताजी के पास गये। उन्होंने देखा कि वे खड़े-खड़े पेशाब ही नहीं कर रहे थे बल्कि घूम भी रहे थे। यह देखकर मोहल्ले वाले बेचारे लौट आए यह सोच कर कि इनसे क्या कहेंगे ये ऐसे होनहार हैं तो लड़का तो कम ही है।

मध्य प्रदेश में जो मिनिस्टर लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में हार गये, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप भी कृपया इन बातों पर विचार करें। इतना ही नहीं, वहां पर उन लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया जिनके क्षेत्र से दूसरे लोग इलेक्शन में खड़े हुए मगर हार गये। वहां पर ये कीर्तिमान उदाहरण हैं। हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। आप कुछ तो इस ओर कदम उठाते। ऐसा न करके आप उस लड़के के पिताजी की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। वे अपने लड़के की तरह पेशाब भी करते थे और घूमते भी थे इसलिए उनसे कुछ कहने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अंग्रेजी में एक लफ्ज है Sublime जिसका हिन्दी में शब्द मुझे मालूम नहीं है। हमारे मित्रों में भय और आश्चर्य दोनों पैदा हो गये हैं। आपने श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस का विराट रूप इलेक्शन में देख ही लिया है। हमारे बांके लाल जी को आश्चर्य हो रहा है। आप सीधे-सीधे यह बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि 'It is a vote of expectation' इसमें और किसी तरह की कोई बात नहीं है। जनता कहती है कि आप भी इस महान यज्ञ में और अपने देश के पुनर्निर्माण में भाग लें और छोटी-छोटी बातों पर विचार छोड़ कर इसमें शामिल हो जाएं।

एक बात मैं अपने भाई लक्ष्मीरमण आचार्य जी से कहना चाहता हूं। रणछोर जी से कहना चाहता हूं--"वासां सिजीर्णानि यथा विहाय, नवानिगृहणाति नरोपराणि" अर्थात् जिस तरह से आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नये वस्त्र धारण कर लेती है, उसी प्रकार से आज समय है, आचार्य जी को सिंडीकेट छोड़कर इस बड़े समूह में आ जाना चाहिये। ट्रस्टी ने भी कहा है कि जो मेरा एतिहासिक कर्त्तव्य है उसके मुकाबले पोर्टफोलियों क्या चीज है। आज आचार्य जी को अनएतिहासिक नहीं होना चाहिये। ३१ तारीख के पहले ही इस समूह में आ जाना चाहिये। जितने भी चेतन तत्व हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे हमारे साथ आयें।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय खत्म हो गया है।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी---

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। गजेन्द्रगडकर की जो नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट है, उसके विषय में इसमें अभिभाषण में केवल दो लाइनें हैं। उसकी सिफारिशों को ओर

आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि सरकार का बार-बार ध्यान उस ओर दिलाया गया। मुझे इसका बहुत दुख है कि इसमें उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपके श्रमिक विभाग का पूरा रीओरियन्टेशन कर दूं। आप को चाहिये कि आप नेशनल लेबर कमीशन का सिफारिशों को लागू करने की ओर तुरन्त कदम उठायें। माननीय चरणसिंह जी ने न जाने कितनी बार इसका जिक्र भी किया। मगर किया कुछ नहीं।

भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, वह तब तक दूर नहीं हो सकता, जबतक कि आप एक इन्सट्टीट्यूशन उसकी जांच के लिये न बना दें। क्यों नहीं आप लोकायुक्त या लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। जब तक आप यह नहीं करेंगे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय हो गया।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)---

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पिछले दिन भी मैं विरोधी पक्ष के विचारों को सुनता रहा। माननीय बाजपेयी जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करता हूं, उनको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। जैसा कि उनका स्वाभाव है, मैं समझता था वे अपने संशोधन पर अधिक समय देंगे, मगर माननीय बांकेलाल जी ने उनको कुछ कह दिया, जो उनको अच्छा नहीं लगा, उसी विषय पर उन्होंने अधिकतर कहा। अब मैं नहीं समझता कि माननीय बांकेलाल जी में और उनमें दूरी क्या रह गयी? यह फैसला मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं।

मान्यवर, विरोध पक्ष की ओर से श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन रखे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि यही उनकी नीति है, जिस पर वह समय समय पर जोर देते आये हैं। इसमें एक संशोधन नं० ३ है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समाजवाद, प्रजातंत्र धर्म-निरपेक्षता के आधार पर देश व प्रदेश के समाजवादी निर्माण के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की नई केंद्रीय सरकार को सहयोग व सहकार देने की घोषणा नहीं है और दूसरा यह है कि प्रदेश में समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रदेश की सभी निजी चीनी मिलों को पब्लिक सेक्टर में ले लेने की घोषणा, राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों में हूं कि चाहे जिस प्रकार का जनता का फैसला हो उसे हृदय से माना जाय। उस तरह से लोक सभा के चुनाव में जनता ने जो फैसला दिया है उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित रूप से देश में परिवर्तन आयेगा, अब वह वांछनीय होगा या अवांछनीय होगा, उसका नतीजा जनता के सामने आयेगा और बाजपेई जी के सामने भी अवश्य आयेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सन् १९३७ में कांग्रेस का पहला मंत्रि-मण्डल बना था और इसका शासन १० सूबों में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रहते हुए कुछ जगह नगरपालिकाओं और टाउन एरिया कमेटियों के जो चुनाव हुए, उसमें उनकी पार्टी को इनी-निगी सीटें ही मिली थी। तो क्या मैं इस उदाहरण से यह समझूं कि उस समय के जो महान् नेता थे, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनमें जनता का अविश्वास था? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनाव इस बात के आईना कभी नहीं हो सकते कि यदि किसी दल को प्रदेश में सफलता नहीं मिली है तो उसकी सत्तारूढ़ पार्टी, बहुमत की पार्टी विधान सभा से इस्तीफा दे दे या उसकी पार्टी के सदस्य इस्तीफा दे दें। यह बात क़तई उचित नहीं हो सकती है।

[श्री रामधारी शास्त्री]

मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप चुनाव परिणाम पर गौर करें तो आप इस बात को कभी उचित नहीं ठहरा सकते हैं। जिस चालाकी से, जिस होशियारी से, और यदि श्रीमन् आज्ञा दें तो जिस धूर्तता से सारे देश और सारे प्रदेश में लोक सभा को भंग किया गया, और जिस सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव कराए गए वह किसी से छिपा नहीं है। यह सुनियोजित था। बंगाल और उड़ीसा में जहां लोक सभा के चुनाव विधान सभा के चुनावो के साथ हुये आप अपनी सारी शक्ति लगाने के बावजूद भी अपना बहुमत तक नहीं ला सके और इतना ही नहीं सारे दांव-पेंचों के बाद आप वहां पर अपनी सरकारें बनाने में असमर्थ रहे हैं। यदि बदकिस्मत से आपने वहां सरकार बना ली तो वह चल नहीं सकेगी, जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यदि लोक सभा के चुनाव विधान सभा के चुनावों के साथ हुए होते तो आज देश के सामने एक दूसरा ही चित्र होता। मैं आपके सामने इंदिरा गांधी के समाजवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं और गनेशदत्त बाजपेई जी से निवेदन है कि वह इसे हमारे नारायणदत्त तिवारी और अपनी सरकार तक अवश्य पहुंचा दें।

इंदिरा कांग्रेस का अधिकारिक अधिवेशन जो बंबई में ३१ दिसम्बर, ६९ को हुआ, जो अलग से उनका अपना अधिवेशन था, उसमें कई समाजवादी कार्यक्रमों की घोषणा की गई। किन्तु मैं आपसे पूछना चाहत हूं कि उस तारीख से लेकर पहली जनवरी, ७० तक उस समाजवाद पर कितना अमल किया गया ? इस पर आपको गंभीरता से विचार करना है। पहली जनवरी, १९७० को देश की जनता को, गरीब जगता को समाजवाद का जो तोहफा मिला वह यह था कि गोवा की राजधानी पंजी में जो खाद का कारखाना पब्लिक सेक्टर में खुलने वाला था, वह उनकी समाजवादी कार्यक्रमों के अन्तर्गत बिड़ला साहब को दे दिया गया। समाजवाद में ५६ करोड़ की लागत का कारखाना पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में एक बड़े महान् उद्योगपति बिड़ला जी को दे दिया गया। उन बिड़ला जी को दिया गया, जिनके विरुद्ध युवातुर्क सदस्य चन्द्रशेखर और मोहन धारिया आदि के कहने पर एक जांच आयोग मुकर्रर किया गया था, और जिस आयोग की अभी कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई थी। समाजवादी सरकार की तरफ से पहला समाजवादी कदम उनको ५६ करोड़ के कारखाने का लाइसेंस देना था। यह तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे किसी बी क्लास के हिस्ट्री-शीटर को पुलिस जलसे में कोई पदक देकर पुरस्कृत किया जाए और यह कहा जाए कि तुम इतने साहसी और चालाक बदमाश थे कि तुमको पकड़ने में हमारी पुलिस असमर्थ रही है, इसलिए तुम्हारी वीरता पर तुम्हें यह पदक प्रदान किया जाता है। मैं राज्यपाल महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे समाजवाद का अपने अभिभाषण में जिक्र नहीं किया।

सारे हिन्दुस्तान का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का प्रस्ताव पास होता है केवल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं आज भी कांग्रेस का प्रस्ताव है, कोई सुधार नहीं है। मेरी यह चुनौती है, कहीं भी आपकी पार्टी जिसमें आप आस्था प्रकट करना चाहते हैं सारे देश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करती। केवल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई। बाकी हिन्दुस्तान की चीनी मिलों का क्या होगा ? बिहार, राजस्थान, मध्य भारत, दक्षिण भारत की चीनी मिलों का क्या हुआ ? आप खामोश क्यों थे ? मैं समझता हूं कि यहां सी० बी० गुप्ता की सरकार थी, उसको टापिल डाउन करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ था और आप उसमें कामयाब हुए लेकिन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। यह कौन सा समाजवादी कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो बाकी चीनी मिलें वैसे ही रह जाएं ? उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने के बाद बाकी चीनी मिलों से पैसा आयेगा ताकि उससे एम्बेसडर गाड़ियां खरीद कर उम्मीदवारों में बांटी जाएं। यह दूसरा समाजवादी कदम है।

यह उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी नालायक है जैसा आप समझते हैं लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करती उसको क्या रुकावट है ? यह झगड़ा चला कि उत्तर प्रदेश की

सरकार सक्षम है या नहीं, भारत सरकार सक्षम है या नहीं। इस पर विवाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है या नहीं लेकिन यह निर्विवाद है कि भारत सरकार चीनी मिलों का ही नहीं सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं किया। आपका समाजवादी समाज कहां चला गया जो दुनिया के सामने रखते हैं। आपके ३१ दिसम्बर, १९७० के प्रस्ताव के बाद छड़ों के क्या भाव हो गये ? यहां तक हो गया कि होली में डालडा नहीं मिला, किसी भाव पर। यह तो इंदिरा जी का समाजवाद है। उस समाजवाद में होली के मौके पर पूड़ियां नहीं बन सकीं। यह समाजवाद का दूसरा नमूना है। लिवर ब्रदर्स से आपकी कांग्रेस ने पैसा लिया जिनके नाम पर बड़े जोर से हल्ला करते हैं। न कोई फैक्टरी बन्द हुई थी और न आज कोई नई फैक्टरी खुल गई है लेकिन फिर मार्केट में डालडा सामान्य रूप से मिल रहा है। (व्यवधान) आप दिल थाम कर सुनिए। मेरी चुनौती है अगर मेरे तथ्यों को आप काट दें। समाजवाद के मानी क्या हैं। समाजवाद के मानी हैं समाज में बराबरी। मैं समझता हूं कि बाजपेयी जी भी इससे सहमत होंगे।

सारे अर्थ शास्त्री मानते हैं कि समाज में सबसे छोटे और सबसे बड़े वर्ग की आमदनी को देखें उनमें एक और दस से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। अगर इससे अधिक का अन्तर है तो वह समाजवादी नहीं है। मैं बाजपेई जी से कहूंगा कि माननीया इन्दिरा जी पांच वर्ष तक प्रधान मंत्री रही हैं और नहीं मालूम कब तक रहेंगी। राष्ट्रपति का वेतन १० हजार रुपये महीने है और तनख्वाह को छोड़ कर उनकी साज-सज्जों पर करीब डेढ़ लाख रुपये का खर्च है। दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार का जो सबसे छोटा इम्प्लाई है उसकी क्या तनख्वाह है, प्रदेशीय सरकार को आप छोड़ दीजिए। उसका चौकीदार दस रुपये महीना तनख्वाह पाता है। इसी तरह से, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन एक तथ्य है, राज्यपाल पर कितना खर्च होता है ? १२ लाख रुपये सालाना खर्च है, एक लाख रुपये महीना राज्यपाल भवन, उनकी तनख्वाह और उनकी साज-सज्जा पर खर्च होता है।

मेरी चुनौती है कि पांच वर्ष में इन बड़ी तनख्वाहों और खर्चों को कम करने के लिए कौन-सा प्रस्ताव पार्लियामेन्ट में आया ? विधान सभा इसके लिए सक्षम नहीं है। विधान सभा राज्यपाल के वेतन को कम नहीं कर सकती। बड़े-बड़े सरकारी अफसर, आई०सी०एस० और आई० ए० एस० के वेतनों को कम नहीं कर सकती। यह दिल्ली की सभा कर सकती है लेकिन क्यों नहीं किया। क्या समाजवादी कदम यही है ?

अब अन्तर्राष्ट्रीयता की बात भी सुन लीजिए। २ अक्तूबर, को यहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई और राष्ट्रपति महोदय उस समय मास्को में थे। जो घोषणा-पत्र राष्ट्रपति को उस समय मास्को भेजा गया था उसका रूसी अनुवाद भी यहां से उसके साथ भेजा गया था समाचार-पत्रों की इस खबर का सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया। अब अगर रूसी अनुवाद भी यहां से अपने राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है ? क्या वह उचित है ? समाजवाद क नाम पर और गरीबों के नाम पर रूसी अनुवाद यहां से भेजा जाय तो देश तथा प्रदेश की जनता समझ ले कि देश को इन्द्रा गांधी की सरकार किस तरफ ले जाना चाहती है।

एक बात मैं वैदेशिक नीति के संबंध में भी कह देना चाहता हूं जिसके लिये इन्दिरा जी को दुहाई दी जाती है। आप देखें कि विदेशों में आपके देश की क्या हालत है ? सदन इस बात से अवगत है कि दुनिया में दो बड़े देश हैं। हमारे राष्ट्रपति गिरि रूस गये और ९ दिन तक वहां रहे लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक कोसिजिन शिष्टाचार निबाहने हेतु भी उनसे मिलने नहीं आए। इसी प्रकार प्रधान मंत्री अमेरिका गईं तो राजनैतिक शिष्टाचर के विपरीत यहां पर अमेरिकी राजदूत उन्हें विदा देने नहीं गया और अमेरिकी सरकार का चपरासी भी हवाई अड्डे पर स्वागत के लिये नहीं था। इस प्रकार इस मुल्क के प्रधान मंत्री की बेइज्जती होती है। कोई दूसरा मुल्क होता तो यह सब होने पर वह सरकार नहीं रह पाती लेकिन यहां

[श्री रामधारी शास्त्री]

अपमान का घूंट पीना पड़ा और न जानें कब तक पीना पड़ेगा। क्या इस तरह से समाजवाद की रचना होगी ऐसे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जिसने कोई काम नहीं किया।

कहा जाता है कि हमने कुछ नहीं किया। सवा ६ एकड़ पर से मालगुजारी खत्म करके ८५ प्रतिशत किसानों को हमने राहत दी। पिछली विधान सभा में माननीय कमलापति त्रिपाठी का और चतुर्भुज शर्मा जी का भाषण बड़े जोर से इस सदन ने सुना होगा लेकिन जब उनकी सरकार थी तो सवा ३ एकड़ के लगान को वह माफ नहीं कर सकी। जब उनकी सपोर्ट से श्री चरण-सिंह मुख्य मंत्री बने थे तो कहा था कि ३० एकड़ की सीलिंग होगी लेकिन हिम्मत नहीं हुई उसे करने की। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से जानना चाहता हूं कि उनके समाजवाद के कार्यक्रम में क्या लिखा हुआ है? समाजवाद कोई गोलगप्पा तो है नहीं जिसे खाकर पेट भर जाय। आप उसे किसी रोज हाउस में एक्सप्लेन कर दें कि आप जो चुनाव लड़ें उसमें कौन-सा समाजवादी कार्यक्रम आपने रखा है, उसकी घोषणा होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश तथा इस विधान सभा के इतिहास से अगर गरीबों के लिए कोई काम हुआ है तो यह है कि ८५ प्रतिशत किसानों की मालगुजारी माफ हुई और अलाभकर जोतों से उनका खात्मा हुआ।

श्रीमन्, अध्यापकों के बारे में यहां पर बातें की गईं किन्तु खुद मियां फजीहत, दीगरां नसीहत। श्रीमन्, संविद की सरकार यहां पर २ वक्त आई है। एक बार तो अल्पकाल के लिए थी और दूसरी बार आज जो यह सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीया कांग्रेस दल की जो जिम्मेदार अधिकारिणी हैं वे खुद ही शिक्षा मंत्री के पद पर रह चुकी हैं उन्होंने क्यों नहीं विद्यार्थियों और अध्यापकों की जिम्मेदारी ली। मान्यवर, यह उस सरकार की हैसियत नहीं थी कि अध्यापकों का मामला निपटा सकें। उनको साहस नहीं था कि उनके वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर सके। राज्य कर्मचारियों का ही मामला ले लीजिए। यह तो कोई नया मामला नहीं था। क्यों नहीं सरकार ने उनको निपटाया।

इस सरकार ने १५ करोड़ रुपया इस बजट में राज्य कर्मचारियों के लिये प्राविधान किया है उनको महंगाई भत्ता देने के लिये। ऐसा वह सरकार नहीं कर सकी थी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्यों नहीं केंद्र इस प्रदेश को पैसा दे रहा है जबकि दूसरे छोटे-छोटे प्रदेशों को अरबों और करोड़ों की तादाद में रुपया दे दिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश ने क्या कसूर किया है? इस प्रदेश ने यही कसूर किया है कि देश में जितने भी प्रधान मंत्री हुए हैं वे इसी प्रदेश में पैदा हुए हैं और इसीलिए इस प्रदेश को पैसा नहीं मिल रहा है।

आज आप देश में समाजवादी समाज की रचना करने की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप कोई भी अपना घोषणा-पत्र अपना दिखा दें कि आपने क्या किया है। एक चीज जरूर नजर आती है, श्रीमन्, यदि माननीय बाजपेई जी मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करेंगे कि आज जो नग्न-नृत्य कपूर होटल के कमरा नं० २६ में हो रहा है, शराब की बोतलों में लोग बिक रहे हैं। लाखों रुपयों में लोग खरीदे जा रहे हैं.... (घोर व्यवधान)..। इसमें जरा भी असत्य नहीं है। यदि बाजपेयी जी यह कहें कि यह सब गलत है तो मैं इस सदन से उठकर बाहर जाने को तैयार हूं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कपूर होटल के कमरा नं० २६ में शराब की बोतलों में लाखों रुपयों में लोगों की, एम० एल० एज० की आत्माएं खरीदी जा रही हैं। मैं पूछता हूं कि क्या यही वास्तविक समाजवाद लाने की बात है। किस प्रकार इस तरह से देश में जनतंत्र पनप सकेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में सन् १९४१ में जेल गया था आप तो उसके बाद ही आए होंगे। मैं भी जानता हूं कि यहां पर एक तस्वीर गांधी जी की लगी हुई है उसी के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। तब ऐसा नहीं होता था कि जनतंत्र को चलाने के लिए एम० एल० एज० की आत्माओं को खरीदा जाय। श्रीमन, इस तरह के समाजवादी

समाज की रचना के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई जिक्र नहीं है, इतना ही मुझे कहना था ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो आपने अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस अभिभाषण के संबंध में मैंने स्वयं सदन में चर्चा सुनी और उसमें पढ़ी भी हैं । अभी हाल ही में जो लोक सभा के चुनाव हुए है उनको लेकर इस अभिभाषण की शुरुवात हुई है । मान्यवर, सरकारी पक्ष में जो सदस्यगण बैठे हुए हैं उनकी बातें भी मैंने सुनी हैं प्रत्येक सदस्य ने जोकि उधर बैठे हुए हैं उनकी जवान से मैंने एक ही बात सुनी कि लोक सभा के चुनाव में बेईमानी की गई वोटर लिस्टों में नाम काट दिए गए . . .

श्री रामधारी शास्त्री—

मैंने नहीं कहा . . . .

श्री रामलाल राही—

जिन लोगों ने कहा है, मैंने नाम तो नहीं लिया है । कहीं चुनाव आयोग ने बेईमानी करा दी, कहीं पैसे दे करके वोटर खरीद लिये गए—यही दो-तीन बातें मुख्य रूप से अधिकांश सदस्यों ने कहीं । (व्यवधान) श्रीमन्, माननीय सदस्य को रोके अन्यथा जब ये बोलने खड़े होंगे तो मैं भी बहुत सी शरारत कर लेता हूं । अगर सभ्यता बरतेंगे तो मैं भी सभ्यता बरतूंगा और अगर शरारत करेंगे तो इससे कहीं अधिक शरारत होगी । तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसी तरह की बातें कही गयीं । मान्यवर, सीतापुर के सदस्य महोदय बैठे हैं । मैं उनके और सरकारी पक्ष में शास्त्री जी राज्य मंत्री बैठे हैं, उनको जानकारी होगी—मेरे सीतापुर में जो उम्मीदवार लोक सभा का चुनाव लड़ रहा था वह जनसंघी बिरलाजी का उम्मीदवार था, जयनारायन राठी करके नाम है और जो कांग्रेस पक्ष का उम्मीदवार था वह लेबर नेता था, मजदूरों में काम करने वाला आदमी । अब आप बताइए मान्यवर, मैं इन सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा शास्त्री जी से कि क्या लेबर में काम करने वाला आदमी पैसे पर वोटर खरीद सकता है या बिरला जी का उम्मीदवार पैसे पर खरीदेगा . . . .

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

मैं बता दूं कि शराब की बोतलें जिस तरह से सीतापुर में चली हैं इन्डीकेट की तरफ से, शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं चली होंगी जिसको बताते हैं कि लेबर लीडर था ।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वह भी उसी राठी के सम्मान में काम कर रहे थे इसलिए उनको ज्यादा जानकारी हुई है . . . .

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री रामलाल राही—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक गरीब आदमी पैसे से किसी को खरीद नहीं सकता, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता । हां, इस पर विश्वास अवश्य किया जा सकता है कि पूंजीपति, मिल-मालिक या उसका समर्थक जरूर पैसा खर्च कर सकता है, जरूर मतदाताओं को खरीद सकता है और अवश्य ही यह मेरे जिले में हुआ है । हरगांव मेरी कांस्टीयूएन्सी में है । मिल के तीन-तीन मैनेजर लगातार एलेक्शन के टाइम तक मैं वहां देखता रहा

[श्री रामलाल राही]

कि एक-एक प्रधान को बुलाकर, एक एक सरपंच को बुलाकर, एक एक ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जिनकी जानकारी उन्हें हुई कि उसके पीछे ५०–२५ वोट हैं उनको पैसे से खरीदा गया। लेकिन पैसा काम न आया, वह खरीदने वाला धन्धा इनका काम नहीं आया और उसी क्षेत्र से १५ हजार मतों से मुंह की खानी पड़ी, पैसे वाले मुंह देखते रह गये। इलेक्शन जीतने के बाद जनता ने और मैंने सुना कि यह नारा लगाया कि "हारा कौन ? पैसे वाला। और जीता कौन ? गाय-बछड़े वाला ! ! तो गाय-बछड़े वाला गरीब आदमी पैसा नहीं लगा सकता था, वह पूंजी-पति, मिल-मालिक, टाटा बिरला का आदमी ही भ्रष्टाचार करता है पैसे से और शराब बटवा सकता है, मतदाताओं को बरगला सकता है। तो सरकारी पक्ष की तरफ से जो बात कही गई वह असत्य है, प्रपंच है, मिथ्या है, ढोंग है, केवल अपनी खीझ मिटाने के लिए सरकारी पक्ष के लोग यह सब कहते हैं।

मान्यवर, अभी हमारे शास्त्री जी जो इस सरकार में राज्य मंत्री हैं, कह रहे थे कि लोक सभा के चुनाव में असरदार हुई, बड़ी चर्चा हुई और इससे पहले कोई मिसाल आपने दी कि उस टाइम में सन ३७ में जब अल्पमत में कांग्रेस के लोग जीत कर आए थे तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया था ? मैं शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि खैर,लोक सभा की बात है,ठीक है,यहां की सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, यहां के सदस्यों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए सरकारी पक्ष वालों को, लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी तो अभी मनीराम क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। और मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्रीजी ही लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश का मंत्रि-मंडल उस क्षेत्र में काम कर रहा था, यही नहीं बिहार के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर भी वहां विराजमान थे लेकिन जनता ने मुख्य मंत्रीजी को हरा कर और श्री द्विवेदी जी को जिता कर एक सबक सिखाया और इसलिये हराया कि जनता को उनकी नीतियां पसंद नहीं थी। फिर क्यों नहीं मुख्य मंत्रीजी ने इस्तीफा दे दिया। अगर मुख्य मंत्रीजी ने इस्तीफा नहीं दिया और मंत्रीजी बहुत शर्मदार थे तो उनको ही इस सरकार से हटाया जाना चाहिये था।

श्री रामधारी शास्त्री—

हम दल बदल कर तो आये नहीं।

श्री रामलाल राही—

जरा भी हया शर्म होती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये था। आप दूसरा मुख्य मंत्री चुन कर नया मंत्रि-मंडल बना लेते तो कुछ तो मर्यादा रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस सरकार के मंत्रि-मंडल के लोग बड़ी ईमानदारी की दुहाई देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिये। चुल्लूभर पानी में डूब मरना चाहिये। इस अभिभाषण में हरिजनों का नाम लेकर उनकी वकालत की गयी है। यह भी कहा गया कि समिति का गठन किया जा रहा है। हरिजनों ने अच्छा सबक जनसंघ को सिखाया है। वे उनको अच्छी तरह से जान गये हैं। इसीलिये हरिजन दिखाई देने लगे हैं पर इन्दिरा की कृपा से चांर धब्बे रह गये हैं और प्रदेशों में अगर जनता को मौका मिला तो वे भी मिट जायंगे और प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी तत्वों का सदा के लिये ह्रास हो जायगा जब हरिजन और दिखाई पड़ेंगे। हरिजनों के लिये कहा गया कि रिजर्वेशन १८ प्रतिशत से बढ़ा कर उनका प्रतिशत २५, ३५ ४५ न जाने कितना-कितना किया जा रहा है। १८ फीसदी तो नौकरी उनको आप दिला नहीं पाये, किसी विभाग में पूरे नहीं तो और क्या दिलायेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह तो आप नहीं दिला पाये।

श्री रामलाल राही—

हरिजन आपके लंबे लंबे आंकड़ों पर अब विश्वास कभी नहीं कर सकते। यह केवल धोखा है। आप बात तो समाजवाद की करते हैं और बैठते हैं जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी जैसे

प्रति क्रियावादी के साथ। अगर आप सच्चे रूप में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप प्रतिक्रियावादी तत्वों को छोड़ कर इधर आकर बैठिये। तो यह प्रतिक्रियावादी लोगों को छोड़ कर इधर आ कर बैठें। कुछ साथियों ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। (व्यवधान) आप भी हरिजन हैं, हरिजनों के साथ विश्वासघात करके वहां बैठे हैं। मुझे दुख है कि हमारे कुछ साथी जो अपने को समाजवादी कहते हैं और अगल बगल में उनके पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी लोग बैठते हैं उनसे घिरे हैं हिम्मत करके उनको वे लोग छोड़ कर इधर चले आये। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे साथी अब भी इधर आ जायें ताकि देश और प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये, समाजवादी समाज कायम करने के लिये एक मजबूत संगठन बने और उसके आधार पर इस देश और प्रदेश से गरीबी मिटाने में हम सभी लोग सहयोग करें। शास्त्री जी ने लोक सभा के चुनावों की बात कह कर नैतिकता और भ्रष्टाचार की बड़ी दुहाई दी।

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, मैंने नैतिकता और भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं लिया। उनको गलतफहमी है। अगर इस तरह से वे सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारी बात का जवाब देने के लिये अभी तो उनको १०/१२ साल कालेज में पढ़ना पड़ेगा।

श्री रामलाल राही---

मान्यवर, इस अभिभाषण में खेती बारी, बिजली सिंचाई के संबंध में भी थोड़ा बहुत जिक्र है। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के संबंध में एक भी शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिये नहीं कि यह धोखे में छोड़ गये हैं बल्कि इसलिये ये स्वयं भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। उसे रोकने में असमर्थ हैं। आज जिस विभाग को देखें उसी में घोर भ्रष्टाचार है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दो मिनट का समय और दे दीजिए बिजली विभाग में चौधरी साहब ने एस० एन० सिंह साहब को विद्युत बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। उसमें लाखों करोड़ों का गबन है। स्टोर्स से सामान गायब है। आडिट रिपोर्ट से भी साबित हो चुका है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने कल सीतापुर, कृषि विभाग के बारे में एक प्रश्न किया था जिसमें छः सात लाख रुपये का गबन पाया गया है। लेकिन इस शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। भ्रष्टाचार बढ़ाने में यह सरकार जितना अधिक सहयोग देती है उतना शायद ही किसी और सरकार ने दिया हो। मैं कहूंगा कि उनको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये अगर उनमें तनिक भी नैतिकता, हेया और शर्म है।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री मोतीलाल देहलवी)---

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने लोक सभा के चुनाव को लेकर नैतिकता की बात न की होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन क्योंकि माननीय तिवारी जी ने नैतिकता की बात की है इस लिये मैं अभी तक जिन सभाओं में जो बातें कह चुका हूं वही विधान सभा में कहना चाहूंगा और जो बात मैं कहूंगा अगर उनमें से कोई भी बात गलत साबित कर दें तो मैं इसी समय, इसी क्षण मंत्रि-पद से और एम० एल० ए० पद से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा।

मैं आप को विश्वास दिलाता हूं। पहली बात तो यह कि लोक सभा के चुनाव के बारे में जो नैतिक स्तर की बात की गई मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी अन्तरात्मा पर हाथ रखकर देखें और जो लोग लोक सभा की गिनती में रहे हैं वे यह बतायें कि क्या यह बात गलत है कि गाय-बछड़े पर मुहर एक जगह पर मिली है, पेट पर या बैलों की सींग पर। अगर यह बात सही है तो विरोधी बैन्च पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उन सब को मुहर दे दी जाय अगर सब लोग एक ही जगह मुहर लगा कर दिखा दें तो मैं इसी क्षण मंत्री-पद से व एम० एल० ए० से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। अगर ये लोग एक जगह मुहर नहीं लगा सकते तो मानी हुई बात है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

दूसरी बात जनरल करिअप्पा जैसा आदमी, जो फौजी आदमी है, जिसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है, जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि वह आदमी वोट के लिये झूठ नहीं बोल सकता है, अगर वह यह बात कहता है कि उन्होंने वोट डालते वक्त बैलट पेपर का नम्बर नोट कर लिया था और जब वह गिनती में गये तो उनके बैलट पेपर पर गाय और बछड़े पर मुहर लगी हुई थी। क्या यह गलत है ?

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि साढ़े सात सौ रुपये में मैं असेम्बली का चुनाव जीत कर आया था और वह साढ़े सात सौ रुपया भी अपनी टोपी में, क्षेत्र के लोगों से एक-एक पैसा मांग कर चुनाव लड़ा था। लोक सभा के चुनाव में सरकार की तरफ से निर्देश था कि ३५ हजार रुपये से ज्यादा कोई उम्मीदवार खर्चा न करे। अगर श्रीमती इन्दिरा गान्धी में और आप लोगों में नैतिकता है तो आज आप इमानदारी से कहें कि क्या उन्होंने ३५ हजार रुपया में चुनाव लड़ा है ? अगर यह नहीं कह सकते तो झूठ बोलना क्या नैतिकता है? घोर अनैतिकता है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ीं। वहां आज भी कोई चला जाय और देख ले कि दीवारों पर क्या लिखा हुआ है राजनारायण के खिलाफ ? जहां राजनारायण जी मीटिंग करते थे वहां ये नैतिक स्तर का दावा करने वाले लोग साइकिल का खेल दिखाते थे, लड़कों का नाच कराते थे, जादू दिखाते थे और राजनारायण की सभा में बाधा पहुंचाते थे। वहां कौन सी गुन्डागीरी नहीं हुई ? क्या यह भी नैतिक स्तर की बात है कि आप जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुनाव लड़ें और किसी की सभा को भंग करने की साजिश करें ? श्री राजनारायण उम्मीदवार को गाली दी गई। मैं भी रायबरेली के चुनाव में गया था। मेरे सामने इंडीकेट के लोगों ने राजनारायण जी के पोस्टर फाड़े। मेरे सामने नारा लगाया गया कि राजनारायण का क्या स्तर है। वह गुन्डा है, लफंगा है और बेईमान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो आप सब लोगों की आका बनी हुई हैं, क्या उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में श्री रेड्डी के नाम का खुद प्रस्ताव नहीं किया ? लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया और वी० वी० गिरि को वोट दिलाया। क्या यह नैतिकता के स्तर की पहचान है ?

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वही इन्दिरा गान्धी, जो एक सप्ताह पहले कहती रहीं कि लोक सभा भंग नहीं होगी और मध्यावधि चुनाव नहीं होगा उसके बाद लोक सभा को भंग किया और मध्यावधि चुनाव कराया। क्या झूठ बोलना भी नैतिकता का स्तर है ? क्या देश के लोगों को धोखा देना भी नैतिकता है ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा-गांधी, अगर उनमें हिम्मत है तो तमाम देश को बतायें कि वह लाखों रुपयों का मिन्क कोट जो वह पहनती हैं कहां से आया ? क्या यह भी कोई नैतिकता की पहचान है ? अगर नैतिकता के स्तर की बात है श्रीमती इन्दिरा गांधी में तो मैं यह जानना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ चुनाव के दौरान, वह कहां से आया ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी देश की नौकर हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह के अन्दर चार साल में उन्होंने कितना रुपया बचाया और उस रुपये को बचाने के बाद जो चुनाव में खर्च किया वह कितना किया ? आज देश यह जानना चाहता है कि वह रुपया कहां से आया ? इन कांग्रेस के लोगों ने बम्बई में एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन के बाद डालडा ब्लैक में चला गया। डालडा बाजार से गायब हो गया। डालडा के दाम बढ़ गये। ये दाम क्यों बढ़े ? मैं इन सब बातों को जानना चाहता हूं। आज तक दुनियां में कहीं ऐसा समाजवाद देखने में नहीं आया कि जिनके साथ पूंजीपति रहते हों और वे अपने को समाजवादी

कहते हों। हम ही सब लोग इस तरह के हैं जो आजादी के बाद से २३ सालों से इनकी जेल काट रहे हैं। इनके डंडे खा रहे हैं और जेल में मरते हैं। डा० राममनोहर लोहिया को जेल के अन्दर इनके शासन में नेहरू जी के सामने घसीटा गया, ऐसा क्यों ? हमारा भी एक समाजवाद है।

हम क्यों जेल काटते हैं और काट रहे हैं २३ साल से इसलिये कि आमदनी और खर्चे में समानता बान्धे। इस देश के अन्दर कम से कम आमदनी १५० रु० से कम न हो और १,५०० से ज्यादा न हो। आज बिड़ला की आमदनी क्या है ? लाखों रुपया आमदनी रोजाना बिड़ला की है, अगर इन कांग्रेस के लोगों में ईमानदारी होती, सच्चाई होती या समाजवादी तत्व होते तो हम जैसे समाजवादियों को इन पिछले २३ सालों में जेलों में न सड़ाया गया होता। हम पर एक ही आरोप था, हमारा एक ही गुनाह था कि हम बराबर मांग करते रहे कि किसी व्यक्ति की आय और खर्च में १ और १० से अधिक का अन्तर न हो। हम बराबर कहते रहे हैं कि चीजों के दाम बांधों, जिन्दगी की जरूरत की कोई चीज अपनी लागत के दाम से ड्योढ़े से अधिक दाम पर बिके।

हमारे एक अछूत भाई अभी भाषण देकर चले गये। मैं उनसे कहूंगा कि अगर आय और खर्च में इस देश में सीमा बंध जाय तो उस का लाभ किस को होगा ? उसका लाभ ब्राह्मण और ठाकुर लोगों को नहीं होगा. उस का लाभ अछूतों को ही होगा। इस देश में सब से कम आय वाले कौन लोग हैं ? वे हरिजन और अछूत ही हैं। अगर इस देश में जिन्दगी की जरूरत की चीजों के दाम बंध जायं तो किस को ज्यादा लाभ होगा ? सब से ज्यादा फायदा अछूतों का होगा क्योंकि उनकी आय कम है। यह देश की विडम्बना है और आखों में धूल झोंकी गई है। इन पिछले सालों में ६ आना सेर चीनी की लागत के दाम थे लेकिन उसे ४ रुपया सेर बिकवाया गया, कभी ६ रुपया सेर बिकवाया गया, इससे ज्यादा शर्म की और गैर-समाजवादी बात और क्या हो सकती है।

इसी तरह से मिट्टी के तेल की एक बोतल की लागत ५ पैसा होती है लेकिन एक बोतल तेल कभी १ रुपये में और कभी सवा रुपये में बिकवाया गया। हम चिल्लाते रहे, आन्दोलन चलाते रहे और उसके नतीजे में जेलों में सड़ाये जाते रहे। हमारा एक ही कसूर था कि हम कहते रहे कि चीजों के दाम बांधों, कोई चीज अपनी लागत के दाम के ड्योढ़े से ज्यादा में न बिके। हमने कहा कि जमीन का बटवारा करो, जो मेहनत करने वाले हैं, हल चलाने वाले हैं उनको जमीन दो, इससे पैदावार भी बढ़ेगी, बेकारी भी घ गी और साथ ही भूमिहीनों को कुछ राहत भी मिलेगी। लेकिन उस वक्त भी जवाहरलाल जी नेहरू हमेशा कहते रहे कि जमीन क्या कोई रबड़ है जो बढ़ाकर सबको दी जाय। यह वही कांग्रेस है, वही जवाहर लाल नेहरू के लोग हैं, उन्हीं की बिटिया यह श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं जो उसी समाजवाद में विश्वास करती हैं जो उनके पिता जी कहते थे कि समाजवाद एक विदेशी चीज है, इसकी क्या जरूरत है।

हम २३ साल से बराबर जेल काटते रहे, डंडे खाते रहे, जेलों में इनकी मार खाते रहे। आज इनका नया समाजवाद आया है, हम गैर समाजवादी हो गये लेकिन अगर तुम्हारे में समाजवादी तत्व होता और यदि तुम ईमानदारी से यहां समाजवाद लाना चाहते थे तो २३ साल में आपने जनता की जरूरत की चीजों के दाम लागत से ड्योढ़े से अधिक न उठने दिये होते। आपने उनको ५ गुने पर ही बांधा होता, ६ गुने पर ही बांधा होता, कुछ तो अपने समाजवाद का नमूना दिखाया होता, विश्वास होता कि हां तुम भी कुछ करना चाहते हो। अगर तुम्हारे अन्दर ईमानदारी से तत्व समाजवाद के कुछ हैं तो आप आय और खर्च की सीमा को कहीं तो बांधे। सोशलिस्ट पार्टी की बात को जाने दीजिये, आप १ और ५० का अन्तर बांधते, १ और ६० का बांधते या एक और सौ का ही बांध कर दिखाया होता, कोई तो नमूना आप पेश करते लेकिन तुमने क्या किया इन २३ सालों में। आपके इस जमाने में बिरला की आय बराबर बढ़ती गई और गरीबों की आय बराबर घटती गई।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

श्री जवाहर लाल नेहरू हमेशा चुनाव में इस बात को मानते रहे कि अमीरों की आमदनी बढ़ी है और गरीबों की आमदनी घटी है। आज इनकी बिटिया ने भी चुनाव में स्वीकार किया कि अमीरों की आमदनी बढ़ी है और गरीबों की आमदनी घटी है। आज अगर उनका सही समाजवाद होता और अगर यह बात ईमानदारी की होती तो उनकी बिटिया ने एलान कर दिया होता और अपने घोषणा-पत्र में साफ लिख दिया होता कि आमदनी और खर्चे की सीमा में पाबन्दी लगेगी। अगर उनके अन्दर जरा भी सच्चाई होती तो अपने घोषणा-पत्र में जिन्दगी की जरूरत की चीजों के दाम घटाने की स्पष्ट घोषणा की होती, कहां है वह घोषणा-पत्र ? अगर उसमें हो तो मैं आज इसी समय मंत्रि-परिषद और सदन की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, कपूर होटल में सौदा नहीं करायेंगे, सरकार रहे या जहन्नुम में जाये, कल जाती है तो भले ही आज चली जाय लेकिन डा० लोहिया ने हमें जो समाजवाद सिखाया है, उससे भटकेंगे नहीं, इसीलिए कि हम जानते हैं कि एक इंदिरा-गांधी नहीं हजार इंदिरा गांधी पैदा हो जायं, कांग्रेस का जो तरीका है, उसका ढांचा है, उससे एक हजार साल में भी कांग्रेस के लोग समाजवाद नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। जो चीज जिस काम के लिये बनायी गयी है, उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो सकता है। अगर सुनार की हथौड़ी, जो औजार और सोने के जेवर बनाने के काम आती है, को घन चलाने के लिए कहा जाय तो संभव नहीं है, असम्भव है। इंदिरा गांधी की कांग्रेस समाजवादी हो ही नहीं सकती क्योंकि यह सिर्फ आजादी के लिये बनी थी, समाजवाद के लिये नहीं। कांग्रेस का ढांचा पूंजीवादी है। इनसे देश में समाजवाद हजार साल में भी नहीं आ सकता है।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोई केबिनेट स्तर का मन्त्री नहीं बैठा है ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

बम्बई सम्मेलन के बाद बिरला साहब को ५६ करोड़ का खाद के कारखाने का लाइसेंस गोवा के अन्दर दिया गया। मेरे हरिजन भाई ने कहा बिरला के उम्मीदवार इतने बेवकूफ आदमी नहीं हैं, मुनाफा तो कमायें आप से और उम्मीदवार लड़ायें विरोध पक्ष से। यह असम्भव बात है असंगत बात है। आज देश की हालत बहुत खराब होती जा रही है। एक समय था जब राजनीतिक लोगों की इज्जत होती थी। वे लोग झूठ बोलना गुनाह और पाप समझते थे। इसलिए इनकी इज्जत थी। आज श्रीमन्, बस में चलें या रेल में चलें या बाजार में खड़े हों तो हर खद्दरधारी हिकारत व नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। आज कैसे एम० एल० ए० के लिए एक मिनट में इंदिरा गांधी गैर समाजवादी और एक मिनट में समाजवादी हो जाती हैं। मुझे अफसोस है कि चुने विधायक अपने ईमान का सौदा करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। यह शर्म और अफसोस की बात है। हम जनता के अन्दर काम करते हैं। उनकी सेवा का दम भरते हैं। वह हम पर विश्वास करती है और यहां पर जब हम चुनकर आ जाते हैं तो एक मिनट में बदल जाते हैं। यह शर्म और लानत की बात है।

मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों की उमरें खत्म हो गयीं हैं। आज हैं कल नहीं है। दुनिया में इस देश को रहना है और यह देश तभी रहेगा जब राजनैतिक लोगों पर विश्वास हो और आस्था हो जनता को। वर्ना अगर यह चाहते हैं कि नक्सलवाद को मिटा दें, खत्म कर दें, यह श्रीमन, सम्भव नहीं है, असम्भव बात है। आज जो जनतन्त्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं उनके शासन में यह होने लगेगा कि हिन्दुस्तान में मोहरें चुनाव के टाइम एक जगह पर मिलें तो लोगों का जनतंत्र से विश्वास उठ जायेगा और फिर जो गैर-मुल्क के वफादार लोग हैं, जो नक्सलवादी लोग हैं, जनता उन पर विश्वास करेगी।

मेरा कहना यह है कि हम लोगों की उमरें ज्यादा हो गई हैं। आज हैं कल नहीं हैं। देश को रहना है। देश की भावी पीढ़ी को रहना है। अगर जनतंत्र को जिन्दा रखना चाहते हो, जनत त्र पर विश्वास रखना चाहते हो और जनता के द्वारा जनता की सरकार चाहते हो तो मेरे दोस्तो, मेरे भाइयो, मेरी आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मिनट-मिनट में अपने को बदलना बन्द कर दो। यही एक विकल्प रह गया है। लेकिन आज जो विधान सभा में, लखनऊ में हो रहा है, अभी सुख को भोग सकते हैं, लालच में स्वार्थ में अंधे हो सकते हैं, विवेक को खो सकते हैं, मेरे भाई-कभी इसके दूरगामी परिणाम के बारे में भी सोचा ?

मैं बहुत छोटा आदमी हूं। केवल ७५० रुपये में चुनाव लड़कर आया हूं और वह भी एक-एक पैसा हमारे क्षेत्र के लोगों ने खर्च किया है। ६७ में भी और इस मध्यावधि चुनाव में भी। अपने काम पर विश्वास करो। अपने ईमान पर विश्वास करो। अपनी आत्मा पर विश्वास करो। आप क्या यह समझते हैं कि इन्दिरा गांधी जी ने अपने बेटे को मोटर के कारखाने का लाइसेन्स देकर कोई अच्छा काम किया है ? मैं कहना चाहता हूं कि इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यह एक दुर्घटना है अपने देश के इतिहास में और इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। जो आज २३ सालों में हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज सहज बुद्धि से आप लोग सोचें। जब प्रधान मन्त्री अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिये, अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, अपने बेटे को लाइसेन्स दे सकती हैं तो दूसरे मंत्री जो उनसे छोटे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बेटे हैं, वे भी अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहेंगे। (व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो दूसरे मिनिस्टर हैं क्या उनके बच्चे नहीं है ? वह भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहेंगे और जब वह भी अपने बच्चों को लाइसेंस देंगे तो देश के प्रधान मंत्री श्रीमती इंन्दिरा गांधी की यह औकात नहीं है कि उनको रोक सके। और इसी तरह से जो बड़े-बड़े अफसर हैं, सेक्रेटरी हैं, जब वह देखेंगे कि प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्री अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लाइसेंस दे सकते हैं, उनको करोड़पति बना सकते हैं, तो उन आई० ए० एस० अफसरों की भी लार टपकेगी। तब एक बात चलेगी मैं कहूं न तेरी और तू कहे न मेरी, तू भी खा और मैं भी खाऊं। यह स्थिति हो जायेगी। अगर सही में समाजवादी काम करना चाहते हैं तो दिल्ली में भी होने दो समाजवाद और लखनऊ में भी होने दो, दोनों का मुकाबला हो जायगा, दोनों का इम्तहान हो जायगा कि कौन समाजवादी है और कौन गैर समाजवादी है। इसलिए मैं आखिर में कहूंगा कि देश को बनाने की बात सोचे और अपने स्वार्थ को दबायें, विवेक से काम लें, अन्तरात्मा का सौदा नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जैसे छोटे आदमी की बात पर आप सब लोग गंभीरता से सोचेंगे।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के एड्रेस में तरमीम पेश करने के लिए मैंने वक्त मांगा है और मैं बेहद मश्कूर हूं कि आपने मुझे भी थोड़ा सा वक्त दिया। मैं सदन के सामने मुख्तलिफ समस्याएं रखना चाहता हूं। इन दो वर्षों में हमने यह देखा कि यहां पर कई हुकूमतें बनीं। कम से कम तीन मुख्य मंत्री बन चुके हैं और चौथा कब बन जाय यह कोई नहीं कह सकता। जब भी यहां पर कोई हुकूमत बनी है, उसने यहां की अक्लियतों और अछूतों के साथ बहुत से वायदे किये हमेशा इस बात को कहा है कि यहां पर बराबरी का दर्जा सबको दिया जायगा। अपोजीशन में बैठकर भी उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर हम हुकूमत बनायेंगे तो हम यहां पर सबको बराबरी का दर्जा देंगे। हमने यह देखा कि सन् ६९ में मिड टर्म पोल के बाद जब गुप्ता जी की हुकूमत बनी तो उन्होंने भी बहुत से वायदे किए थे। उन्होंने फिरके वाराना फसादात के सिलसिले में इस किस्म का एलान किया था कि अगर कहीं पर इस किस्म के फसादात हुए तो जिले के डी० एम और एस० पी० को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों झगड़ा हुआ।

[श्री हबीब अहमद]

इसी तरीके से और बहुत से मसले सामने आए और उनको हल करने की बात कही गयी। दूसरी हुकूमत बनी चौधरी चरण सिंह जी की। उनके जमाने में भी ऐसे ही मसायल पेश थे। वायदे बहुत किए गए लेकिन वह पूरे नहीं हुए। आज तीसरी हुकूमत हमारे सामने है। हमने इन २३ वर्षों में देखा है कि जब भी हुकूमत बनाने का अवसर आया है, अविलयत और अछूतों से वायदे किये गए हैं। १८ परसेंट रिप्रेजेन्टेशन का वायदा अछूतों से किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में २५ परसेंट और ४५ परसेंट सरकारी मुलाजमात में भर्ती की बात कही है। इसके पहले भी गुप्ता जी की सरकार ने यह बात कही थी लेकिन हमारी यह समझ में नहीं आता कि ये वायदे कब पूरे होंगे। आज भी हम देखते हैं तो मालूम होता है कि ४-५ परसेंट से ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन अछूतों का नहीं है।

इस मुल्क में मुसलमानों के भी बहुत से मसायल हैं जिनको हल करने की कोशिश सभी पार्टियों ने की है। उन मसलों में मैंने यह देखा है कि जो पार्टियां अपोजीशन में बैठती थीं और जिन्होंने यह दावा किया था कि जब हम हुकूमत में आयेंगे तब यकीनन इस मसले को हल करेंगे। १९६७ में जब कांग्रेस की हुकूमत खत्म हुई तो आवाम में खुशी का इजहार हुआ। एस० वी० डी० सरकार आई है और यह कोई नया काम करेगी। यहां पर मुखतलिफ पार्टियां थीं परन्तु सरकार में जाने के बाद उन्होंने अपने वायदे भुला दिये और जो पुरानी कांग्रेस का ढांचा था उसी तरह से वे लोग भी मुखतलिफ पार्टियों की ही बातों को सुनते रहे।

हमारी बातों को किसी ने नहीं सुना। जब हम इस मुल्क में महसूस करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क का एक अंग बन चुका है और उसका बराबरी का दर्जा मिलना चाहिये और जितनी भी पार्टियां हैं, वे इसको मंजूर भी करती हैं परन्तु फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। पिछले गवर्नर के एड्रेस के वक्त जो जनसंघ के भाई अपोजीशन में थे वह भी यह मानते थे कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषणों में उर्दू के प्रचार और प्रसार की बात को नहीं कहा। वे लोग उर्दू को कौन-सी सहूलियत देना चाहते थे मैं नहीं समझ पाया। मुसलमानों के दो-तीन मसले हैं जिनका हल होना चाहिये जो बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे हल नहीं होंगे तो हुकूमतें बनती रहेंगी और बिगड़ती रहेंगी। पहला मसला तो यह है कि मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत में उचित रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय। हमने देखा है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बहुत कम हो गई है। अगर १९४७ की पोजीशन में हम आ जायं तो हमको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उस समय मुसलमानों का ३३ परसेंट रिप्रजेन्टेशन था।

आज जो आंकड़े हैं उससे मालूम होता है कि ३, ४ फीसदी ही वह रह गये हैं। इसके दो ही कारण हैं। कम रिप्रजेन्टेशन इस लिये है कि शायद हम नालायक हो गये हैं और ओपेन कम्पटीशन में नहीं आ पाये हैं या फिर जो आफिसर्स हैं उन्होंने कोई भेदभाव वर्ता है। इसको कोई साबित नहीं कर सकता है कि भेदभाव वर्ता गया है कम्पटीशन में मुसलमान बच्चे दूसरों के मुकाबिले में ज्यादा नम्बर नहीं ला सकते हैं और इसीलिये उनकी संख्या कम है। अगर उनको भी देश के सभी लोगों के साथ ऊपर उठाया न गया तो हमारे देश का वह अंग जो बहुत जरूरी है देश के लिये भार बन जायगा। साथ ही इस देश के लिये वह बेहतरी और बहबूदी की बात नहीं होगी। इसलिये मुसलमानों को बराबरी का रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिये ताकि मुल्क आगे बढ़ कर और अधिक मजबूत हो सकें।

हमने यह बात जो पहले मुख्य मंत्री जी थे, उनसे भी कही थी और गुप्ता जी से भी कही थी। समय समय पर जो आदेश होते हैं उनका पालन नहीं होता है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। ओपेन कम्पटीशन में वे नहीं लिये जाते हैं। उनको चौथी और तीसरी क्लास के कर्मचारियों की तरह से तो लिया जा सकता है और उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। जो आंकड़े देखने को मिलते हैं उससे पता लगता है कि इस सिलसिले में भी कोई कोशिश नहीं की गई है।

हिन्दुस्तान में १४ जबानें हैं। उर्दू भी एक जबान है। यह जबान यू० पी० और बिहार में अधिक बोली जाती है। चुनाव के दौरे में सभी पार्टियों उर्दू में पैम्फलेट्स भी बांटती हैं और उसकी वकालत भी करते हैं परन्तु फिर भी उर्दू को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। उर्दू के लिये ज्यादा से ज्यादा वकालत की जाती है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया जिससे उर्दू की तरक्की हो। थ्री लैंग्वेज फारमूले की बात आयी तो इस बात की कोशिश की गयी कि देश की आजादी के बाद अंग्रेजी को कोई ऐसा मुकाम नहीं दना चाहिये जो यहां की जबानों से बेहतर मुकाम हो। थ्री लैंग्वेज फारमूले की तहत यह तय किया गया कि ८वें दर्जे तक के तालीब इल्मों को तीन जबानें पढ़ाई जायें।

हिन्दी जो हमारी राष्ट्रभाषा है वह तो नं० १ पर रहे, दूसरे नम्बर पर उर्दू को रखा जाय और तीसरे नम्बर पर जितनी रीजनल जबानें हैं, जैसे संस्कृत, फारसी या अंग्रेजी, मलाया, मराठी वगैरह, उनमें से एक को पढ़ाया जाय। थ्री लैंग्वेज फारमूले में यह बहुत जरूरी है कि हिन्दी को अव्वल दर्जा दिया जाय, चूंकि यह राष्ट्र भाषा है। लेकिन अफसोस है कि हमारी जो हुकूमत थी उसने अंग्रेजी को वह दर्जा दिया कि उसे कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाया और ८वें दर्जे से लड़कों को वह जबान पढ़ायी जाती है। तो हम इसको समझने से कासिर हैं कि हमारी जबान जो उर्दू है यहीं पर पली और परवरिश पायी, यहीं पर उसने जन्म लिया लेकिन उसके साथ इस किस्म की बेइन्साफी की जाती है। मुख्तलिफ मौके पर कई मेम्बरों ने कहा है कि उर्दू विदेशी जबान है, पाकिस्तान में बोली जाती है या यह पाकिस्तानी जबान है।

मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि पहले उर्दू का जन्म हुआ या पाकिस्तान का जन्म हुआ ? उर्दू ने यहीं पर जन्म लिया। उर्दू एक ऐसी जबान है जिसने इनक्लाब कर दिया है। आजादी के जंग में उर्दू जबान ने मुल्क की जितनी खिदमत की है उतनी किसी दूसरी जबान ने नहीं की है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है, हिन्दी पढ़ायी जाय, हिन्दी का हम कोई विरोध नहीं करते हैं लेकिन जहां थ्री लैंग्वेज फारमूले को लागू करने की की बात है, वहां तीन में एक भाषा उर्दू को जरूर होनी चाहिये। इसके लिये मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि उर्दू की तरक्की के लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। इसके लिये यह जरूरी है कि जिस तरह से मुन्सिफी के इम्तहान में एक उर्दू का पर्चा जरूरी है कि कोई भी आफिसर, चाहे वह किसी भी तबके का हो, अगर वह जुडिशियल आफिसर होगा तो उसे उर्दू के ४० नम्बर के पर्चे में पास होना जरूरी है। बिना इसके वह कामयाब नहीं हो सकता है, उसी तरह से पी० सी० एस०, आई० ए० एस० वगैरह के जितने भी कम्पटीशन होते हैं उनमें मुन्सफी की तरह ही ४० नम्बर का एक पर्चा जरूर होना चाहिये वरना उर्दू की तरक्की के नाम पर कागजी घोड़े जो पिछले २३ साल से दौड़ाये जाते रहे हैं, वे उसी तरह से दौड़ते रहेंगे।

उर्दू के लिये यह कहा जाता है कि उर्दू में दरख्वास्त दे सकते हैं, उर्दू में बैनामे करा सकते हैं, उर्दू में रजिस्ट्री करा सकते हैं लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिये कि जिस वक्त हम दरख्वास्त ले जाते हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरा उस दरख्वास्त को फेंक देते हैं और यह कहते हैं कि इसका ट्रांसलेशन करके दीजिये या इसकी नकल हिन्दी में बना कर दीजिये क्योंकि हम उर्दू नहीं जानते हैं। ऐसी हालत में अगर आप वाकई चाहते हैं कि उर्दू को उसका दर्जा दिया जाय ताकि लोग उर्दू में आफिसरों के सामने दरख्वास्त दे सकें तो यह बिल्कुल लगो और बेकार बात है कि इस किस्म के वादे किये जायं। मुल्क में उर्दू के लिये कोई ठोस जगह हो, इसको सही तौर पर आप करना चाहते हैं तो इसके लिये कोई सही कदम उठाना चाहिये जिससे सही तौर पर उसका इम्पलिमेंन्टेशन किया जा सके। जो सुझाव मैंने दिये हैं, अगर उन पर हम नहीं चलेंगे तो यकीनन हम कामयाब नहीं हो सकेंगे।

हमारे और भी मसायल हैं। हमने देखा है कि कितने फिरकावाराना फसादात हुए हैं हुकूमत जानती है। मैं यहां असेम्बली में बोल रहा हूं तो यू० पी० की बात कहना चाहता हूं।

[श्री हबीब अहमद]

२३ साल की आजादी के बाद यहां सैकड़ों फसादात हुए हैं, उन फसादात की रोकथाम जरूर की गयी चाहे वह कांग्रेस की हुकमत रही हो या एस० वी० डी० की हुकूमत रही हो लेकिन फिर भी सारी कोशिशों के बावजूद चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे पीलीभीत हो, हर जगह मुसलमान पिट रहा है। मुरादाबाद में फसादात के लिए कुछ भाइयों ने कहा कि वहां मुस्लिम मजलिस और लीग इलेक्शन में कूद पड़ी इसलिए वहां मुसलमान पिटे लेकिन अलीगढ़ में क्यों पिटे जहां से कांग्रेस के युनूस सलीम खड़े हुए थे ? और, पीलीभीत में क्यों पिटे जहां कांग्रेसियों के नवाब, समसुल हसन खड़े थे ? इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जहां पर लीग या मजलिस हो वहीं पर झगड़े हों।

मुस्लिम मजलिस का जहां तक सवाल है तो वह पहली बार इलेक्शन में नहीं कूदी। १९६९ में उसने १०० से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किये थे और उन १०० उम्मीदवारों में ज्यादा तादाद हिन्दू भाइयों की थी। हमने "हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई" का नारा लगाया था। हम उस समय जीत तो नहीं सके थे लेकिन हमने कांग्रेस की मुखालफत की थी। उसी का आज यह नतीजा है कि एस० वी० डी० की सरकार बनी हुई है। मैंने कहीं पर भी झगड़े फसाद की बात नहीं की। इन फसादात के पीछे न मजलिस है और न लीग। न कांग्रेस (ओ) की ही बात है और न कांग्रेस (आर) की बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़े कराकर हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहां पर हमको कितनी जल्दी सर्टीफिकेट इस बात का दे दिया जाता है कि यह देश के गद्दार हैं।

हम सदन के सामने यह चीज रखना चाहते हैं कि देश का गद्दार कौन है। आया कि देश का गद्दार वह है जो बीड़ी बना कर अपनी गुजर करता है या वह जो कहीं गोकशी का नाम लेकर या किसी लड़की के अगवा का बढ़ावा बना कर एक मकसूस फिरके की दूकान लुटवाता है। देश का गद्दार वही हो सकता है जो देश की सम्पत्ति को जला रहा है, बरबाद कर रहा है। आज देश के ऊपर अरबों रुपया का कर्जा है। आज जो बच्चा पैदा होता है वह कर्जे में डूबा हुआ पैदा होता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे हैं जो मिनटों में लाखों करोड़ों के माल और जायदाद को बरबाद कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर फिरकावारान फसादात नहीं होंगे अगर आप कोई कानून ऐसा बनावें या पाबन्दी लगावें कि कोई भी पार्टी जो इस तरह की गड़बड़ करती है, वह नहीं रहेगी। आप ऐसा करें और जनहित भी इसी में है।

मुल्क की बेहतरी इसी बात में है कि मुल्क में फसाद न हो। मैं यह चैलेंज करता हूं और आपके सामने बताना चाहता हूं कि अगर फसाद बन्द न हुए तो इस मुल्क मे तरक्की होने वाली नहीं है और किसी भी सूरत में यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं २ मिनट और लेकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इलेक्शन के बारे में मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। लोक सभा के इलेक्शन में यह बात देखी गई है कि मुसलमानों ने और हरिजनों ने इन्दिरा जी का साथ दिया है। इसकी वजह यह थी कि उनको उम्मीद थी कि इन्दिरा जी कुछ करके दिखाएंगी। वे यह उम्मीद लेकर आए कि हो सकता है कि हम भी दूसरे लोगों के बराबर आ जाएं अगर इन्दिरा जी के हाथ में पूरी कूबत आ जाए। हो सकता है एक दिन उनकी गरीबी भी कम हो जाए, ऐसी उम्मीद वे लोग लेकर आए थे।

सन् १९६९ में जीत कर मैं यहां पर आया था। इन दो वर्षों में मैं तो अपनी जगह पर कायम रहा मगर मेरे बहुत से भाई इधर से उधर गये और उधर से इधर आए, दल बदली होती रही। जो दल बदलते हैं उनकी आवभगत की जाती है और उन लोग की हौसला अफजाई की जाती है। आप देखें कि कितने पोलिटिकल डिग्रेडेशन हो गया है और हो रहा है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि हम किस प्रोग्राम को लेकर आए थे, हमें क्या करना चाहिए और हमने जनता से क्या वायदे किये थे। उनको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि उन्होंने जनता से क्या-क्या वायदे किये थे। जहां जाती मफाद देखा वहीं चले गये, आज कल ऐसा हो रहा है। उन्हें इस बात की फिक्र है कि अगली पार्टी ऐसी मिले जिसमें रह कर बिल्कुल आराम से कामयाब हो जाएं।

तो मैं बता रहा था कि किस तरह से इन्दिरा जी का बहुमत आया है। उन्होंने अच्छे प्रोग्राम अपनाये हैं और कुछ वायदे किये हैं। अगर उन्होंने अपने वायदे पूरे किये तो यकीनन आगे इससे भी ज्यादा बहुमत पायेंगी। आज किस तरह से श्री मधोक, श्री पाटिल तारीकी के गार में गिर गये हैं और जिस तरह चौ० चरणसिंह तारीकी के गार में अकेले जा सकते हैं, जिनकी कि किसी भी इलेक्शन में शिकस्त नहीं हुई थी। इसी तरीके से वह पार्टी, जो कल हुकूमत बनाने वाली है, अपने वायदे पूरे नहीं करती है, वह भी तारीकी के गार में चली जाएगी। जनता उस पार्टी को भी ठुकरा देगी जिस तरह से उसने दूसरी पार्टियों को ठुकराया है। मैं अपनी बात ऐसे खत्म करता हूं :—

सुने कोई न सुने इनक्लाब की आवाज
पुकारने की हदों तक तो हम पुकार आए।

*कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोध पक्ष की ओर से उसके मुख्य सचेतक श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मैं राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहूंगा। उनके संशोधन के प्रस्ताव में पहली मद यह है कि चूंकि लोक सभा के चुनाव में इस प्रदेश के अन्दर ८५ सीटों में से ७९ सीटों पर इन्दिरा जी की कांग्रेस विजयी हुई है इसलिए इस सरकार को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। मैं आशा करता था कि विरोध पक्ष राज्यपाल के संशोधन के प्रस्ताव पर हमारी सरकार की कुछ खामियों पर प्रकाश डालता और हमको वे कार्यक्रम बताता जो हमारी दृष्टि से ओझल हो गये हों। ऐसा तो किया नहीं, बल्कि एक बाजारू बात कही कि चूंकि लोक सभा के चुनाव में इन्दिरा जी की कांग्रेस विजयी हो गई है इसलिए संविद की सरकार, जो इस प्रदेश में बनी है, त्याग-पत्र दे दे।

मैं पूछना चाहूंगा कि लोक सभा के चुनाव के परिणाम का प्रभाव विधान सभा पर कैसे पड़ता है। मैं बदायूं विधान सभा से बिजयी होकर आया हूं जिसके क्षेत्र में वहां की नगरपालिका और टाउन एरिया भी आती है जहां कि विपक्ष की पार्टी सत्ताधारी है। क्या मैं यह कहने लग जाऊं कि चूंकि मैं विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं इसलिए बदायूं नगरपालिका के अध्यक्ष और उझानी टाउन एरिया के चेयरमैन इस्तीफा दे दें क्योंकि उनकी पार्टी परास्त हो गई है और वहां पर जन संघ विजयी हुई है। यह दलील कितनी कमजोर और बेमानी है। विपक्ष की इस बात में बिलकुल दम नहीं है। इन्दिरा जी की कांग्रेस की विजय हुई है।

इन्दिरा जी की कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया तो क्या वहां के विधान सभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी चुने गये हैं, वापस हो जाएंगे? वापस नहीं होंगे। तो लोक सभा के चुनाव में अगर आप की विजय हो गयी तो उसका प्रभाव प्रदेश की किसी विधान सभा पर नहीं हो सकता। आप दिल्ली में सरकार बनायेंगे। देश के सभी समाचार-पत्र, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, तथा किसी को भी इतनी भारी विजय की आशा नहीं थी। आज इस विजय में जनता के मन में एक उसी प्रकार की शंका पैदा हो गयी है। जैसी कि एक जज के मन में उस समय शंका उत्पन्न हो जाती है जब कि किसी मुलजिम को सभी गवाह शिनाख्त कर लेते हैं।

मैं वकील हूं, जो वकील होंगे वे जानते होंगे, जेल में जब किसी मुलजिम की शिनाख्त होती है और जब शिनाख्त करने वालों की संख्या तीन तक पहुंच जाती है या सभी गवाह शिनाख्त कर लेते हैं तो जज के मन में यह शंका होती है कि पुलिस वालों ने कहीं उनको पहले से मुलजिम को दिखा तो नहीं दिया है। इस अप्रत्याशित विजय से आज यही शंका पैदा होने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

लगी है कि कौन सा केमिकल्स इस्तेमाल किया गया है या कहीं रूस में बैलट पेपर छपे हैं? यह चुनाव जनता की मनोभावनाओं का परिणाम नहीं है। जिस प्रकार किसी मुलजिम को सभी गवाहों के द्वारा शिनाख्त कर लिये जाने पर जज के मन में शंका उत्पन्न होने लगती है, उसी प्रकार की शंका आज जनता के मन में उभर आयी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनाव का प्रभाव विधान सभा पर नहीं पड़ सकता, जिस दिन हम अल्पमत में होंगे स्वमेव हट जायेंगे।

एक बात और साम्प्रदायिक दंगों की अपने संशोधन में माननीय तिवारी जी ने कही है। श्रीमन्, यह दुख की बात है कि कहीं पर साम्प्रदायिक दंगे हों। आजादी के बाद हमारे संविधान में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सभी को समान अधिकार दिये गये हैं। फिर कोई कारण नहीं है कि यहां साम्प्रदायिक दंगे हों। यदि होते हैं तो यह दुख की बात है। हमको इसकी तह में जाना होगा कि आखिर यह क्यों होते हैं? कौन कराता है? अभी एक साथी हबीब साहब कह रहे थे कि साम्प्रदायिक दंगों में मुसलमान पिटा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कहीं पर यह लिखा है किसी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर कि मुसलमानों के लिये यहां प्रवेश बन्द है? या किसी सरकारी नौकरी में उनके लिये पाबन्दी है? किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में उनके लिये बैठने पर रोक है? मुसलमान को भारत के अन्दर वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक हिन्दू और अन्य किसी को है। फिर वह कैसे ऐसी बात कहते हैं? परन्तु मुसलमान अपने को असुरक्षित समझे, वह सदैव शंकित रहें, हिन्दू और मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी रहे, इसके लिये एक दल विशेष का हाथ है।

सन् १९६७ के चुनाव में मुसलमानों ने अपनी विचारधारा के अनुसार वोट दिया, एस० एस० पी० जीत कर आयी, पी० एस० पी०, और पार्टी के लोग जीत कर आये और कांग्रेस धराशायी हो गयी। कांग्रेस ने सोचा कि हम को अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिये, किसी एक वर्ग को शंकित करना चाहिये। मुझे यह कहते हुये दुख है कि आज देश की जो सब से बड़ी पार्टी है कांग्रेस, (संजीवइया वाली) उसने मुस्लिम वर्ग के लोगों में, एक योजनाबद्ध तरीके से यह भावना पैदा की कि वे असुरक्षित हैं, अगर वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो उनकी कुर्सी को मजबूत करें। मुसलमान डरें, भयभीत हुये, और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिये। इन्दिरा जी ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों की हानि हुई है। दुनिया के चौराहे पर हमको बदनाम किया गया, हम बदनाम हुये। मुसलमान उससे प्रभावित हुये। उनसे कहा गया कि तुम हमारी कुर्सी के पाये बन जाओ यदि तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो। इस नीति का परिणाम है कि पहले मुसलमानों को संजीवैय्या कांग्रेस ने डराया, धमकाया, फिर उनके रहनुमा बनकर उनकी सहायता के लिए आगे आए। उनके सहायक बन कर उन्होंने उनके गलत डर का फायदा उठाया। ये उनसे कहते हैं कि जनसंघ तुम्हें खा जाना चाहता है, संघ तुम्हें, हिन्दू तुम्हें काट-खाना चाहता है और यदि तुम इनसे बचना चाहते हो तो मेरे साथ आओ।

महाराष्ट्र में तो संविद की सरकार नहीं थी, उन्हीं की पार्टी की तो सरकार थी, फिर वहां पर क्यों दंगे हुए? वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस और सेना ने दंगों पर क्यों नहीं काबू पाया? मुरादाबाद में जो झगड़ा हुआ, वह उन तत्वों के कारण हुआ जो इस देश के प्रति वफादार नहीं हैं और जिन्होंने इस देश के दो टुकड़े कराने में आगे बढ़कर सक्रिय रूप से कार्य किया है। मुरादाबाद में इन्हीं तत्वों ने सुनियोजित ढंग से दंगा कराया और वहां पर इन लोगों के द्वारा ये नारे लगाये गये कि 'आधी रोटी खायेंगे, पाकिस्तान बनाएंगे' और "बाप से लिया है पाकिस्तान, बेटी से लेंगे हिन्दुस्तान।"

मैं पूछना चाहूंगा कि जनसंघ साम्प्रदायिक हैं, मुस्लिम मजलिस साम्प्रदायिक है, मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक हैं, लेकिन अपने को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाली सरकार ने उन तत्वों के सामने अपनी सीट क्यों छोड़ दी? उनका प्रत्याशी वहां की सीट पर क्यों नहीं लड़ा? सन् १९५२ में भी आपकी पार्टी ने यह सीट छोड़ दी थी। आप राष्ट्रीय हैं, लेकिन आपने तो वहां की जनता को इस बात का अवसर दिया है कि साम्प्रदायिकता को

चुने, वहां पर साम्प्रदायिकता खुल कर खेले। इस प्रकार से आप ने यह दुष्कृत्य रामपुर और अलीगढ़ में भी किया है। आपने अलीगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट दिया, जिसको आंध्र के मुख्य मन्त्री कतई नहीं चाहते थे कि वह प्रदेश से चुनाव लड़ें, क्योंकि उनके बारे में उनको शंका थी। दुःख की बात है कि वहां पर दंगा हुआ, लेकिन संविद सरकार ने वहां पर दोनों सम्प्रदायों के मध्य कोई भेद नहीं किया है, दंगों की न्यायिक जांच कराई जाएगी, जांच हो रही है और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जाएगा। लेकिन दंगे आयोजित करने में, दूषित मनोवृत्ति को समाज में फैलाने में उनका स्वार्थ है, जो दंगे कराकर मुस्लिमों को डराकर, धमकाकर उनके सामुहिक रूप से वोट लेना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि श्री नारायणदत्त तिवारी ने यह कहा कि समाजवाद, प्रजातंत्र, व धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश व प्रदेश के समाजवादी निर्माण के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी की नई केन्द्रीय सरकार को सहयोग व सहकार देने की कोई घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं की गई है। प्रश्न यह है कि इन्दिरा जी की सरकार समाजवादी हो, गरीबों का हित करना चाहती हो, बेकारी दूर करना चाहती हो, रोजगार के साधन जुटाना चाहती हो, तभी तो हम उस को आश्वासन का वचन दें।

आज आजादी प्राप्त होने के २३ साल बाद भी देश में गरीबी है, बेकारी है, आज भी जनता में गरीबी और अमीरी की भारी विषमता है, अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों प्रकार के व्यक्ति बेकार हैं, इंजीनियर और ओवरसियर्स बेकार हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह किसके कारण बेकार हैं? क्या देश के प्रधान मन्त्री, अटलबिहारी बाजपेई थे? देश का शासनसूत्र किसके हाथ में था? सत्ता की बागडोर किनके हाथों में थी? आर्थिक नियोजन, आर्थिकतंत्र का नियन्त्रण किसके हाथों में था? योजनाओं का निर्माण और उनका कार्यान्वयन किनके हाथों में था? अब तक यह सब आपके ही हाथों में रहा है।

आपकी दोषपूर्ण आर्थिक योजनाओं, और गलत नीतियों का ही यह परिणाम है कि अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक खाई और भी ज्यादा चौड़ी हुई है। बिड़ला, टाटा और डालमिया को बड़े-बड़े कारखानें चलाने के लिये लाइसेंस किसने दिये हैं,? क्या हमने दिये हैं? आपने, जिनके पास पूंजी थी, उनकी पूंजी को अंधाधुन्ध बढ़ाया है, आपने गरीब को उत्तरोत्तर गरीब और अमीर को उत्तरोत्तर अमीर बनाया है। आपने धनी और निर्धन के बीच की खाई चौड़ी की है। यह सब किसी प्रदेश की योजना का परिणाम नहीं हो सकता। यह सब केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, जहां पर आजतक लगातार आप की सरकार रही है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि इस २३ साल के शासन काल में स्वर्गीय पंडित नेहरू रहे, बीच में कुछ काल स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री रहे जब कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई, और तब से अब तक आप की इंदिरा गांधी दिल्ली के शासन पर आरूढ़ हैं। इन सारे दिनों में आप दिल्ली के शासन पर विराजमान रहे, और आप के होते गरीब और अमीर के बीच की खाई दिन दूनी और रात चौगुनी चौड़ी होती गई।

आपकी नीतियों का परिणाम यह है कि अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी हुई है। मैं पूछता हूं कि इंदिरा जी ने कौन सा कदम उठाया है जिससे बेकारी दूर होती जा रही हो गरीब और अमीर की खायी कम हो रही हो? रोजगार के साधन मिल रहे हों, और आजादी के करण गांव में पहुंच रहे हों। हां, बिड़ला को लाइसेंस मिला है गोआ में। मैं मानता हूं कि साल डेढ़ साल का समय थोड़ा होता है,। कौन सा कदम है? बीमे का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमे के राष्ट्रीयकरण के बाद जो बीमा कम्पनियों की पूंजी थी उससे पूंजीपतियों को कर्जा दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ७६ प्रतिशत कर्जे पूंजीपतियों को दिये गये। उनके लिए निर्देश था कि १२ हजार रुपये साल की, जिसकी आमदनी होगी उसको सरकारी बैंक से कर्जा देंगे। एक हजार रुपये महीने जिसकी आमदनी नहीं है, उसको कर्जा नहीं

[श्री कृष्ण स्वरूप]

मिलेगा। जरूरत किसको थी, जो भूमिहीन है, जिसके पास मकान नहीं, धोती नहीं है। वह कहां से गारंटी देगा? आप भूमिहीन ,बेरोजगार को कर्जा देते। आप की नीतियां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी दूर करने के लिये नहीं थीं केवल एक नारा मात्र था। आपने जनता को गुमराह किया।

चार महीने संविद का शासन आये हुए हुए। इसमें डेढ़ मास चुनाव में बीत गया। इस दो-ढाई महीने में संविद सरकार ने प्रदेश के पिछड़ेपन से, बेकारी से, भुखमरी से लड़ने की कोशिश की है। उसकी ढाई-तीन महीने की उपलब्धियां कम नहीं हैं। मैं आशा करता था कि जो हमने जनमत के हित में किया है उसकी सराहना करेंगे और हम को सुझाव देंगे कि प्रदेश में कैसे बेकारी और गरीबी दूर हो। मुझे तुलना नहीं करना चाहिए। परन्तु यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों की तुलना करना चाहते हैं तो दोनों अभिभाषणों को पढ़ लें और देख लें कि गरीबी से लड़ने के दम किसमें है, काम देने की बात किसमें है। सब से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणा की है कि कारखानों में प्रबन्ध में मजदूरों को साझेदार बनाने का प्रयास किया जायेगा। मजदूरों को साझेदारी देना क्या समाजवाद की बात नहीं है? सारे देश में जहां संजिवइया की सरकारें हैं, किसी ने भी यह कदम उठाया है?

कहा जाता है कि हरिजनों को १८ प्रतिशत स्थान नहीं मिले, अब तक। इसका दोषी कौन है? वह सरकारें किस की थीं? हमारी थीं? आप सरकार में थे। हम जब सरकार में आये, पिछली बार जब संविद में आये,मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि समय-समय पर समाज कल्याण और हरिजन मंत्री, राम प्रकाश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और यह निर्णय लिया गया था कि जो १८ प्रतिशत हरिजनों के स्थान सुरक्षित हैं और जो उनको नहीं मिले, वह कैसे मिलें। इसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। संविद सरकार चली गयी लेकिन हमने आज स्वयं निर्णय लिया है कि हरिजनों के लिए जो १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं, और जो उन को नहीं मिल पाये हैं हमने २५ और ४५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये हैं और उनकी गरीबी कैसे दूर हो इसके लिए एक उच्च स्तरीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है। क्या इसमें हरिजनों का हित नहीं है? हमने हरिजनों के लिए २५ और ४५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं। लेकिन आप उन व्यक्तियों में हैं जो कहते हैं कि जब आप का मुर्गा बोलेगा तभी सबेरा होगा। अगर संविद सरकार प्रदेश में रही तो वह अपने उन घोषणाओं का पालन कर के भी दिखायेगी।

हमने इस ओर कदम बढ़ाया लेकिन क्या आप ने बढ़ाया? क्या केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों के स्थान सुरक्षित करने की बात की? हमने की। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने की बात की। पहले भी गुप्ता जी ने की थी लेकिन जब आपके साथ चौधरी साहब सरकार में थे तो आपके प्रभाव में आकर उन्होंने उस आयोग को समाप्त कर दिया। हमने १५ करोड़ रुपया अन्तरिम सहायता के लिये बजट में रखा है। हमने यह किया है कि अध्यापकों को सरकारी कोष से वेतन मिले और दो करोड़ रुपये की जिम्मेदारी उसके लिये सरकार ने ली है।

किसान १० हजार रुपये की खरीद-फरोख्त करेगा उसमें वह स्टेट ड्यूटी से फ्री होगा। तीन चार महीने के अल्प समय में हमने ये काम किये। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थी कितने दिनों से आन्दोलन करते थे। उनकी मांग थी कि उनको किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया जाय। हमने उनको कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से बीच में चुनाव आ गये। फिर भी हमने कम समय रहते गरीबों तथा जनता के हित में कार्य करने की कोशिश की हमने पूर्वी जिलों तथा पर्वती जिलों एवं बुन्देलखंड के विकास के लिये एक विकास निगम की बात की है। लेकिन केन्द्र ने उत्तर प्रदेश की हमेशा उपेक्षा की है। इसके क्षेत्रफल, सीमा तथा जन-संख्या के अनुपात में केन्द्र को जो अनुदान देना चाहिये था वह नहीं मिला।

द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम फीगर्स देखें तो प्रति व्यक्ति केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के लिये अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कम धन रखा था। कौन इसके लिये जिम्मेदार है? हमने कहा कि उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है इसलिये यहां ट्रेक्टरों क कारखाने को खोलने की इजाजत दी जाय लेकिन वह कारखाना हरियाणा को मिला और इसमें विशेष कर हाथ श्रीमती इन्दिरा गांधी का है क्योंकि उनकी मरजी के खिलाफ इस प्रदेश की सरकार गठित हुई है इसलिये उन्होंने इसके साथ सौतेला बरताव किया है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक सहायता, सूखे तथा बाढ़ आधिक की सहायता देने में।

किसी नगरपालिका अथवा टाउन एरिया का चेयरमैन होता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी पार्टी से चुन कर आया हो लेकिन अगर विरोधियों के वार्ड की सड़कें ठीक न हों तो उसको छोटेपन से नहीं सोचना चाहिये, व्यापक हृदय से उस वार्ड की सड़कों की मरम्मत करानी चाहिये। अपने दल की बात को पीछे रखकर विरोधियों के हित की बात को सोचे. सच्चा लोकतांत्रिक वही है और जनतंत्र में विश्वास उसी को है। लेकिन हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी व्यापक हितों को ध्यान में नहीं रखतीं। उत्तर प्रदेश में उनकी इच्छा के विपरीत सरकार बनी है इसलिये केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला बरताव किया है। अगर उधर के बैठने वालों को उत्तर प्रदेश की प्रगति, पिछड़ेपन को दूर करने, बेकारी को दूर करने में कुछ आस्था थी तो अपने संशोधनों में वह केन्द्रीय सरकार से, श्रीमती इन्दिरा गांधी से, मांग करते कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को पूरा करने के लिये अधिक अनुदान दिये जायं लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उसके आर्थिक नियोजन में सहायता देने के लिये केन्द्र ने कोई बड़ा कारखाना नहीं खोला है।

आज देश के सामने सबसे बड़ा जो संकट है वह है गरीबी, बेकारी और भुखमरी का है। मान्यवर, यह सारे देश की आज समस्या बन गई है। सोचना यह चाहिए था कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाय किन्तु आज लोगों की और जनता की उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से आस्था उठती जा रही है। चारों तरफ यही सुना जा रहा है कि कौन किस पार्टी से चुन कर आया है और आया वह उसमें रहेगा भी या नहीं रहेगा। जनता यह नहीं जानती और मतदाता यह नहीं जानता कि वह उसी पार्टी में रहेगा या नहीं। जनता तो उसके साथ है जिसकी कि सरकार बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सारे देश के अन्दर किसने यह हवा पैदा की कि आज जो प्रतिनिधि जनता से चुनकर आता है वह उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है? क्या यही लोक तंत्र की परम्परा रही है? इसका एक ही कारण है कि देश की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में पड़ गई है। यह संकट किसने पैदा किया है लोगों को उकसाया जा रहा है चुने हुये विधायकों के प्रति जनता की आस्था नहीं रह गई है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि इस देश के प्रधान मन्त्री जो हैं उनके आचरण के कारण ही ऐसा हुआ है।

पार्टी में अनुशासन नहीं रहा, क्या यह एक तरह का डिफेक्शन नहीं है या डिफेक्शन के लिये प्रोत्साहन नहीं है? आज दुनिया के इतिहास में, पार्लियामेंटरी हिस्टरी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी दल के नेता अपने अधिकृत प्रत्यासी का विरोध करें। यदि हों तो बतायें। एक गांव में वोट के पर्चे खरीदे गये। एक गरीब किसान जो कि इसके बारे कुछ नहीं जानता है और वह वायदा कर देता है कि वह उसी को वोट देगा तो वह गरीब आदमी उसी को वोट देगा। हमारी, माननीया प्रधान मन्त्री आज यही चाहती हैं कि सारी शक्ति उन्हीं पर केन्द्रित रहे, वे सर्वोपरि रहें। उसी का आज यह परिणाम है कि चुने हुये जनता के प्रतिनिधि जो विधायक हैं, संसद सदस्य हैं बिक रहे हैं। जिस पार्टी से चुन कर आया है वह उस पार्टी में रहेगा या नहीं, यह किसी को विश्वास नहीं है। आज बेकारी से लड़ने के लिये,

[श्री कृष्णस्वरूप]

भुखमरी से लड़ने के लिये और गरीबी से लड़ने के लिये उपाय सोचने चाहिए। आज देश में जो अनुशासनहीनता और अनैतिकता पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिये कदम उठाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस जीर्ण-सीर्ण और सशक्त सरकार की नीतियां माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से, जो वास्तव में इस प्रदेश की प्रगति में एक रोड़ा है और जिससे इस प्रदेश की प्रगति नहीं हो रही है, पिछले दो दिन से पढ़ रहा हूं और इसी बात के लिये मैंने भी अपना एक संशोधन जो आप की कार्यसूची में आज सदन के सम्मुख है, दिया है। मान्यवर, अभी-अभी ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानों चुनाव भाष कर रहे हैं। इस एस० बी० डी० के दो मन्त्रियों को भी मैंने सुना। माननीय सदस्य बदायूं और माननीय देहलवी जी सारी बातें चुनाव में हारने के और जनता पर अविश्वास प्रकट करने के बारे में कहते रहे। ऐसा लगा कि इस सरकार की सारी कारगुजारी चुनाव तक ही सीमित थी और इसमें वे हार गये, मैं ज्यादा समय इस सम्बन्ध में सदन का नहीं लूंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उन्होंने अपने ऊपर नहीं देखा कि वे हार क्यों गये। ऐसा लगता है कि चुनाव के नोमिनेशन के बाद, काउन्टिंग होने और जजमेंट होने से पहले ही ये लोग यह समझते थे कि हम इस देश और प्रदेश में हार जायेंगे। और उसके बाद उस जनता की ओर शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। अपनी तरफ भी तो देखते कि क्या कारण है, आखिर क्यों हार गये हम।

मैं दल-बदलू हूं उनकी नजर में, अपनी नजर में नहीं। मैं जनसंघ छोड़ कर आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके शब्द कुछ और हैं, इनकी परिभाषाएं कुछ और हैं, जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इसी विधान सभा की कांस्टीट्यूएंसी का चुनाव हुआ तो जनसंघ की ओर से श्री सुखलाल का नामिनेशन करवाया और दूसरे चुनाव में उनको ही हरवाकर दत्त पंत टांगड़ी को सपोर्ट किया। क्या कारण था? कारण यह था कि श्री सुखलाल शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी थे।

मैं भी पीलीभीत में घर घर में घूमा हूं पार्लियामेन्ट के चुनाव के सिलसिले में। इनका कहना था कि साहब इंदिरा गांधी ने जगजीवन का नाम ले लेकर वोट छीने हैं, लोगों को बरगलाया है, डाका डाला है--यह कहा करते थे। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर इधर जगजीवन राम थे तो उधर भी तो मान सिंह वर्मा हैं, आपने क्यों नहीं उनके नाम से रिकवर किया? क्यों नहीं मुहर लगवा सके? होता क्या है कि नाम मात्र के लिए दुम हिलाने वाले थोड़े से आदमी, जिनके मुंह में लड्डू देने के बाद रख लिया जाता है उनसे, काम कराना चाहते हैं। उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। क्या कारण है कि हरीश कुमार १० वर्षों से यों ही पड़े हुए हैं पर वह मंत्री नहीं बन सकते, पर किशन स्वरूप बन सकते हैं? वही क्यों बने हैं, क्यों उनको बनाया गया? क्योंकि वह बनिये हैं, शहर में रहते हैं, शाखा में जाते हैं, आर० एस० एस० के मेम्बर हैं। अब वह झेंप मिटाने के लिए हंस कर रह जाते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, ये दोनों लोग और सारे सदस्य बोलते रहें, मैं बीच में नहीं बोला, इसलिये मेरी बात भी सुननी चाहिए। खैर, मैं इसका और जिक्र नहीं करता। मैं आगे चलता हूं।

मने इस अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, मैं चाहता हूं कि जनसंघ आपका आगे बढ़े, विरोधी दल के रूप में प्रकट हो, लेकिन आपको अपनी नीतियों को बदलना होगा। लेकिन होता यह है कि दीनदयाल जी और यज्ञदत्त जी को ही मौका मिल सकता है, बलराज मधोक को आगे नहीं बढ़ना चाहिये क्योंकि वे "पंडित" नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैंने उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यह आपका अभिभाषण है। इसमें आखिर इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया आपने। आपने सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत कर दिया यहां पर। ढाई, तीन अरब रुपया लेकर खर्च क ने जारहे हैं। लेकिन आखिर इसमें २३ साल और २२ साल को छोड़िये, ४ साल से एस० बी० डी० बैठी हुई है, आपने प्रदेश में इन चार सालों में क्या किया ? मैंने एक संशोधन इसमें रखा है--"आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए प्रदेश में कर्मचारियों की तनख्वाहों में बराबरी लाने अर्थातकम से कम और अधिक से अधिक राशि की दर निश्चित करने की घोषणा नहीं की"।

आप बड़ी समाजवाद की दुहाई देते हैं और हैरत यह है कि जनसंघ वाले भी समाजवादी हो गये। वे तो बड़े अध्यात्मवादी बनते हैं और समाजवाद से जिनका कोई संबंध ही नहीं, आज वे भी अनन्तराम जी के साथ समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। इसमें आप चौकीदार को १० रुपया दिलवाते हैं और एक मिनिस्टर हैं, एम० एल० ए० हैं, आप बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं,इनको ४-४ हजार, ६-६ हजारपदिलवाते हैं। क्या जबान सिल गयी आपकी ? क्यों नहीं इसमें घोषणा करती सरकार ? आपके पास सत्ता है, घोषणा कर दीजिये कि ५०० से कम तनख्वाह नह मिलेगी। यह आवश्यक है और वह इसलिए कि आप एक चौकीदार को १० रुपया देते हैं, उसके भी बच्चे हैं। यह जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी चौकीदार ही बनें। उसका बच्चा भी इंगलैन्ड जा सकता है, अमेरिका जा सकता है। कहां अच्छी तरह पढ़ सकता है ? वह १० रुपये में कैसे गुजर करेगा ? आपने क्या कोई ऐसा कानून बनाया कि ५०० रुपया से कम किसी को नहीं मिलेगा और १ हजार से ज्यादा किसी को नही मिलेगा।

मैं तो कहूंगा कि सब की तनख्वाह बराबर कर दीजिये। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके पास ब्रेन नहीं है और वह चपरासी है तो उसको भी तनख्वाह तो वही मिलनी ही चाहिये। आप उनसे अधिक काबिल हैं आप उपाध्याक्ष बन गये है और हम कम काबिल हैं तो यहां हैं लेकिन ह तो दोनों एम० एल० ए०। चौकीदार कलेक्टर और कमिश्नर अपने ब्रेन के हिसाब से सब बन जांय लेकिन तनख्वाह सब की बराबर होनी चाहिये। क्योंकि सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। पैसे में समानता होनी चाहिये। अगर समानता न भी हो तो १ और ५ या १ और १० का अनुपात अवश्य रखा जाना चाहिये। मोती लाल जी ने कहा कि हम ऐसा करने वाले थे लेकिन आप केवल बातों में ही कहते हैं क्या अ पने आपनी पालिसी में इसको रखा ? अगर आपके कहने में सच्चाई थी तो इस अभिभाषण में उसको आपने क्यों नहीं रखा। इनको तो शक हो गया है। जैसे किसी साहब की मुट्ठी में अंगूठी थी। दूसरे ने कहा कि मैं समझ गया। क्या समझ गये ? इसमें चक्की का पाट है। आप भी रशिया से रोशनाई ले आये और आपने उसको यहां लगा दिया। इस तरह की बातों को बनाने के बजाय आपको समाजवाद लाने के लिये ठोस कदम उठाना चाहिये ?

दूसरा मैंने जो संशोधन दिया है वह है- "प्रदेश भर में परिवार नियोजन की तरह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा नगर तक जनता के आवागमन हेतु सड़क बन जाने के लिये तेज प्रोग्राम की घोषणा नहीं की।" मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने चार साल के राज्य में क्या किया ? जनसंघ वाले कहते थे फेमिली प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। संयम से रहो, विवाह मत करो। लेकिन जब यह सरकार में आये तो उन्होंने भी वही नारा लगाना प्रारम्भ कर दिया और फेमिली प्लानिंग के कैंप लगवाने लगे। लेकिन मैं पूछता हूं क्या सड़कों के बनाने के इस प्रकार के कोई कैम्प लगवाये। क्या प्रदेश की प्रगति को करने के लिये इस प्रकार के कोई कैंप लगवाये ? बरसात होती है, लू चलती है, क्या आप रास्ते में ट्रेक्टर पर बैठ कर जा सकते हैं ? सड़कों के लिये ५० करोड़ रुपया रखा गया लेकिन एक भी सड़क नहीं बनी। नवाबगंज एसी कांस्टीटुयेन्सी है जिसमें एक सड़क भी नहीं बनी है। कोई प्रगति वहां नहीं हुई, कोई भी

[श्री चेतराम गंगवार]

निर्माण कार्य वहां नहीं हुआ। २० साल की बात छोड़ दीजिये, ४ सालों में आपने क्या किया? क्या सड़क बनाने का कोई पखवाड़ा फेमिली प्लानिंग के पखवाड़े की भांति आपने मनवाया? आपके आफीसर गवर्नमेंट का पैट्रोल फूंकते हैं और आपरेशन करते हैं तीसरे ही सेक्स का जिसका आबादी से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार ने इसको अपने घोषणा-पत्र में क्यों नहीं रखा? प्रदेश के टूटे फूटे रास्तों को बनवाने का कोई प्रोग्राम आपने नहीं रखा। भले गांव का आदमी दूसर गांव न जा सक, भल ही उसक बच्चे पढ़ने के लिये न जा सकें। भले ही वह शहर के दर्शन न कर सके लेकिन आपने उनके लिये पिछले ४ सालों में कोई सड़क नहीं बनवायी। उनके लिये आप आवागमन की व्यवस्था नहीं कर पाय।

तीसरी बात मैंने अपने संशोधन में यह रखी है-- "नगर की तरह देहातों में हर ब्लाक स्थल पर सरकारी बालक एवं बालिका इन्टर कालेज तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल की व्यवस्था की घोषणा नहीं की"।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐजूकेशन की इतनी प्रगति होने के बाद भी देहात में अगर आप जायेंगे तो आपको वहां ९० फीसदी या इससे भी ज्यादा निरक्षर लोग दिखायी देंगे। उनके पास न इतनी आमदनी है और न इतने साधन हैं कि किसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिये भेज सकें। वहां १००/२०० रुपये माहवार का खर्चा कर सकें।

देहातियों की आमदनी १०/२०/५० पैसे रोज से अधिक नहीं होती है। वह अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है। गांवों में जिला परिषदों की पाठशालायें भले ही हैं लेकिन हायर सेकन्ड्री और इन्टर कालेज नहीं हैं। शहरों में लड़के लड़कियों के लिये स्कूल्स हैं लकिन गांवों में नहीं हैं जहां से हम लोग चुन कर आते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिय आपने क्या इंतजाम किया है? आप हर तहसील और ब्लाक स्तर पर अपने मिडिल स्कल खोलन चाहिये। सब जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वे सब बिजनेस प्लाइंट आफ व्यू से चल रहे हैं। १०० रुपये अध्यापक को देते हैं और २०० रुपये पर दस्तखत कराते हैं। यह भ्रष्टाचार है और इन मंत्रियों का बढ़ाया हुआ है। आप शहरों में किंडर गार्डन और मांटेसरी स्कूल खोल रहे हैं जिनमें मामूली आदमी अपने बच्चों को नहीं भेज सकता है। आप क्यों नहीं सारी शिक्षा संस्थाओं का स्तर एक समान क्यों नहीं कर देते है? लेकिन आप तो कुर्सियों से चिपके रहना चाहते हैं। अगर सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो घोषणा कर दें कि सारे स्कूलों में एक सी ही शिक्षा होगी। आपने गांवों में इसलिये स्कूल खोल रहे हैं कि उनमें अपने रिश्तदारों को रख देते हैं, और जो चुनाव के समय आपका काम करते हैं।

समाजवाद से इनका कोई वास्ता नहीं है। यह दुख की बात है कि शब्द कुछ होते हैं और परिभाषा कुछ और होती है। जनता को उनके जाल में नहीं आना चाहिये। जनता आती भी नहीं है। वह सब कुछ समझ गई है। मेरे संशोधन का चौथा प्वाइन्ट यह है कि "खेतों में होने वाली उपज के मूल्यों की लागत के अनुसार अधिक से अधिक स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा नहीं की" बुवाई के समय गेहूं, धान आदि के बीजों के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं और इसके साथ साथ शंकर बाजरा और शंकर ज्वार लेनी पड़ती है उस समय जब कि उनकी बुवाई का समय निकल चुका होता है। मैंने पन्त नगर से ५ रुपये ७० पैसे किलो के हिसाब से बीज लिया जो मुश्किल से १०० रुपये क्विंटल बिका। बीज में ब्लैक होता है इसको कोई चैक नहीं करता है।

खाद में बड़ा गड़बड़ चल रहा है। असली चीज नहीं मिलती है। उसकी क्वालिटी में फर्क आ गया है। आज वह चीज नहीं मिल रही है। आज मिक्सचर मिल रहा है। खाद का स्तर इनके कारखानों ने बहुत गिरा रखा है। कोई चेक नहीं करता। उसके लिये पूरा एक विभाग है लेकिन कुछ कार्य नहीं हो रहा है। यह ठीक है कि खाने की जरूरत हर आदमी को होती है लेकिन बाजार में और भी तो बहुत सी चीजें हैं जिनकी किसान को जरूरत होती है। वह भी तो इस प्रदेश का ही नागरिक है। आप तो सारे टैक्सेज बढ़ाये हुये हैं। लेकिन कभी ऐसा

आपने नहीं किया कि फैक्टरी और खेत में पैदा हुई चीजों की कीमतों में अनुपात हो। माननीय चरण सिंह हाउस में नहीं हैं। अगर वह होते तो मैं उनको बधाई दे देता गन्ने के मामले में। आप देखें कि गन्ना और चीनी के मामले में यह प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है। किसान तो आपकी खाद्य समस्या एक दिन में हल कर दे अगर आप उसको उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलवायें। उसको घाटा न पड़े। १० रुपये का बीज और ५० रुपये की खाद डालने के बाद अगर उसको घाटा हो तो फिर वह क्यों पैदा करेगा।

एक मेरा संशोधन और है कि "प्रदेश के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कोई घोषणा नहीं की।" वीरेन्द्र बर्माजी है नहीं। वह हमारे यहां एजूकेशन मिनिस्टर की हैसियत से गये थे। सौ आदमियों ने उनके सामने गवाही दी थी कि महेशकुमार शर्मा, डिप्टी इंसपेक्टर घूस लेता हैं। मंत्रीजी ने बुला कर उसको डाटा भी। लेकिन उसके बाद आज ६ महीने हो गये उसका ट्रांसफर तक वह नहीं करा पाये। हालांकि ट्रांसफर कोई पनिश मेंटन नहीं है, लेकिन अगर गर्मी में आगरा और जाड़े में नैनीताल को ट्रांसफर कर दिया जाय तो वह एक तरह की सजा हो जाती है लेकिन वह ट्रांसफर भी नहीं करा पाये।

इसी तरह हमारे यहां बरेली में एक बिरासत अली हैं आर्म्स क्लर्क और एक डाक्टर हैं एन० बी० सक्सेना। उनके सामने एक लड़का बन्दूक का लाइसेन्स लेने गया। तो दस रुपये का नोट ले लिया उसके बाद लाइसेन्स दिया। तो भ्रष्टाचार की यह हालत हो गई है। और वह तो केवल आर्म्स क्लर्क हैं मंत्रियों ने भी भ्रष्टाचार की हद कर दी। बजट के खंड २ में इन्होंने कांटीजेन्सी फंड से ४० लाख रुपया निकाल लिया। कंटिजेन्सी फंड कहीं आग लग जाये, बाढ़ आ जाये, ऐसी ही कोई दैवी आपदा आ जाये उस पर खर्च करने के लिये होता है। तो मंत्रियों पर रहने की दैवी आपदा आ गयी। किसान मर रहा है, उनके लिये कोठी की जरूरत पड़ गई और उनमें गुलाब की खेती होगी। उस ४० लाख रुपये से मंत्रियों की कोठियां बनवा दीं जिसमें आज वह आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं।

इनको अपने समाजवाद पर शर्म आनी चाहिये। किसान खेत में सूख रहा है। उनके पास कपड़े पहनने के लिये नहीं हैं। वह दुबला पतला है लेकिन ये लोग लाल होते जा रहे हैं। इसलिये यह जो गवर्नर साहब का अभिभाषण है इसका सरासर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जो नई सरकार आयेगी वह अपनी नई नीतियां बनाकर आगे बढ़ेगी जिनकी आशा करके जनता ने उन पर भारी विश्वास प्रकट किया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। लोक सभा के चुनाव समय से पहले हो गये जब कि इसके लिये काफी समय रहता था लेकिन इस बीच यह परिस्थिति क्यों आई, सब लोग इससे अवगत हैं। मान्यवर, मैं भी इस लोक सभा के चुनाव में प्रत्याशी रहा हूं और उसका मुझे भी अनुभव है। मैं अपने जिले गोरखपुर से खड़ा हुआ था जिसमें हार गया। इस बात को स्वीकार करता हूं लेकिन यह हार नैतिकता की नहीं हुई है बल्कि अनैतिकता की जीत हुई है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रत्याशी बिजयी हुआ है उसके पब्लिक जीवन के साथ काले धब्बे लगे हुये हैं। मैं इस बात को बड़ी गम्भीरता और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में जो फाइल लिखी गई है उनमें यह निर्णय साफ साफ दिया गया है कि गोरखपुर प्रापर से और बांसगांव सुरक्षित क्षेत्र से जो प्रत्याशी जीता है उसके विषय में अनेक काले धब्बे लगे हुये हैं। यह किसी जनहित के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बातें संयुक्त रहेंगी या कोई पार्टी इस प्रकार के व्यक्ति को यदि टिकट देती है तो इससे बड़ा जघन्य पाप और नहीं हो सकता है।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

मान्यवर, आप देखें कि जनता अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिये तैयार थी लेकिन यह स्थिति कैसे बदल गई, इस बात को स्पष्ट कर देना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। इस क्षेत्र में एक संसोपा और एक बी० के० डी० से मैं भी था लेकिन इस चुनाव में विजय पाने के लिये अनेक वादे किये। हरिजनों से कहा गया कि आपको जमीन दी जायगी। जो मुस्लिम वर्ग था उनसे कहा गया कि आपको तरक्की देने के लिये काम किये जायेंगे परन्तु हरिजनों को आज इस कांग्रेस सरकार ने उनको क्या दिया। श्रीमती गांधी की सरकार आज भी बैठी है तो वह क्या दे रही है। और कहां से दे सकती है? ऐसी स्थिति में अनक जाल फरेब करके और जनता को अनेक प्रकार के लालच देकर यह चुनाव जीता गया है। इसके साथ साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि इस चुनाव में, विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि संविद क लोगों के साथ टाटा, बिड़ला और डालमियां थे।

मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर सर सुरेन्द्रसिंह मजीठिया रहता है। सुरेन्द्र सिंह मजीठिया ने अपनी ३, ३ जीप इन्दिरा जी के चुनाव को जिताने के लिये दी थीं और कुछ रुपया उन्होंने दिया था। इतना ही नहीं बल्कि सुरेन्द्र सिंह मजीठिया को १०१ डिग्री का बुखार था लेकिन फिर भी ऐसी हालत में वह अपना वोट देने के लिये आये थे। उन्होंने इंडिकेट वालों को ही अपना वोट दिया होगा तभी तो वह ऐसी बुखार की हालत में वोट देने के लिये आये थे। मैं आपके माध्यम से यह भी बतलाना चाहता हूं कि कुछ शराब के ठेकेदार थे जो इन्डीकेट क साथ थे, उनकी गाड़ियां उन का पैसा और सारी मदद चल रही थी और उन की खुली शराब की दुकानें रात भर चलती थी। जहां नैतिकता की परिभाषा ऐसी हो वहां मैं नहीं समझता कि किस सीमा तक वह नैतिकता की परिभाषा को और ले जाना चाहते हैं। अभी हमारे विधान मंडल के सदस्य श्री गंगवार जी ने चौधरी चरण सिंह पर बहुत छीटाकशी की है। मैं कहना चाहता हूं कि जब चौधरी चरणसिंह मुख्य मंत्री थे और उस संविद के शासन काल में इन्डीकेट के लोगों का उन्हें समर्थन प्राप्त था तो इसी विधान सभा में राज्यपाल के भाषण में ३० एकड़ की सीलिंग की बात आई थी लेकिन उस वक्त उधर के लोगों ने कहा था कि यदि ३० एकड़ की सीलिंग की गई तो हम चौधरी साहब की सरकार में नहीं रहेंगे।

श्री चेतराम गंगवार---

मेरा नाम उन्होंने लिया है लेकिन मैंने तो चौधरी साहब को धन्यवाद ही दिया था।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

तो मैं भी आप को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप को अक्ल आ गई तो ठीक ही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब उन्होंने ३०एकड़ की सीलिंग की बात की थी उस समय इन्डीकेट के लोगों ने उसका विरोध किया था लेकिन वह विरोध आम जनता तक उस रूप में नहीं पहुंचा और वह एक संघर्ष के रूप में रह गया और वह अन्तर्द्वन्द बनकर सरकार को गिराने की बात आई। चौधरी साहब प्रदेश को राष्ट्रपति शासन से बचाना चाहते थे और वह हालांकि स्वयं स्तीफा देना चाहते थे लेकिन उन्होंने जहर पिया और वे कुछ दिनों के लिये शांत रहे। उनके मन में बराबर गरीबों और किसानों के प्रति हमदर्दी है लेकिन उन की पार्टी बहुमत में नहीं थी और किसी के साथ सरकार बनानी ही थी। हम देखते हैं कि हर पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है उस में दूध की नदियां बहाने की बात रहती है।

इस देश में पिछले कितने ही सालों से कांग्रेस दल सत्तारूढ़ था, उस का शासन यहां रहा। लेकिन जब उसके द्वारा लोगों से किये गये वादे पूरे नहीं हुये तो धीरे धीरे कई चुनावों में उनके वोट कम होते चले गये। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि इस लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी बिजयी अधिक हुये हैं लेकिन इस के जो खास कारण हैं वे अनेक सदस्यों ने यहां बताये और यहां तक कहा जाता है कि कुछ बैलट पेपर रूस में छपे और पता नहीं कैसे सुनियोजित करके बैलट इधर से उधर किये गये वर्ना इतनी बड़ी संख्या में जीतने की कोई आशा

नहीं थी। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जरूर इस मामले में कोई न कोई जाल या फरेब किया गया है।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में भी कुछ सदस्यों द्वारा आक्षेप किया गया। मैं कहूंगा कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण का केन्द्र को अधिकार है, प्रदेश की सरकार तो उनके पास अपनी रिपोर्ट और सिफारिश भेजती है और उसी आधार को यदि केन्द्रीय सरकार मान लेती है तभी वह चीज हो सकती है लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है, उसका व्यवहार तो इस विषय में भी सौतेला जैसा है। आज तो केन्द्रीय सरकार चाह रही है कि हमारे विरोध में जो संविद सरकारे चल रही हैं उनको किसी तरह से तोड़ा जाय और उस के लिये उन के अनेक प्रयास जारी हैं।

अनेक सदस्यों ने कहा कि लखनऊ का कपूर होटल इसके लिये बहुत मशहूर हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि उसका शिकार बनाने के लिये मेरे पास भी एक आदमी आया था लेकिन वह आदमी मेरा पहले से कोई जानकार नहीं था। उस ने आकर मुझसे कहा कि आपको कपूर होटल में बुलाया जा रहा है, आप हमारे साथ चलें। वह आदमी मुझ से भले ही परिचित रहा हो लेकिन मैं उससे परचित नहीं था। मैंने उससे कहा कि किस ने बुलाया है तो उस ने कहा कि बस जरा कपूर होटल तक आप चला चलें लेकिन मैं उन के कहने पर गया नहीं। मैं तो जानता था कि वहां कौन बुला रहा है और मैं उन से क्या कहता, यह उन की नैतिकता की परिभाषा है। इसको मैं सुनने के लिए तैयार होता लेकिन जब मैंने पूछा कि आप कहां से आये हैं तो उन्होंने कहा कि आप वहां चले चलिए। तब मैंने पूछा कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहता।

जहां संविद की सरकार को गिराने के लिए ऐसे-ऐसे कार्य चल रहे हों तो यह देश कहां जायगा। मेरे विचार में यह देश गरकी की ओर जा रहा है। यदि समाजवाद की यही परिभाषा है तो कैसे अमीरों और गरीबों का फर्क मिटाया जायगा। इससे देश में कुछ नहीं होन वाला है। आज मैं तो देखता हूं कि इंडिकेट में ऐसे लोग शामिल हो गये हैं जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं, अगर श्रीमन, इंदिरा गांधी को अपने समाजवादी कार्यक्रम को लागू करना है तो अपने दल के जो लोग हैं वे अपनी निजी सम्पत्ति और निजी फार्म आदि की सूचना दें और सरकार उनकी जांच कराये और उनको इंदिरा जी उस आधार पर अपनी पार्टी में रखे अन्यथा मैं इसको समाजवाद मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसी अवस्था में मैं देखता हूं कि देश के सामने एक ऐसी समस्या आई है कि विधान मंडल के सदस्यगण आये दिन संविद की ओर से कहते हैं कि हम उधर जा रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वे रुपये का लालच उनके ऊपर जरा भी असर नहीं करेगा और जिस दिन आप मत विभाजन की मांग करेंगे, उस दिन उनका वोट सरकार के ही पक्ष में पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन साधनों का प्रयोग मत करें अन्यथा देश के हित में बहुत बुरा होगा।

दल बदल तो खराब है ही और इसे सबसे पहला अनैतिक काम माना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि वे पूंजीवाद की समर्थक नहीं हैं। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूं। जब पूंजीपति रहेंगे तो पूंजीवाद बढ़ेगा तो इसलिए यही उचित है कि अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाने के लिए उन्हें चाहिए कि वे इनके बीच की खाई को मिटायें तभी असली समाजवाद आ सकता है लेकिन यह तो होने को नहीं है। यहां तो एक मात्र जनता को समाजवाद का लालच दिया है, लोगों को बर्गलाया गया है कि बेरोजगारी समाप्त कर दी जायगी।

आज बेरोजगार व्यक्ति एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जो चाहता है कि हमें रोजगार मिले लेकिन केन्द्रीय सरकार ने, हमें दुःख है, अपने वर्तमान बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। इसके साथ साथ हमारे कुछ हरिजन भाइयों ने इस ढुलमुल नीति में पड़कर फरमाया कि संविद की सरकार की गलती है। यह संविद की सरकार की गलती नहीं है। संविद की सरकार को

[श्री किरंगी प्रसाद शारद]

कितने दिन हुए हैं, हमारी कांग्रेस सरकार ने जनता का कोई भला नहीं किया है और आगे भी हमें इसके सुधार का कोई रास्ता नजर नहीं आता । जिन हरिजन भाइयों ने किसी तरह से छप्पर के मकान बनाये थे, खून पसीना एक करके, यदि कुछ कर पाये हैं तो किसी तरह से उनके मकान खपरैलके बन पाये हैं, यदि बने भी हैं तो फिर उनको टूटी खपरैलोंको बदलनेके लिए पैसेकी तलाश करनी पड़ती है । ऐसी दशा में इंदिरा जी का समाजवाद कहां से आ रहा है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं ।

कुछ लोग इसको हवा बना करके अनेक तरह से सिद्ध करना चाहते हैं । लेकिन मैं इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि कोई भी समाज में एक बार धोखा दे सकता है, एक बार किसी को अपनी बात से या विश्वास देकर धोखे में डाल सकता है अन्यथा उसके लिये आगे के सारे रास्ते बन्द हो जायेंगे । तो मैं प्रदेश की जनता से यह चाहूंगा कि वह इस विषय में सोचें और मेरे विरोध पक्ष के लोग कभी भी इस बात को न कह बैठें कि इन्दिरा का समाजवाद सही आनेवाला है । हम इस विषम परिस्थिति में यह चाहते हैं और आपको भी यह प्रयास करना चाहिये कि संविद की सरकार यहां बनी रहे और हम लोग केन्द्र की बातें भी देखें । अगर आप उनके अनुसार चलने लगेंगे तो आप उनकी हां में हां मिलाने लगेंगे । आप लोग दल बदल करने में विशेष जोर न दें नहीं तो देश का भविष्य खतरे में होगा और जितने भी दल बदल कर जाने वाले भाई हैं उनको मध्यावधि चुनाव के झोंके में आना पड़ेगा । मैं निवेदन करूंगा कि बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिक पिछड़ापन, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानतायें तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए संविद की सरकार ने हर समय में अथक प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी प्रदेश के हित में अच्छा काम करेंगे । इसके साथ साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत व समर्थन करता हूं ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान कर उत्तर प्रदेश की उलझी हुई समस्याओं के विश्लेषण का अवसर दिया है । मान्यवर, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हुई है । समाज करवट बदल रहा है और सारे उत्तर प्रदेश में उथल-पथल की एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है । सदन में ही नहीं, आज किसानों के खेतों की क्यारियों में, मिलों की चक्कियों की घनघनाहट में, और प्रदेश के कोने-कोने में महायुद्ध ठना हुआ है । वास्तव में वह युद्ध गरीबी और अमीरी के बीच में महायुद्ध है । प्रदेश और देश की कारुणिक दशा की जब मैं चर्चा करता हूं तो आंखों में आंसू छलक उठता है ।

२० और २३ वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी आर्थिक और सामाजिक विषमतायें एक प्रश्न चिन्ह के रूप में जनता के समक्ष भयावह रूप लिये खड़ी हैं । ऐसी स्थिति में हमें सोचना है कि गरीब झोंपड़ी में और अन्धेरे में क्यों भटक रहा है ? यह अभिनय कब तक चलता रहेगा ? इन विकट समस्याओं से भारत का और प्रदेश का भविष्य जुड़ा है, हमारा और आपका भविष्य जुड़ा है । यही कारण है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए समाजवादी नीति को आपके सामने रखने का प्रयास किया है और यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन की धारा को तेज करने के लिये युग में नई उथल-पुथल और नई क्रान्ति होने जा रही है । मेरे साथियों ने पक्ष और विपक्ष.....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे दूसरे पक्ष के साथियों ने भी अभी हमारे प्रदेश के स्वरूप का नक्शा पेश करते हुए यह कहा है कि देश में अनास्था के वातावरण का सृजन हुआ है, निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है । और आज तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सारा लोकतंत्र कसौटी पर है । इसमे हमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप से आग्रह है कि माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं और यह परम्परा रही है कि टोका नहीं जाता है, इसलिए शान्त रहे ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूं, पहली बार युग बोल रहा है, पहली बार किसान बोल रहा है, मजदूर बोल रहा है, नौजवान बोल रहा है, गांव की झोपड़ी बोल रहा है, किसान की क्यारी बोल रही है । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस डूबते हुए अन्धकार में, डूबते हुए समाज को उबारने के लिए, बीस वर्ष से अपने हृदय में सिंचने वाले आर्थिक क्रान्ति के स्वप्न को पूरा करने के लिए एक नयी रोशनी और एक नयी प्रकाश की किरण इन्दिरा जी की ओर से आ रही है । मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि स्थिरता और आस्था किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति के लिए आवश्यक है । ऐसी स्थिति में केवल गैरसंविदवाद, केवल गैरकांग्रेसवाद राजनैतिक दर्शन नहीं हो सकता । इन्टैलीजेन्शिया क्लास के लोग जानते हैं कि चाहे गैरसंविदवाद हो, चाहे गैरकांग्रेसवाद हो, वह पालिटीकल फिलासफी नहीं बन सकता है । आवश्यकता इस बात की है कि आज हमारे लोग नेगेटिव एप्रोच को छोड़कर जीवन की यथार्थ भूमि पर समाजिक परिवर्तन का यज्ञ पूरा करने के लिए, देश की प्रगति के लिए, वैषम्य की समाप्ति के लिए, समाजवाद की मंजिल की ओर तेजी से डग बढ़ावे ।

मान्यवर, मुझे आश्चर्य और दुःख है कि जब स्थिति ऐसी भयावह हो रही है उस स्थिति में क्रान्ति और सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए पावों में बेड़ियां डाली जाती हैं । मैं किसी सदस्य पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं और न संसदीय जनतंत्र के स्तर से गिरकर बोलना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि संसदीय जनतंत्र की पताका यहां ही नहीं बल्कि सारे विश्व में फहरे और हमारा सदन एक निदर्शन हो वैसे ही जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की धुरी पर देश और दुनिया की राजनीति डोलती रही है ।

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में हमारे साथियों को जो प्रशासकीय पदों पर बैठे हैं उन्हें और हमारे मित्रों को, सारे लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, जीवन का पाजीटिव एप्रोच अपनाना होगा । मान्यवर, लोग आदर्श, नीति और कार्यक्रम की बात कहते हैं, किन्तु संविद आदर्श शून्य और दिशा विहीन है । इसके पास न नीति है न कार्यक्रम, मैं अहम से शून्य होकर कहता हूं कि मेरी विजय की चर्चा होती है । वास्तव में वह मेरी विजय नहीं है, वह जनता के परिवतन की गहरी आकांक्षाओं की विजय है (तालियों की आवाज) । वह झोपड़ी म रहने वाले गरीब किसान और मजदूर की विजय है । जब समाजवाद और लोकतंत्र का बिगुल बजना प्रारम्भ हुआ तो उसका गणशपूजन मनीराम से ही प्रारम्भ हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर ? मैं तो जनतंत्र का एक सेवक मात्र हूं ।

हमारे प्रदेश की चौथी योजना, जिसकी चर्चा राज्यपाल जी के अभिभाषण में कही-कहीं है, अपनी प्रकृति और गठन के कारण लंगड़ी और लूली हो चुकी है, निकम्मी हो रही है, इसलिए कि वर्तमान सरकार शासनहीन है, आदश शून्य है, सिद्धान्त विहीन है और अंधकार में भटक और टटोल रही है । इसके सामने कवल गर कांग्रसवाद का आधार है । मान्यवर, म आपक माध्यम से जनता जनार्दन के स्वर में चेतावनी देना चाहता हूं, यदि सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश बड़े से बड़े व्यक्तित्व ने भी की तो उथल-पुथल होगी ।

वास्तव में इतिहास और सामाजिक परिवर्तन की धार को मुठ्ठी में कैद नहीं किया जा सकता है । चेतना को बन्दी नहीं बनाया जा सकता है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में लोग कहते हैं कि केन्द्र से रुपया चाहिये । मैं उदाहरण दूं मान्यवर, सारे बजट को छोड़ दीजिए इस वित्तीय वर्ष में बहुत सी ऐसी योजनायें थीं जिनके कार्यान्वयन की बात

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

तो अलग रही उनको प्रारम्भ भी नहीं किया जा सका है। क्या यही कर्मठता और कुशलता है। मान्यवर, मैं इन पर आरोप लगाता हूं कि इन्हीं में निर्धारित करने का खर्च तक नहीं किया। ३६ लाख रु० का सूचना विभाग का साधारण बजट है जिसमें से साढ़े ४ लाख रुपया सरेन्डर कर दिया गया। इसलिये कि खर्च नहीं किया जा सका।

हमारे मुख्य मंत्री जी और बुद्धिजीवी अन्य मंत्रिगण अपने बजट के इतिहास की पुस्तिका के पन्नों को उल्टे बिना ही १८१ करोड़ रुपये की मांग केन्द्र से करते हैं। किस मुंह से वे इसकी मांग करते हैं। किसी भी योजना की कोई निश्चित रूपरेखा ही नहीं देते हैं और इस प्रकार की मांग करते हैं। मुझे आश्चर्य है जब आप अपने प्रसाशन की न्यायिता और ईमानदारी का दम भरते हैं, परन्तु वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया कि लोक सभा के अप्रत्याशित चुनावों के कारण सरकार को इतना समय नहीं मिल सका कि वह नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार अगामी बजट तैयार करवा सके क्योंकि इसका उसको समय ही नहीं मिल सका। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का ग्रिप प्रशासन से ढीला हो गया था, वह जाता रहा था क्योंकि यह सरकार तो उसके बहुत पूर्व से है। मान्यवर, यह बड़े असमंजस्य की स्थिति है यह कहने में कि यह सरकार उस समय मनीराम के चुनाव में पूर्ण रूप से व्यस्त थी और हमारा सारा प्रशासन तंत्र मेरे विरुद्ध कार्य कर रहा था।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं चर्चा कर रहा था कि इस सरकार को इसका अवसर ही नहीं मिल सका। लोकसभा चुनाव और प्रशासन से उसका ग्रिप हो जाता रहा क्योंकि यह सरकार वहां पर बैरक बनाये बैठी थी। मान्यवर, मैं बजट के एक एक मदों पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करूं कि यह चर्चा की जाती है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है। इस सरकार की नीति के कारण उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक पिछड़ा है और इसका उत्तरदायित्व केन्द्र पर थोपा जाता है? बजट में पैसा लैप्सकरवाने की बात मैं नहीं कहता परन्तु इस प्रकार से यह दायित्व की बात नहीं होनी चाहिये। आप विचार करें कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ४८.४९ में स्थिर मूल्यों पर २६० रु० थी और उस समय इस देश की प्रति व्यक्ति आय २४७.५ रु० थी। एक दशक के बाद ६०.६१ में २४६ रु० प्रति व्यक्ति हो गई जब कि देश की ३०६.७ रु० हो गई थी। इसी प्रकार से तृतीय पंच वर्षीय योजना के उपरान्त हमारे प्रदेश की आय २४५ रु० ही रह गई जब कि देश की ३६० रु० हो गई। १९६६-६७ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय घटकर २२८ रु० ही रह गई।

इस प्रकार से मान्यवर आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश का नागरिक समस्त देश और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कितना पीछे चला गया। मान्यवर, यह कोई इन्दिरा गांधी के आंकड़े नहीं है यह तो उत्तर प्रदेश के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आंकड़े हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि इन लोगों ने क्षेत्र की विषमतायें बढ़ाई है। मेरा आरोप है मुख्य मंत्री जी पर और पिछले मुख्य मंत्री पर भी कि उन्होंने जानबूझकर उत्तर प्रदेश की एकता को खंडित करने की चेष्टा की और इसे आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया है।

इन्होंने षड़यन्त्र किया है प्रदेश के विभाजन का और वैषम्य में लिपटे हुए पूर्वांचल को दबाने की कोशिश की है। यह कहा गया कि पूर्वांचल का व्यक्ति काम करना नहीं जानता है, जिस पूर्वांचल का व्यक्ति वर्मा, श्याम, थाइलैंड और मलाया में जाकर और कुलियों का काम करके, अपने खून को पिघला पिघला कर श्रम से सम्पदा को उपार्जित करता है, उसको लांछित किया जाता है।

कृषि का कार्य करने वाले ७५ प्रतिशत के पास ५ एकड़ से कम भूमि है, वहां लैंडलैस लेबरर की स्थिति बड़ी ही दयनीय और भयावह है। इतना ही नहीं वहां सन ६२ में एक पटेल कमीशन की स्थापना की गयी थी। वह एक अध्ययन दल था जिसमें ४ जिले—देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर थे। बाद में बलिया और बस्ती को भी उसमें जोड़ दिया गया लेकिन फिर

भी अभागा गोरखपुर छोड़ दिया गया, इसलिये कि साम्प्रदायिकता के महान दानव के चंगुल में मानी राम को दबोच रखा था। गोरखपुर की औसत आय की तरफ ध्यान दिया जाय तो विदित होगा कि उत्तर प्रदेश की औसत आय जहां २४५ रु० है वहां गोरखपुर की औसत आय केवल २१५ रु० आती है।

विषमता की स्थिति यह है कि जहां मेरठ व उसके आसपास ४४ प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है वहां पूर्वांचल में २७ प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई होती है और उसमें भी १६ प्रतिशत ढेंकुल से और केवल ११ प्रतिशत क्षेत्र में ही नलकूपों से सिंचाई होती है। नेशनल सैम्पुल सर्वे है उसका यह जीवित उद्धरण है। मैं स्तर से नीचे जाकर किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं बौद्धिक विवाद के माध्यम से ही सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं। बेकारी की समस्या के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा क्यों नहीं है? मेरे मित्रों ने भी बेकारी की चर्चा की है। कितनी पीड़ा की बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग गाय और भैंस की गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैं और नाबदान के बिलबिलाते कीड़ों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

तो आखिर इस स्थिति में रहने वाले बेकारों की कोई योजना क्यों नहीं बनायी गयी? शायद वे भूल गये कि केन्द्र ने ५० करोड़ रुपये की एक योजना बेकारों की समस्या को हल करने के लिये निर्धारित की है और ५ लाख लोगों को साल में उससे रोजगार मिलेगा और जिस परिवार के सभी बेकार है उनमें एक को कार्य मिलेगा और फी व्यक्ति १०० रुपया दिया जायगा और इससे उत्तर प्रदेश मे एक लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे। यह एक बड़ी ही विचित्र और भयावह स्थिति है। यदि इसे बदला नहीं गया तो विद्रोह होगा। तो जैसा कि मैंने पहले आग्रह किया गैर कांग्रेसवाद राजनैतिक आदर्श नहीं होगा। अच्छा होता कि भूमिहीनों की समस्या को हल करने के लिये एक निश्चित व्याख्या प्रस्तुत की गयी होती।

अच्छा होता कि सड़कों के लिये कोई निश्चित स्कीम बनायी गयी होती। कोई विलेज रोड प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया गया और अगर बेकारी को दूर करना चाहते थे? हरियाना के मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल की सरकार ने वित्त मान्यताओं को खून के गारे से सींच कर सड़कों का निर्माण कराया तो माननीय टी० एन० सिंह की सरकार अरणारोदन क्यों कर रही है?.... क्यों नहीं उतरते प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वियन के क्षेत्र में और क्यों नहीं आर्थिक क्रान्ति की मंजिल की ओर पांव बढ़ाते? कृषि सम्बन्धी ऐसी योजना क्यों नहीं शुरू की जाती जिसमें व्यावसायिक रोजगारों का मार्ग प्रशस्त हो जैसे लोहार, बढ़ई और दूसरे छोटे लोगों को काम मिले। उन छोटे लोगों के लिए क्यों नहीं कालोनी बनाई जाती? आफिसर्स के लिये कालोनी बनाई जाती है। मैं माननीय जायसवाल जी के हृदय से पूछता हूं। आपने बड़ी वकालत की है गुर्बत की। मैं आपके स्वर में स्वर मिलाकर कहना चाहता हूं। हम और आप क्यों न इन योजनाओं और समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर हों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

मान्यवर, तब तो कपूर होटल जाना पड़ेगा।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

वह मेरा और आपका रास्ता नहीं है लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है जो कि देश की प्रगति के बाधक है।

मान्यवर, मैं योजनाओं के कार्यान्वियन की बात कर रहा था। हम जनता जनार्दन की आंखों में अब ज्यादा दिन तक धूल नहीं झोंक सकते। हमें जनता के हित की योजनाओं को कार्यान्वित करना पड़ेगा। मान्यवर, हमारी लड़ाई अविभाजित कांग्रेस में भी थी और ए० आई० सी० सी० के सदस्य की हैसियत से फरीदाबाद अधिवेशन में हमने नेतृत्व पर आरोप लगाया था।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

हमारे जिन प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था उसी का परिणाम है कि हमारी क्रान्ति का कारवां इन्दिराजी के नेतृत्व में चलने लगा । हम इन्दिरा जी के समर्थक इसलिए नहीं हैं कि वह मोती की पोती और जवाहरलाल की बेटी हैं बल्कि हम उनके समर्थक इसलिए हैं कि वह ५४ करोड़ शोषित, दोहित और पीड़ित जनता की संबल हैं उनकी आशाओं, आकांक्षाओं की प्रतीक हैं और आज इन्दिरा ही भारत है और भारत ही इन्दिरा है । आज वह स्थिति पैदा हो गयी है ।

मान्यवर अब मैं सरकार के कुछ लूपहोल्स की चर्चा करना चाहूंगा । मैं जो बातें इस सदन में और अपने मित्रों के समक्ष रखूंगा उनका मेरे मित्र–विश्लेषण करें कि कहां तक उनमें सच्चाई है । गांवों में बिजली की योजना इसलिए असफल रही कि जितना उत्पादन बढ़ा उसी अनुपात में सप्लाई घटी है । इसका कारण केवल भ्रष्टाचार है जो मंत्री स्तर से लेकर कर्मचारी स्तर तक है और प्रशासन के प्रत्येक पुर्जे में, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, घूंसखोरी की जंग लग गयी है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इंडो अमेरिकन सहकारी संस्था को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भेंट दी गयी है । मैं आरोप लगाता हूं टी० एन० सिंह की सरकार पर कि वह इसलिये भेंट की गयी है कि इसमें विदेशियों का हाथ है और यह सरकार विदेशी प्रभावों से प्रभावित है । यह पूंजीवादी, साम्राज्यवादी शक्तियों के माध्यम से हिन्दुस्तान को अमेरिका का थाइलैंड बनानी चाहती है । मैं आपके सामने एक और निवेदन करूं . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप यह साबित कर दें तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा और अगर सिद्ध न कर सके तो आप अपनी सीट छोड़ देंगे ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मुझे अपने वरिष्ठ मित्र से प्रेरणा मिलती है । मान्यवर, मैं उत्तेजित होने वाला व्यक्ति नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल---

यह साहित्यिक आदमी हैं, समाजवादी हैं । यहां बाहर के पैसे से लेनिन का जन्मदिवस मनाया गया । ये समाजवादी सिद्धान्त वाली इन्दिराजी नेपाल गई और वहां से प्रोग्राम लाई ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

अपने हृदय की गहराई में झांक कर देखो ।

श्री बांके लाल---

कपूर होटल में जाते हो । इन्दिराजी समाजवादी हैं, दिनेश सिंह समाजवादी हैं । करोड़ों रुपया हज्म कर गये, कहते हैं समाजवादी हैं ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

हमारे एक मित्र ने आवेश में आकर त्यागपत्र की चर्चा की । मैं भ्रम में नहीं हूं । चमचमाते सूर्य के प्रकाश में यह तथ्य साबित हो चुका है कि अब पराजित मुख्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो उसी सरकार के एक माननीय सदस्य क्या त्यागपत्र देंगे । मान्यवर, यह सरकार छोटे-छोटे हितों के लिए बेईमानी करती है । उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा अन्डरटेकिंग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसको ८ करोड़ रुपये के घाटे पर चलाया जा रहा है। अधिकारियों की कार्यक्षमता का तो अभाव है ही साथ ही प्रादेशिक सरकार की बदनियती भी उसमें कूट-कूट कर भरी हुई है । पावर हाउस को चलाने के लिए कोयले की सप्लाई आवश्यक होती है । उसके ठेका देने की प्रक्रिया

में करोड़ों रुपये का घपला और गोलमाल होता है । मैं उसके टेक्निकल आडिट की मांग करता हूं । मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि पावर हाउस में जितना कोयला लगना चाहिए उसका दुगुना इसलिए लगता है क्योंकि इसमें घपला किया जाता है अन्यथा इसकी मेकेनिज्म साफ है । बोआएलर की एक निश्चित क्षमता होती है जो मैन्यूफेक्चर द्वारा गारंटी की जाती है । उसका आडिट तो बड़ी सरलता और सुगमता से हो सकता है ।

श्रीमन्, अब मैं सूचना विभाग के भ्रष्टाचार की कुछ चर्चा करूंगा । इस विभाग में बड़ा ही घपला हुआ है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, कुछ समय तो लोगों के इन्टरप्शन के कारण लग गया । थोड़ा समय और दे द ।

चुनाव के समय के पूर्व ही इस सरकार ने सूचना विभाग के द्वारा ५ लाख पेम्फलेट छपवाए । अब यहां के गवर्नमेंट प्रेस ने रिफयूज कर दिया तो प्राइवेट प्रेस में दुगने और तिगुने दाम पर छपवाया गया और उनको लोगों के चुनाव क्षेत्रों में बंटवाया गया । क्या यह औचित्य के अनुकूल है, यह प्रश्न करना चाहूंगा ? क्या यह सूचना विभाग और प्रशासन के लिए शोभा की बात है ? इस कार्य में ७ लाख रुपये का व्यय ही नहीं किया गया बल्कि उन पेम्फलेटों को मनिराम तथा और क्षेत्रों में बंटवाया गया और लाखों पेम्फलेट आज भी बेकार पड़े हैं ।

मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा । एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के मेनेजिंग डायरेक्टर राणा की एन्ट्री खराब थी । उस एन्ट्री को कनडोन कर दिया गया । मैं इस तथ्य को सदन की मेज पर रखने की मांग करूंगा । कास्ट पोलिटिक्स के आधार पर विभाग को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है और यह कार्यवाही घृणित स्तर पर उतर कर की जा रही है । मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का अभ्यस्त नहीं हूं ।

उन्नाव जिले के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज आफिसर से एक मंत्री महोदय ने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता और न उन्हें असमन्जस्य में ही डालना चाहता हूं, यह कहा कि मेरे माध्यम से नामावली भेजो । वह बेचारा परेशान हुआ और उस ने निदेशालय को पत्र लिखा । मैं मंत्रिमण्डल से मांग करूंगा कि वह उस पत्र को, जो निदेशालय को भेजा गया है, सदन की मेज पर रखें ।

अब मैं एक सब से शर्मनाक घटना की ओर आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा । इस बार राज्य सरकार में, राज्यपाल की स्वर्ण जयन्ती मनाई गई । मान्यवर जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे शहीदों ने नारा लगाया था और अपना खून बहाया था, अभी राज्यपालों की स्वर्ण जयन्ती पर उसी प्रतीक बटलर और हैलेट को माला पहनायी गयीं, एक यह किताब छपी है, उसमें हैलेट की बातों को कोट किया गया है । (व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय—

श्री टी० एन० सिंह ने इस्तीफा दे दिया है । (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग द्वारा यह किताब छपी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । आपका समय हो गया ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने उन वरिष्ट माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जिनके कदमों के नीचे मैं संसदीय जनतंत्र की दीक्षा लेना चाहता हूं कि वे खामोशी के साथ इस

[श्री कृष्णा द्विवेदी]

नौजवान की बात को सुने । मैं यह कहने जा रहा था कि जब इस प्रदेश में इस तरह हैलेट की तस्वीरों को मालायें पहनायी जायेंगी, उनकी प्रतिमाओं का उद्घाटन होगा, तो फिर इस प्रान्त की क्या स्थिति होगी, देश की क्या स्थिति होगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय हो गया ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

अभी समाप्त करता हूं । मैंने यह निवेदन किया था कि आखिर यह बोट आन अकाउन्ट क्यों रखा गया ? नियमित बजट आप क्यों नहीं लाये ? शिक्षकों के लिये इस सरकार ने कुछ नहीं किया । विश्वविद्यालय की चहारदीवारी में अध्ययन करने वाले नौजवान छात्रों के लिये इस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, वाराणसी में उन पर गोली चलवायी, उन नौजवानों के खून से होली खेली गयी । इस सरकार ने विद्यार्थियों के साथ जो व्यवहार किया वह कितना लज्जाजनक था । माध्यमिक शिक्षकों की मांगों पर भी कोई ध्यान इस सरकार ने नहीं दिया ।

मैं सरकारी इम्पलाइज की मांगों का भी समर्थन करता हूं । उनकी मांगें भी उचित है । सरकार को उन्हें मानना चाहिये था । समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को सरकर को स्वीकार करना चाहिये । चूंकि समय नहीं है, धन्यवाद में कुछ और तथ्य भी प्रस्तुत करना चाहता था । इतना ही कहूंगा कि जनता को यह दी गयी चुनौती जनता बरदास्त नहीं करेगी । ला एन्ड आर्डर की हालत इतनी खराब हो गयी है कि आज नर संहार हो रहा है । मेरे यहां गरीबों के पचासों एकड़ खेत काट लिये गये हैं । हरिजनों को सताया जा रहा है । उनके घरों को फूंक दिया गया । एक महिला का झोंटा पकड़ कर मार डाला गया । चारों ओर आज आतंक मचा हुआ है । भय का सम्राज्य व्याप्त है । प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि ज्वालामुखी पर बैठी हुई यह सरकार अब टिक नहीं पायेगी ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीप नारायण मणि)---

श्रीमन्, मैं तो बोलने की मुद्रा में नहीं था, लेकिन हमारे नौजवान साथी जो गोरखपुर के बोले, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का नवजवान इतना गलत रास्ता पकड़ चुका है कि उस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक हो गया है । मैं भी गोरखपुर से सम्बन्ध रखता हूं और यह बात सोचकर मैं इस पर बोलने की सोचता हूं । यह प्रश्न विचारणीय है कि इस देश का नौजवान कैसा बनने जा रहा है और उसकी क्या कल्पना है । इसीलिए मैं दो-तीन बातों की यहां पर चर्चा करूंगा । समाजवाद की मेरे साथी ने बड़ी चर्चा की, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने समाजवाद का क्या अर्थ समझा है । रूस को यू० एस० एस० आर० कहते हैं जिसका मतलब है यूनियन आफ सोविएट सोशलिस्ट रिपब्लिकन, वही समाजवाद की असली शक्ल है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

आप पहले यह बतायें कि आप मंत्री हैं या नहीं, फिर बोलें । आपके बारे में बड़ी चर्चा है कि आपने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है । तो पहले यह बता दें कि आप किस हैसियत से बोल रहे हैं, मंत्री या सदस्य की हैसियत से ?

श्री दीपनारायण मणि---

मैं तो केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि इंदिरा कांग्रेस के लोग रूसी समाजवाद को पकड़ना चाहते हैं या किसी दूसरी शक्ल के समाजवाद को । इनकी पार्टी की वर्किंग कमेटी में युवातुर्क नेताओं ने कहा था कि मूल सम्पत्ति के अधिकार को हटा दिया जाए,

मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए और जजेज शुड वि कमिटेड । मैं उससे कहना चाहता हूं कि यदि सम्पत्ति का अधिकार न रहा और जजों की निष्पक्षता कायम न रही तो प्रजातन्त्र ही समाप्त हो जाएगा, उसका कोई भी अर्थ न रह जाएगा । रूस में क्लेक्टिव फार्मिंग है और सब कुछ कलेक्टिव है, सब सरकार का है, जनता का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि वहां पर अधिनायकवाद कायम हो गया है । तो इंदिरा की सरकार रूस का समाजवाद चाहती है या गांधी जी के सिद्धान्तों पर आधारित समाजवाद चाहती है, इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

यह बताइए कि क्या टी० एम० सिंह ने इस्तीफा दिया है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि---

अपनी एक चुनाव सभा में हमारे यहां गेंदासिंह जी ने भी कहा था कि जजों को सरकार के अनुकूल चलना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि जब जजगण सरकार के इशारे पर चलेंगे तो प्रजातन्त्र कहां रह सकता है ।

श्री भ वती सिंह विश रद (जिला उन्नाव)---

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । जो माननीय सदस्य यहां नहीं रहे, पार्लियामेंट चल जाए, क्या उनका नाम लेकर कहना यहां ठीक है ? और क्या उनको स्पष्टीकरण देने के लिए आप अवसर देंगे कि यहां आकर स्पष्ट करें ?

श्री उपाध्यक्ष---

जहां पर किसी पत्र, समाचार-पत्र क तथ्यों के निरूपण का सम्बन्ध हो, लिया जा सकता है ।

श्री दीपनारायण मणि---

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सन् १९३२ में आजादी की लड़ाई के समय इलाहाबाद में एक सभा हो रही थी । हिन्दू विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें एक महिला सदस्य सरला देसाई थीं, उसको बाजार में खड़ा कर दिया गया । नौजवान बड़ा भावुक होता है । 'Eve y youth is socialist after forty, he is not a socialist before forty because at earlier stage he is guided by heart.' दिल के प्राधान्य से विवेक खो जाता है । ये दो तथ्य समाजवाद के हैं, राइट आफ प्रापर्टी को निकाल दें और जजों को कमिट किया जाय, तो यह सारा समाज समाप्त हो जाता है । यह रूस की पद्धति को अपनाना चाहते हैं । डाक्टर कोठारी सारे भारतवर्ष के गण्यमान्य विद्वान हैं, जिनकी अध्यक्षता में एजूकेशन कमीशन बैठा था । उन्होंने एक किताब लिखी है साइंस ऐंड एजूकेशन में । मैं चाहता हूं अपने साथी से कि इस किताब को देखें । करीब एक करोड़ लड़के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं । उसमें लिखा है डाक्टर कोठारी ने कि जो ग्रैजुएट हो जाता है उसमें भारतीय छाप नहीं रह जाती है । जो हमने शिक्षा पद्धति बनायी है, जो नौजवान उससे निकले हैं वह पथभ्रष्ट हैं । यह हम सब का दोष है जो शासन में रहे हैं च हे दिल्ली में रहे हैं या यहां रहे हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जो रास्ता हमने दिखाया है वह केवल नकल होती रही है कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं हुआ है । मैंने केन्द्रीय सरकार का बजट देखा । ५० करोड़ रुपया बेरोजगारी दूर करने के लिए रखा है । क्या ५० करोड़ रुपये से बेरोजगारी दूर हो

[श्री दीपनाराण मणि]

सकती है ? बम्बई सेशन में पास किया कि चार अरब रुपया रखा जाय बेरोजगारी दूर करने के लिए । भत्ता देने से बेरोजगारी दूर हो सकती है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवाद की व्यवस्था तब बनेगी जब शिक्षा का आमूल परिवर्तन करवाएं, शिक्षा में जाब ओरएंटेशन हो जिससे निकलने के बाद युवक तत्काल काम में लग जायं । शिक्षा में आमूल परिवर्तन करें ।

दूसरी बात यह है कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने १९५२ से बड़े-बड़े उद्योग लगाये । १९५० में जर्मनी का एक विद्वान आया था डाक्टर शाक । जब उससे पूछा गया कि प्लानिंग कैसे चलाएं तो उसने कहा कि क्षेत्रीय योजनाओं को बना कर चलाएं । कर्जा लेकर योजना बनाएंगे तो देश कर्जे से दब जायगा, गरीब और गरीब होगा और अमीर और अमीर होगा । सारे शासन की इस प्रकार जो योजनाएं बनी सब गलत तरह से बनीं । बड़े-बड़े उद्योग जो चल रहे ह सब घाटे पर चल रहे हैं । आज समाजवाद का नारा लगा रहे हैं । मैं उनके बचपने से जानता हूं । दस बारह वर्ष की उम्र से उनको मैं जानता हूं । जिनकी पार्टी में राजा लोग हैं, नवाब लोग है, राजा करण सिंह और नवाब रामपुर हैं, वह क्या समाजवाद लायंगे ? समाजवाद की थोथी कल्पना ले कर समाजवाद नहीं लाया जा सकता । भारतीय क्रान्ति दल ने एक नारा दिया था कि छोटे उद्योगों की स्थापना कीजिये और बड़े उद्योगों को बन्द कीजिये । हाथ से बने हुए हाथ से कते हुए कपड़े को प्रोत्साहन दीजिए, छोटी-छोटी मशीनों से बने हुए कपड़े को तैयार कीजिए इससे ४० लाख लोग रोजगार में लग जायेंगे लेकिन आप करोड़ों रुपया मिलों से चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं ।

३५ हजार रुपया पार्लियामेंटरी चुनाव के लिये रखा गया है लेकिन मैंने दौरा किया और देखा एक-एक दो-दो लाख रुपये खर्च किये गये । ५०, ५० मोटरें दौड़ती पाई गयीं । इससे समाजवाद नहीं आने वाला है । समाजवाद में गरीब की हैसियत वही है जो बड़े दरबार में रहने वाले की होती है ? इन्दिरा जी के नारे से समाजवाद नहीं आने वाला है जिनकी शिक्षा बाहर हुई हो और जो तीन बार सीनियर कैम्ब्रिज में फेल हुई हों । चन्द्रभानु गुप्त, मोरारजी देसाई तथा चरण सिंह जैसे तपे हुए लोग बहुत खराब हैं जिन्होंने सारी जिन्दगी आजादी की लड़ाई में खपा दी । ब्रिटिश पार्लियामेंट जो प्रजातन्त्र की जननी है वहां भी औरतों को सन् ५० तक वोट देने का अधिकार नहीं था । आखिर इसका कुछ कारण तो रहा ही होगा । (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है । प्रजातंत्र के युग में औरत समाज के सम्मान में माननीय मंत्री ऐसी बात कहें यह कहां तक उचित है जब एक प्रजातन्त्र में सबको समान अधिकार होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता । उनको ऐसा कहना चाहिये या नहीं कहना चाहिये यह दूसरी बात है ।

श्री त्रिवेणी—

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि उनको प्रजातन्त्र के युग में ऐसा नही कहना चाहिये ।

श्री दीपनारायण मणि—

मेरा कहना है कि जहां औरतों को पता नहीं क्या हो रहा है, जहां भावुकतावश वोट दिया जाता हो इस वोट के अधिकार को वहां औरतों को देना दुरुपयोग ही है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है । पाकिस्तान के दो लड़के हिन्दुस्तान से हवाई जहाज भगा ले गये लेकिन केवल विरोध-पत्र लिखे जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा सका । हजारों किलोमीटर जमीन चीन व पाकिस्तान छीने हुए हैं लेकिन कुछ नहीं किया जा सका । सरदार पटेल होते तो ले कर दिखा देते । अब तो केवल समाजवाद का नाम लिया जा रहा है । होना तो यह चाहिये था कि

बड़े-बड़े पुराने बुजुर्ग नेता जैसे चन्द्रभानु गुप्त, चरण सिंह तथा मोरार जी देसाई हैं उनको आदर के साथ बुलाया जाता, उनसे शासन में सहयोग लिया जाता लेकिन उनकी बेकदरी की जा रही है।

हालत यह है कि युवा तुर्क शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जब कि होना चाहिये था युवा हिन्दुस्तानी। यह हालत आज हो रही है हिन्दुस्तान की। ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि स्त्री पुरुष दोनों पूरक है समाज में लेकिन दोनों के अलग अलग स्थान है। स्त्री का स्थान घर और गृहस्थी है। आज तक के किसी भी देश के इतिहास में किसी महिला ने किसी देश को नहीं बनाया है... (व्यवधान) आप बैठें, मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)--

मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं देश की बहनों की तरफ से कह रही हूं।

श्री दीपनारायण मणि--

स्त्रियां पूरक हो सकती हैं। स्त्रियों के दूसरे काम हैं, पुरुष के दूसरे काम हैं। सन् ३२ में बनारस यूनिवर्सिटी में पार्लियामेंटरी एसोसियेशन के लिये एक श्रीमती सरला देसाई चुन ली गई थीं तो मालूम हुआ कि १ साल के बाद ही युनिवर्सिटी यूनियन भंग हो गई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्त्रियों से यह काम नहीं हो सकता है।

बजट में प्रावीजन कर देने मात्र से काम नहीं चलता है। जब तक कि उसके लिये कोई योजना न बने, शिक्षा की पद्धति में सुधार न हो, मजदूरों को काम न दिया जाय, बेकारी दूर न की जाय। कह देने से ही और भावुक बने रहने से ही देश का कल्याण नहीं हो सकता है।

एक बात यह अर्ज कर दूं कि एक स्थान पर इस लोक सभा के चुनाव में बैलेट पेपर ड्यूली साइन्ड ब ई दि इलेक्शन आफीसर रास्ते में फालतू पड़े हुये मिल। एक जगह पर डेढ़ हजार वोट का फर्क है। तो इसके मतलब क्या हैं ? कैलकुलेशन में गल्ती है। अतः इसके लिये मैं चाहता हूं कि एक कमीशन बैठाया जाय जो इस चीज की छानबीन करे कि ऐसा क्यों हुआ ? चौधरी चरणसिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर इस तरह से कह दिया गया कि वे ५० हजार वोट से हार रहे हैं। मैं इस हाउस से मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाय एक कमीशन के द्वारा और वह यह भी देखे कि इस इलेक्शन में कितना रुपया किस-किस मद में किस प्रकार खर्च हुआ।

अभी इलेक्शन के थोड़े दिन पहले ही यह अफवाह आई कि उनको बैल दे दिया और लिस्ट भी छप गई। अखबारों में खबर आ गई कि उनको बैल दे दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक के माइन्ड में गलत ढंग से क्यों प्रचार हुआ। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की तब यह बात रोकी गई। इसी सम्बन्ध में राजस्थान का एक किस्सा यह भी है कि अखबारों में यह खबर आई कि वहां पर प्रधान मंत्री का हैलीकोप्टर देखने के लिये ४० हजार आदमी वहां गये किन्तु बाद में पता चला कि वहां पर एक आदमी भी हेलीकोप्टर देखने के लिये नहीं गया। क्या इसी तरह समाजवाद का नारा लगा कर देश में समाजवाद की रचना करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एक ही स्तर पर चौधरी चरण सिंह को उनके साथ खड़ा कर दें और दोनों आपस में बहस कर लें तब पता चल जायेगा। भावुकता के नाम पर देश नहीं चलेगा। खाली यह कह देना कि हम समाजवाद लायेंगे, काफी नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी और सबसे खास बात जो माननीय राज्यपाल के भाषण में कही गई वह यह है कि हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके हैं तथा पिछड़े भूभाग हैं उनकी उन्नति के लिये योजना बनाने के बारे में संकेत किया गया है....

श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

यदि आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं. . . .

श्री दीपनारायण मणि—

इस योजना का प्रारूप पूरक बजट में नहीं है। हमारे सीमित साधनों के अन्दर जो हमारी रीजनल प्लानिंग है वह महत्वपूर्ण चीज है। हमने सवा ६ एकड़ लगान माफी की घोषणा की। सरकारी कर्मचारियों के बारे में प्राविधान किया। अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रेसीडेंट थे श्री आयंगर, उनका एक चार-पांच दिन पहले आर्टिकिल निकला था. . . .

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य के विषय में जब कोई चर्चा करे तो उनको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है? और अगर है तो क्या जो मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है तो मुझे स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करेंगे?

श्री दीपनारायण मणि—

मैं प्रधानमंत्री के लिए कह रहा हूं, आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नाम लेने मात्र से स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। स्पष्टीकरण आपको चाहिये तो यदि वह बैठ जाते हैं तो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का सवाल हो तो दीगर मामला है। पर अभी ऐसा कुछ माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अपेक्षा हो।

श्री दीपनारायण मणि—

मैं केन्द्रीय सरकार की चर्चा कर रहा था। उत्तर प्रदेश के साधन सीमित हैं, केन्द्र के सीमित नहीं है। ऐसे साधन होते हुए भी उनका समाजवाद देखा जा रहा है कि कहां जा रहा है। संघीय शासन में अमेरिका की हमने नकल की है। केन्द्र की सरकार कुछ और होगी, प्रदेश की कुछ और होगी। अगर मुख्यमंत्री हार गये तो ६ महीने तक तो संविधान के अनुसार वह चल सकते हैं और चल रहे हैं, विधान के अन्तर्गत कार्य हो रहा है, वैसे तो अपने आप उनका काय-काल ६ महीन के बाद समाप्त हो जायगा। फिर वह स्वयं नहीं रहेंगे, पर आपको परेशानी क्यों हो रही है?

मैं यह कह रहा था कि—

"If wealth is lost, nothing is lost. if health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost."

इस चीज को हमें समझना चाहिए हमारे नौजवान, एम० एल० एज०, विधायकों को। जो ये सारे विधान किये जा रहे हैं, सारी योजनाएं बनायी जा रही हैं, ये चीज कहां जायंगी? क्या वह यह नौजवानों के हित में कह रहे हैं। आखिर देश का क्या बन रहा है? क्या इस प्रकार प्रजातंत्र शासन चल सकता है? जो दल बदल के आधार पर है। इस प्रकार से तो एक-छत्र शासन की नींव डाली जा रही है, एक आदमी की हुकूमत होगी। एक-छत्र राज में रह कर र म-राज्य की कल्पना हो, अगर इस तरह से प्रजातंत्र चले तो यह तो वे प्रजातंत्र का गड्ढा खोद रह ह। नारे लगाये जा रहे हैं, "इंदिरा गांधी आयी हैं नया जमाना लायी हैं।" वह नया जमाना क्या है? वह रूसी जमाना है, वह कलेक्टिव फार्मिंग है, प्रजातंत्र की हत्या है, एक-छत्र राज्य है। उसमें कुछ करने का राज्य नहीं है, वह भी एक किस्म का पूंजीपति वाला

नकशा है और तरीका है और उसकी शक्ल वह बना रहे हैं। और जो आजादी के लड़ाई लड़ने वाले रहे हैं, २० वर्षों तक जिन्होंने अपनी सारी जवानी देश के नाम पर बिछा दी वह हो गये "सिंडीकटी, पूंजीपति" और नौजवान लड़के जिनको जेल की हवा भी नहीं लगी वह कह रहे हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। वह आज उन सारे नेताओं की, जिन्होंने कुर्बानियां की हैं उनकी निन्दा कर रहे हैं। आज देश क्या बनने जा रहा है। (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लेकर समाप्त करूंगा।

मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि इनका चौगुटा बन गया है—जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सिंडीकेट और संसोपा—और उसकी बड़ी निन्दा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि चौगुटा यहां है तो वहां भी है। वहां पर हैं मुस्लिम लीग, डी० एम० के०, अकाली और साम्यवादी—ये चारों आपके साथ मिल कर केन्द्रीय चुनावों में एक साथ लड़ीं और कम्युनलिज्म के नाम पर चुनाव जीता और इस प्रकार समाजवाद का विरोध किया और अब वे समाजवाद लाने जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवाद की रूप-रेखा समझो। देश को कहां से ले जा रहे हो? यह देश तुम्हारा है।

यह देश इस तरह से केवल समाजवाद के नारे पर नहीं चल सकता और ५५ करोड़ लोग केवल समाजवाद के नारे पर नहीं जी सकते। देख लीजियेगा कि २ वर्ष के बाद क्या शक्ल बनती है समाजवाद की। बजट तो आ ही गया है पार्लियामेंट का, अब समाजवाद भी देख लिया जायगा। प्रजातंत्र के तरीके से हम तो हट जायंगे लेकिन मैसूर की मिसाल से सबक लेना चाहिए। मैसूर में सरकार ने इस्तीफा दे दिया अब वहां ऐसी शक्ल निकली कि मध्यावधि चुनाव करना लाजमी हो गया। तो क्या भरोसा है कि आप सरकार बनायेंगे और चुनाव नहीं होंगे? जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा उस दिन समझ में आ जायगा। इन शब्दों के साथ साथ राम सिंह जी ने जो महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में तीन बार आपके लिये यह कहा "आप हेलीकाप्टर में उड़ती थीं।" आपको इंगित करके कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने यह समझा होगा, मैंने नहीं समझा।

श्री धर्मदत्त (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य—श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर चर्चा होनी चाहिये थी, वैसी न होकर चुनावों के संबंध में ही अधिक चर्चा होती रही है। मुझे दुःख तो इस बात का है कि हमारे सीनियर साथी जो बहुत काफी समय से इस सदन में रहे हैं उन्होंने भी इसके तहत लोकसभा के चुनावों की चर्चा की। यह मुझे कुछ असंगत सा दिखायी दिया। उन्होंने प्रधान-मंत्री के ऊपर बहुत से आक्षेप किये, चुनाव में हुई अनियमितताओं के संबंध में भी बहुत से आक्षेप किये। समाजवाद किसी को थाती नहीं है। अगर वह किसी की थाती है तो वह समाजवाद नहीं हो सकता।

हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, वे चुनावों की चर्चा कर रहे थे। मैं समझता था कि उन बातों की चर्चा न की जाती तो अच्छा था जो स्वयं के ऊपर बीती है, जिनका उन्होंने स्वयं

[श्री धर्मदत्त]

अनुभव किया है। आज हमारी विजय के ऊपर लोगों को बड़ी शंकायें हैं। यह तो जनता का फैसला है। इसके पहले भी जब मध्यावधि चुनाव हुआ था तो वहां भी एक पार्टी को इसी प्रकार की सफलता मिली थी। यदि हम जनतंत्र और लोकतंत्र के ऊपर अविश्वास करने लगे, यदि हम चुनाव कमीशन के तरीकों पर अविश्वास करने लगे, तो लोकतंत्र की रक्षा न हो सकेगी। अगर हमें स्वस्थ परम्परायें डालना है तो हमें देश और प्रदेश में संचालित जनतंत्र के तरीकों पर विश्वास रखना ही होगा। इसके अलावा, प्रधान मंत्री जी के प्रति भी ऐसे अशोभनीय आरोप लगाये गये जो उचित नहीं थे। प्रथम तो वह इस सदन की मेम्बर नहीं हैं, वे यहां जवाब नहीं द सकतीं। दूसरे माननीय सदस्य भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको यह समझना चाहिये कि इस प्रकार की बातें किसी महान् व्यक्ति के बारे में नहीं करना चाहिये। उसके लिये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अपने तरीकों से जो उन्होंने कहा है, वह उन्हीं जैसे व्यक्ति को शोभा देता है।

बड़ी चर्चा दल बदल की हुई इधर से उधर जाने वालों के लिये बड़ी बातें कही गई हैं। हमें गौरव है कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसे लोगों को जो दूसरी पार्टी के चुनावों में उम्मीदवार थे टिकिट नहीं दिया। जब कि उस पक्ष की पार्टीयों ने अनेक उन्हीं व्यक्तियों को टिकट दिया जिनको हमारी पार्टीज ने टिकट नहीं दिया। जनतंत्र की रक्षा इस प्रकार से नहीं हो सकती जहां तक दल बदल का प्रश्न है इसके लिये भी लोगों को अपने स्वयं पर विचार करना चाहिये कि यह परम्परा किस प्रकार किन पार्टियों ने डाली है। हमारे नेताओं ने किसी भी व्यक्ति को दल बदल के लिये प्रोत्साहित नहीं किया। यदि कोई माननीय सदस्य हमारी नीतियों पर, हमारे सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं जिनकी घोषणा प्रधान मंत्री ने की है यदि उनको इन नीतियों पर विश्वास है तो उनके लिये हमारा दरवाजा खुला हुआ है। इस पर भी हमारे नेता का यह कहना है कि हम यह भी देखें कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको लिया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जायेगा। इसलिये ऐसी बात करना जो स्वयं पर आती हो, जिसकी परम्परा अपने द्वारा डाली गई हो, जो स्वयं उसके शिकार रहे हों, उनको कहना शोभा नहीं देता है।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि जो कुछ भी लोक सभा के चुनाव में हुआ है वह जनता का फैसला है। हमारे भाइयों ने कहा कि ६ महीने तक मुख्य मंत्री रह सकते हैं फिर बार-बार क्यों इसकी चर्चा की जाती है? वे भी काफी समय से इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं और मुझे भी बहुत दिनों से इस सदन के सदस्य रहने का अवसर मिला है। ६ महीने की बात अवश्य है। लेकिन ६ महीने के अन्दर किसी न किसी स्थान से चुनाव लड़कर इस सदन का सदस्य होना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति चुनाव के अखाड़े में उतरा और जनता ने उसको रिजक्ट कर दिया फिर मुख्य मंत्री या मंत्री के पद को संभाले रखना लोक तंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है, यह जनतंत्रीय की पद्धति नहीं हो सकती है।

हमें स्वस्थ परम्परायें अपनानी चाहिये। इस आदरणीय सदन की एक मर्यादा रही है। इस सदन की मर्यादा बाहर काफी रही है। इस देश में और दूसरे देशों में इस सदन की मान्यताओं का उल्लेख किया जाता रहा है, यहां के स्पीकर ऐसे रहे हैं जिन्होंने यह कहा कि यदि एक भी अपोजीशन का व्यक्ति अविश्वास प्रकट करे तो मैं इस पद से हट जाऊंगा इसी प्रकार के हमारे मुख्य मंत्री और मंत्री रहे हैं। हमें स्वस्थ परम्परायें डालनी चाहिये जिससे इस प्रदेश की जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या इस प्रदेश के सदन का एक, आदर्श उपस्थित हो सके और इसकी मान्यताओं का सब जगह आदर हो और इसका अनुकरण हमारे दूसरे प्रदेश करें। मुख्य मंत्री के ६ महीने तक अब बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। परम्परा यह थी कि जब चुनाव में जनता ने अपना फैसला दे दिया और कह दिया कि आप इसके योग्य नहीं हैं तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये था। हमारे बहुत से भाई जो इस घटक में शरीक हैं, जिन्होंने मुख्य मंत्री जी की वकालत की है, उन्हें भी यहां बैठे रहने का अधिकार नहीं है।

आपने अपने दल के लोगों को चुनाव में खड़ा किया और जनता ने अपना निर्णय आपके प्रतिकूल लिया उसको आपको स्वीकार करना चाहिये। आपके दलों को जनता ने ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ऐसी दशा में आपका इन स्थानों पर बने रहना ठीक नहीं है। यह अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता और लोकतंत्र की पद्धति के लिये यह उचित भी नहीं होगा।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लोक सभा के चुनावों में कोई सिद्धान्त का नारा न देकर के केवल "इन्दिरा हटाओ" का नारा लगाया और उसके नतीजे को आपने देख लिया है। कृपा करके अब इन बातों को भूल जायें तो अच्छा हो। मुझे यह विश्वास है कि यदि सारी पार्टियां मिल कर "इन्दिरा हटाओ" का नारा न लगातीं तो संभवतः हमारे इस दल को इतनी सफलता न मिलती।

अब मैं आपका ध्यान राज्यपाल के सम्बोधन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में बहुत सी बातों का जिक्र नहीं किया। मैं आपका ध्यान एसी बातों की ओर आकर्षित करूंगा जिनका जनसाधारण के दैनिक जीवन से सम्बन्ध है। पिछले दिनों जब यहां संविद की सरकार रही उसके बाद से इस बात के नारे लगाये गये कि हम जनहित के लिये बहुत से कार्य करेंगे। और प्रयास भी किया गया होगा। किन्तु मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस प्रदेश की वह जनता जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं उसकी स्थिति निरन्तर गिरती गयी है और आज भी वह जिस तरीके से अपना जीवनयापन कर रहा है वह बड़े दुःख की बात है।

हमने अनेकों ऐसे संस्थान (सोसाइटी) खोले जिनसे उनको कर्ज मिल सकता है किन्तु यदि आप गम्भीरता के साथ देखें तो आपके इस सचिवालय में जो सोसाइटी बनी है जिसके द्वारा सचिवालय के निम्नवर्ग के कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है यदि आप उसके आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इस सचिवालय के छोटे कर्मचारी कर्जे के बोझ से दबे हुये हैं और करीब ३० लाख का कर्जा उनके ऊपर है और आज वह बाहरी लोगों से कर्ज लेते हैं। जब वेतन मिलने का दिन आता है तो उनका वेतन कर्जे में निकल जाता है और फिर उन्हें अपने एक मास तक जीवन यापन के लिये कर्जा लेना पड़ता है। इस प्रकार से उनकी दयनीय स्थिति बराबर गिरती चली जाती है। राज्यपाल महोदय ने उनकी तकलीफों का अपने सम्बोधन में कोई जिक्र नहीं दिया जिसकी नितान्त आवश्यकता थी। मैं आपके माध्यम से शासन से यह निवेदन करूंगा कि वह कृपा करके कोई ऐसी स्कीम बनायें जिससे कि सचिवालय के उन व्यक्तियों जिनके ऊपर लाखों रुपये का कर्जा है और जो २४ से ३० परसेंट तक सूद कर्जा देने वालों को देते हैं वह छुटकारा पा सकें।

साथ ही हमारे एक भाई ने इन्दिरा जी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने लड़के को मोटर बनाने का परमिट दिया। श्रीमन्, वह शिक्षित व्यक्ति थे। उन्हें यह जानना चाहिये था कि इस प्रकार के लाइसेंस देने का काम एक कमेटी के सिपुर्द होता है और वह कमेटी बहुत-सी बातों की छानबीन करने के बाद कोई निर्णय लेती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपके माध्यम से वैद्य जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कमेटी जो इस तरह के लाइसेंस देती है उसकी अध्यक्षा कौन हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो लाइसेंस उनको दिया गया उसमें दो बातें विशेष थीं। एक तो मोटर बनाने के जो आंकड़े उनसे उपलब्ध हुये वह और लोगों के मुकाबले में सबसे कम थे।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

शराब पीकर कार चलाने पर ४५ पौंड जिस पर जुर्माना हुआ था उसी लड़के को लाइसेंस दिया।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जिस तरह से मैं औरों की बात को शान्तिपूर्वक सुनता हूं उसी तरह से मेरी बात को वह शान्तिपूर्वक सुनें तभी उचित होगा। उनको जानकारी है लेकिन केवल मुझको डिसटर्ब करने का उनका अभिप्राय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब से बड़ा था। दूसरा कारण यह था कि उन को लाइसेन्स देने से केन्द्रीय सरकार ने ऊपर विदेशी मुद्रा का भार भी बहुत कम नहीं पड़ता था। हर एक बात को स्पष्ट यहां पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों के लिये यह समझने की बात है। इस प्रकार की बातें यदि इस सदन में न उठाई जांय तो ज्यादा अच्छा होगा।

राज्यपाल के सम्बोधन में घोषणा की गई है। वह यह है कि यहां के आयुर्वेदिक कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायगा। श्रीमन्, इस बात का बड़ा शोर था और जो माननीय साथी उधर बैठे हैं जो इस बात का आन्दोलन करते थे कि यथाशीघ्र इन आयुर्वेदिक कालेज को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। इसके लिये एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने अपना निर्णय एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। श्रीमन्, मुझे इस बात के कहने में दुख है कि उस कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया और शासन ने दूसरा निर्णय किया। कमेटी की सिफारिश थी कि आयुर्वेदिक और यूनानी विद्यालयों को एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय इससे लाभ यह होगा कि इनमें भेदभाव नहीं होगा। यदि इन कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बन्ध किया जायगा तो छात्रों को सुविधा में भिन्नता होगी। जो कमेटी की संस्तुति थी इसके विरुद्ध दूसरा निर्णय लिया गया। पता नहीं वह निर्णय कार्यान्वित कब तक हो सकेगा और उसमें सफलता मिल पायेगी या नहीं।

बड़े सुधारों की बात की जाती है। लेकिन हमारे प्रदेश में जो आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल हैं उनकी ऐसी दशा है कि उन में जानवर भी नहीं बांध सकते हैं। उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वास्तव में चिकित्सा की वहां पर सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। यदि यह सरकार इस पद्धति से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा चाहती है और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना चाहती है तो इन के लिये उचित स्थान का प्रबन्ध किया जाय। उनके अन्दर चिकित्सा की सुविधा तथा रोगियों के बैठे रहने की क्या प्रबन्ध किया जाय। खाली किताबों में आंकड़े देने से यह काम पूरा नहीं हो सकता है। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात का जिक्र नहीं किया इसका मुझे खेद है।

पंचवर्षीय योजना के बारे में हमारे मित्रों ने केन्द्र पर बहुत से आक्षेप किये। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब जब प्रयास किया गया कि इस प्रदेश के लिये कुछ अधिक धन योजना आयोग द्वारा प्राप्त हो और कुछ कर लगा कर केन्द्र से रुपया पाने का प्रयास किया जाय। मुझे क्षमा किया जायगा और हमारे साथी जो उधर बैठे हुए हैं उन्होंने उस समय बड़े आन्दोलन चलाने की धमकी दी और इस बात का प्रयास किया कि इस प्रदेश की चाहे कितनी भी प्रगति क्यों न होती हो यहां पर कोई कर न लगाया जाय। इसलिये योजना आयोग से मिलने वाली धनराशि बराबर घटती चली गई। हम अपनी विकास की योजनाओं को इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सके जिस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहिये था। दूसरी बात हमारी अकर्मण्यता की यह रही कि जो धनराशि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी उस धनराशि को हमने समय से व्यय भी नहीं किया। धन की मांग का औचित्य नहीं रह जाता दोषारोपण केन्द्रीय सरकार पर करें, यह तो केवल एक भ्रमात्मक प्रचार मात्र है।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

यह बात सही नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अगर सही नहीं है तो आप इसको साफ कर दें। जो कुछ मेरी जानकारी में था वह मैंने निवेदन किया। यदि वास्तव में हम लोकतंत्र की रक्षा का दावा करते हैं और उस प्रणाली को यदि अपने देश में अपनाना चाहते हैं तो हमें उस पर चलना होगा। हम नारे तो लोकतन्त्र के और उस की रक्षा के गीत गायें और कार्य लोकतंत्र को दफनाने के करें तो आज के युग की जनता अब ऐसी नहीं रह गई है कि वह भुलावे में आकर अपने मार्ग से हट जाय। इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस जनता के फैसले को आप को स्वीकार करना चाहिये और सब से बड़ी अदालत जो देश की जनता की है उसका जो निर्णय है, अगर आपको प्रजातंत्र में विश्वास है अगर आप वाकई लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और जैसे कि आप ने अपने चुनाव प्रचार के नारों में कहा भी था और यदि आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और उसको दफनाना नहीं चाहते तो जनता के इस बड़े फैसले को हर्ष से स्वीकार कीजिये और मौका दीजिये उस दल को जो इस प्रदेश में और देश में जनहित के कुछ कार्य करने के लिये कटिबद्ध हैं।

समाजवाद की व्याख्या तो बड़ी विस्तृत है और हमारे माननीय सदस्यों ने जिस तरह से समाजवाद की बातों को यहां कहा है मैं अधिक समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि यहां अब समाजवाद केवल नारों से या आलोचना करने से नहीं आ सकता, वह इस बात से भी नहीं आ सकता कि प्रधान मन्त्री की असंगत आलोचना की जाय। वह आयेगा तभी जब हम स्वयं उस तरफ अग्रसर होंगे, वह कानून के जरिये से भी नहीं लादा जा सकता, उसके लिये प्रजातंत्र में हमें एक विश्वास पैदा करना होगा, हमारी अटूट आस्था और दिल से सोचने का ढंग ही समाजवाद की ओर होना चाहिये तभी हम समाजवाद की स्थापना में सफल हो सकते हैं।

बड़ा नारा लगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और ऋण १२ हजार रुपया की आय वालों को धन दे देने का आदेश दिया गया। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई? मेरी जानकारी है कि वह व्यक्ति कि जिस के पास दस पैसे भी नहीं थे, १००–२००, रुपए ५०० का ऋण मिलता है। मैंने स्वयं देखा है कि एक महिला जो बर्तन मलती थी उसको २०० रुपए का कर्ज मिला और पापड़ बनाने का काम जारी कराया गया और उससे वह ५–१० रुपया रोज कमाती है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अगर वाकई में उनकी समाजवाद में आस्था है और यदि वह लोकतंत्र का प्रसार करना चाहते हैं और देश और प्रदेशमें प्रजातंत्र की प्रणाली को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें जनता के इस बड़े फैसले को स्वीकार करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिये जिससे यहां लोकतंत्र पनपे, फूले और फले और हम समाजवाद के उद्देश्य में सफल हों। इन शब्दों के साथ में श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा संशोधित राज्यपाल के सम्बोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसके उपरान्त श्री नित्यानन्द स्वामी बोलेंगे।

नियम ५१ तथा कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं यह सूचना दे रहा हूं। नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आया था श्री शिव-कुमार पांडेय का सुलतानपुर के विषय में वह अस्वीकार किया गया क्योंकि जो भाषण आज कल गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर चल रहे हैं उनमें वह अपनी बात कह सकते हैं। इसलिये उसके लिये समय देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

दूसरे एक कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री कल्यान सिंह जी का आया है अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे के बारे में, इसे भी अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार किया है, क्योंकि अभिभाषण पर जो चर्चा धन्यवाद की चल रही है उस के दौरान वह इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं और जो २ और मामले हैं वे समय बीतने के बाद यानी डेढ़ बजे के बाद आये हैं सलिये वे अस्वीकार कर दिये गये हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे इन अंतिम १५ मिनट में ही क्यों नहीं बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं, इस बात का बड़ा आक्षेप करते हैं कि मैं बार-बार इंदिरा जी का नाम लेता हूं। ये लोग उन को दुर्गा की मूर्ति और देश की प्रतिमा समझते हैं और इतने बड़े का अगर मैं दिन में २-४ बार नाम ले लेता हूं तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

एक बार महात्मा क्राइस्ट ने देखा कि कुछ लोग एक महिला के ऊपर पत्थर, उसे मार डालने के लिए मार रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह महिला बहुत बदचलन है, दुष्चरित्र है, इसको तो मर ही जाना चाहिए तो प्रभु क्राइस्ट ने कहा ठीक है, इस महिला को मर ही जाना चाहिए लेकिन वही व्यक्ति पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में दुष्चरित्रता नहीं की है। इस पर सबके हाथ रुक गये।

पिछले कुछ दिनों से यहां पर बड़ी नैतिकता की दुहाई दी जा रही है, और प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है और नैतिक सिद्धान्तों की दुहाई दी जा रही है। मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि क्या नैतिकता इसके अन्दर है कि अपनी पार्टी के व्यक्ति को नौमिनेट किया और फिर उसी व्यक्ति श्री रेड्डी के ही विरुद्ध मतदान किया। आज आप यह कह रहे हैं कि दल बदल बदल को बुरा मत मानिये। मेरा कहना है कि अगर विचारों के आधार पर हो, तो हो सकता है, चर्चिल ने भी किया है और बड़े बड़े आदमियों ने भी किया और कर सकते हैं।

मैं यह भी मानता हूं कि हजारों में से एक दो ही विचारों की स्वतंत्रता के लिए दल बदल सकते हैं। जिन सिद्धान्तों के ऊपर जनता ने मुझको चुनकर भेजा है अगर मैं उस दल को बदलता हूं तो जनता को धोखा देता हूं और दल बदलने के लिए मुझे अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। क्या यह नैतिक है कि कपूर होटल जो कि लखनऊ में एक आलिशान होटल है, उसके अन्दर समाजवाद चल रहा है। यही नहीं श्री मोहन जो शराब बनाने वाले हैं, और जिनकी कम्पनी गाजियाबाद में है, उनकी कार के अन्दर एम० एल० ए० बुलाये जा रहे हैं। क्या ये इन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के कंधों के ऊपर समाजवाद को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे भाई यह सोच रहे हैं कि यह उन की अंतिम लड़ाई है, हमने जीत ली है लेकिन "वी हैव लास्ट दी बेटल बट वी बिल विन दि वार"। और हम आखिर में जीतेंगे। और आप अगर यह कहना चाहते हैं कि आप की जीत हो गई तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस भुलावे को भूल जाइये।

इन्दिरा गांधी के नाम के ऊपर देश के अन्दर इतने ऊंचे ऊंचे मन्सूबे को बांधा गया है कि एक-एक हरिजन को कहा गया है कि उस को जमीन दी जायेगी। एक-एक आदमी को कहा गया है कि उस को मकान मिल जायेगा। हर एक व्यक्ति का आर्थिक विकास हो जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं और यहां सच्चे दिल से कहना चाहता हूं कि अगर देश के अन्दर गरीबी दूर हो जाय तो मैं एक बार नहीं हजार बार हारना पसन्द करूंगा, लेकिन गरीबी दूर नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप को मालूम होगा, मनीराम की हार के बाद यह कहा गया.....

(व्यवधान)

यह पक्ष तानाशाही की ओर जा रहा है। दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप शीश के महल में बैठकर पत्थर मारने की कोशिश करेंगे तो आपके लिये वह लाभदायक नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं। मैं पराजय को पराजय स्वीकार करना चाहता हूं लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये मंसूबे ले कर आये हैं तो अपने गिरेबान के अन्दर मुंह डाल कर देखो कि आप कितने-कितने एकड़ जमीन पर बैठे हुए हो, कितनी

कितनी कोठियां आप ने खड़ी कीं। कितने-कितने लाइसेंस और परमिट लेकर आप बैठे हो। मैं यह कहता हूं कि गरीबों का उद्धार होना चाहिये। आप अपनी योजनाओं को जनता के सामने लाइये। अभी आप लोक सभा का पूरा बजट नहीं लाये। चार महीनों में अनुदान लेकर छुट्टी कर दी। यह कहा गया कि इन चार महीनों के बजट के अन्दर हमने कोई कर नहीं लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह २ अरब ४० करोड़ रुपये का जो घाटा है वह कहां से पूरा होगा। इसको आप समझाने की कोशिश कीजिये।

आपने कहा कि हम देश के अन्दर गरीबी मिटाना चाहते हैं। हम आप के सहायक होंगे। कोई यह न समझे कि हमारी और आप की दुश्मनी है। मैं यह कहता हूं कि जिस दिन इस सरकार का बहुमत समाप्त हो जायेगा इस सरकार को इस स्थान से उठकर वहां बैठ जाना चाहिये। हम और आप फिर भी भाई भाई की तरह से काम करेंगे लेकिन आप ने यह जो मुलम्मा खड़ा कर दिया है कि.....

(व्यवधान)

ऐसी चीज एक बार सुकार्नो की भी हुई थी तथा लोगों की भी हुई है। लेकिन इस बात को मत भूलो कि अगर घमण्ड के अन्दर आ गये तो जनता एक बार आसमान पर ले जाकर जमीन पर भी पटक सकती है। इस बात को मत भूलो।

मैं निवेदन करना चाहता था कि नारायणदत्त तिवारी जी ने नैतिकता की दोहाई दी और लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेकर कहा कि एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आप को लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेने का अधिकार किसने दिया है। उस लाल बहादुर शास्त्री को जिसको रूस के अन्दर आप के मित्र कोसीगिन के समय हत्या की गई और जिसकी हत्या की जांच की मांग उनकी पत्नी ने की और आप उसको दबा कर बैठ गये। मैं कह रहा था कि इन लोगों को लालबहादुर शास्त्री पसन्द नहीं हैं। उनकी बात नहीं सुनना चाहते। उनसे क्यों चिढ़ते हैं। वह इस देश में वह वीर था जिसने १८ महीने के अन्दर वह काम कर दिया जो दूसरे १८ साल के अन्दर नहीं कर पाये थे। आप उसके नाम पर क्यों चिढ़ते हो। ये हर अच्छी चीज से चिढ़ते हैं। आज ये महात्मा गांधी को भूल गये हैं सिर्फ इन्दिरा गांधी को इन्होंने याद रक्खा है।

(व्यवधान)

अगर आप को इन्दिरा गांधी का नाम लेने पर आपत्ति है तो मैं वापस लेता हूं और श्रीमती फीरोज गांधी कहे देता हूं। मैं इन्दिरा जी का मखौल नहीं उड़ाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं और आप बतलाएं कि अपने देश के अन्दर आप की हकूमत कितने दिनों से थी। आप ने इस देश और प्रदेश को क्या दिया? इस संविद ने सवा छः एकड़ के लगान की माफी की और केवल ३ सही एक बटे आठ एकड़ की लगान माफी ही कर पाए। श्रीमन्, इनका कहना यह है कि जब तक हम यहां बैठे रहे तब तक हम कुछ नहीं कर पाए। आप इस बात को स्वीकार तो कर लीजिए कि आप निकम्मे थे। अगर इसको आप स्वीकार करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल एक व्यक्ति का नाम लेकर क्रान्ति और परिवर्तन नहीं होता। क्रान्ति और परिवर्तन उस सेना के द्वारा होता है जो किसी नेता के पीछे खड़ी रहती है।

श्रीमन्, आप को याद होगा प्रोफेशन टैक्स समाप्त करने की मांग हमेशा होती थी। इस पक्ष के लोग उधर बैठे थे। साधारण लोगों पर टैक्स लगा। यह लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अपना-अपना राग अलापते रहे। अपनी कुर्सियों पर अड़े रहे। संविद शासन ने उस टैक्स को माफ किया। अभी कर्मचारियों को राहत देने की बात की संविद ने १५ करोड़ रुपया रखा है, अन्तरिम सहायता की बात की है, पे कमीशन बनाया है। मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं, शायद कहीं पीछे बैठे हैं। इस सरकार ने जो आयोग बैठाया था

[श्री निरंजानंद स्वामी]

आपने कुर्सी पर बैठते ही उस को समाप्त कर दिया। यह क्या भलाई की आपने ? अध्यापकों के डी० ए० की वृद्धि इस संविद शासन ने की गैरशिक्षक कर्मचारियों के डी० ए० में वृद्धि की, माध्यमिक शिक्षकों को बैंक से वेतन देने की बात इस संविद शासन ने की। और आप राग अलापते रहे समाजवाद का। नारों से पेट नहीं भरता। मेरे पूर्व वक्ता ने अभी कहा कि नारों से पेट नहीं भरता। मैं भी यही कहता हूं आप नारे लगाना छोड़ दीजिए, काम करना शुरू कीजिये, तभी देश का भला होगा। पिछली संविद शासन में जो हालत हुई जबकि आपकी संविद थी चौधरी साहब के साथ, उस को हमने सुधारा है।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इनको यह तकलीफ है कि चौधरी साहब के साथ यह बैठे और चाहते थे कि उनका हजम कर जायं लेकिन वह लोहे के चने निकले और उन्हें हजम न कर पाए।

(व्यवधान)

हां, हमने हजम कर लिया।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। एक माननीय सदस्य प्यारेलाल जी, जो मेरे बड़े मित्र हैं, ने कहा कि हम बनुवाओं की गोद में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पांच रजवाड़ों को किसने टिकट दिया ? सबसे ज्यादा टिकट रजवाड़ों को इनकी कांग्रेस ने दिए। यह पूंजीपतियों की गोद में है।

(व्यवधान)

गाजियाबाद के पूंजीपति की बात भी आवश्यकता हुई तो कहूंगा। श्रीमन्, ७०० लायसेन्स लोकसभा भंग होने के बाद इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिये गये और ४०० करोड़ रुपये का लाभ इन्हें देकर लाखों रुपये चुनाव के लिए इकट्ठा किया गया। और कहते हैं कि चुनाव जीत गए। सारे प्रदेश के अन्दर रुपया बहा दिया गया और आज कहते हैं कि हम पूंजीपतियों के साथ नहीं हैं।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि हम अमरीका और इजरायल के हिमायती हैं। मैंने चुनौती दी श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी को। मैंने कहा कि आप कहते हैं कि हम विदेश से सहायता लेते हैं। सरकारी विदेशी सहायता का जिक्र मैं नहीं करता। वह तो कोई भी सरकार लेती। केन्द्र में आप की ही सरकार है, हमारी नहीं है, वह भी दोष होगा तो आप को ही होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनौती को स्वीकार कर लो। कोई भी आप में से इस बात को स्वीकार कर ले कि यदि किसी प्रकार की भी कोई विदेशी सहायता किसी पार्टी ने ली है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता को इस्तीफा देना चाहिये वर्ना जो आरोप लगाते है उनको इस्तीफा देना चाहिये। आरोप लगाना आसान है....

(व्यवधान)

मैं यही कह रहा था कि हम लोग इस देश के निवासी हैं और हमको इसी देश के नागरिकों से रुपया लेकर चुनाव लड़ना चाहिये। यह हमको साधारण जनता देगी न कि.....

(व्यवधान)

आज सारे देश में बच्चा बच्चा जानता है कि रूस का रेडियो हिन्दुस्तान की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्वाचन अभियान में रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसेगिन सीधी-सीधी दिलचस्पी लेते रहे हैं। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है ? यदि इन्कार भी करेंगे तो देश की ५० करोड़ जनता तो इस बात को नहीं मानेगी।

(व्यवधान)

हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि संजीव गांधी को यदि कार का लाइसेन्स दे दिया तो क्या हुआ ? यह तो मेरिट के आधार पर दिया गया है और इसमें इन्दिरा गांधी का हाथ नहीं है। महात्मा गांधी के चेलों उनके चरणों में बैठकर सुन लो कि जब लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र को बर्मा शेल ने प्रोमोशन देने की बात कही तो शास्त्री जी ने पत्र लिख कर भेजा कि वह ऐसा न करें। एक तरफ तो यह नमूना है और दूसरी तरफ यह कि केवल ५० करोड़ जनता में हमारा ही लड़का

योग्य है कार का लाइसेन्स पाने के लिये। कल मंगल पाण्डे जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि सदस्य विधान सभा अथवा मंत्री के लड़के को उसके कार्यकाल में नौकरी नहीं मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बात गलत नहीं है। यह बात कहां पर सत्य निकलती है? अब आप समाजवाद की बात करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

२ या ढाई महीने तक लगातार आपने इसी बात का प्रचार जनता में किया था, भाषण दिये थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जितने लोग यहां बैठे हैं उनको यह पता है कि वे ही लोग अपने लड़कों को दून स्कूल में भेज सकते हैं जो अपने एक बच्चे पर कम से कम १० हजार रुपया खर्च कर सकता हो। केवल इन्दिरा गांधी, जो समाजवादी हैं और जिनके बच्चे दून स्कूल के अन्दर पढ़े हैं। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूं परन्तु देश के अन्दर समाजवाद लाने के लिये कुछ नमूने कायम करने होंगे। पुरुषोत्तमदास टंडन, महात्मा गांधी और सरदार पटेल का नमूना स्थापित करना होगा। उस नमूने को इन्दिरा गांधी नहीं दे सकती है, आप इसको स्वीकार कर लें। मान्यवर, मने एक-एक सदस्य के भाषण को १, १ घंटे बहुत धैर्य से सुना है। न मालूम उन्होंने क्या-क्या कहा है इस कारण मुझको भी थोड़ी सी बात कह लेने दें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

अभी तो इब्तिदाये इश्क है रोता है क्या,
आगे आगे देखिये होता है क्या?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य देहरादून से अपेक्षा करता था कि पराजय के बाद वे क्रोध नहीं करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को बतला दूं कि इसमें क्रोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस दिन आप उधर जाकर बैठेंगे उस दिन मैं आपके गले में माला भी पहना दूंगा लेकिन गरीबी मिटाने की सारी जिम्मेदारी जो उन्होंने ले रखी है तो आज सारे देश की जनता उनसे कहती है कि गरीबी मिटाओ, कल रिक्शा वाले भी कहेंगे कि गरीबी हटाओ, कुंजड़े भी कहेंगे कि गरीबी हटाओ, तो यह गरीबी हटाने का नारा आपके लिये किसी दिन भस्मासुर साबित होगा जो आपके सर पर ही सवार हो जायेगा।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

क्या माननीय सदस्य जनता को भस्मासुर बना रहे हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय द्विवेदी जी अभी नये आये हैं, उनको शायद भस्मासुर की कहानी नहीं मालूम है। मैं बाद में उनको बतला दूंगा। जनता को मैं भस्मासुर नहीं कह रहा हूं। लेकिन गरीबी हटाने का जो नारा आपने लगाया है यह नारा एक दिन आपके सर पर ही भस्मासुर की तरह बन कर खड़ा हो जायेगा, क्योंकि जनता से आपने गरीबी को हटाने का वादा किया है और अगर आपने अपने उस वादे को नहीं पूरा किया तो लोग आपको घरों के अन्दर बैठने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण दूसरे दिन भी जारी रखें। अब हम कल ११ बजे फिर बैठगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२५ मार्च, १९७१।

अवर पूर्वा विधान सभा

नत्थि 'क'

(देखिये ता० प्र० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर)

अगस्त, १९७० की हड़ताल में निकाले गये तथा सेवा में पुनः वापस लिये गये कर्मचारियों की तालिका

क्रम-संख्या	स्थान इकाई का नाम जहां हड़ताल हुई है	सेवाओं से निष्कासित किये गये कर्मचारियों की संख्या	पुनः वापस लिये गये कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जो वापस नहीं लिये गये
१.	हरदुआगंज ताप एवं जल विद्युत परियोजनायें ..	८८	५७	३१
२.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल फैजाबाद	६५	४१	२४
३.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल अलीगढ़	३	..	३
४.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल वाराणसी	८४	८१	३
५.	विद्युत प्रेषण निर्माण मंडल वाराणसी ..	२	२	..
६.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल मेरठ	१०८	९०	१८
७.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल गोरखपुर	२०५	१४६	५९
८.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल रुड़की	६३	२३	४०
९.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल लखनऊ	९२	८१	११
१०.	विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल मुरादाबाद	११	७	४
११.	राम गंगा रामपुर ..	५८	४२	१६
१२.	लखनऊ–इलाहाबाद इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग, लखनऊ	३७६	२५४	१२२
१३.	पनकी वाष्प्य विद्युत गृह	२	२	..
	कुल योग ..	१,१५७	८२६	३३१

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

जुलाई, १९६१ के पूर्व नियुक्त किये गये उन ४२ टंककों की सूची जो अभी तक अस्थायी हैं

१—श्रीमती कमल रामचन्दानी
२—श्री वली मोहम्मद
३—श्री देवी प्रसाद गुप्ता
४—श्री राम सरन सिंह यादव
५—श्री श्रीराम द्विवेदी
६—श्री कृपाशंकर अवस्थी
७—श्री मंशा राम चौधरी
८—श्री अब्दुल कादिर
९—श्री राधेश्याम अवस्थी
१०—श्री अमल कुमार मित्रा
११—श्री अजीज अली फारुकी
१२—श्री मनोहर दयाल
१३—श्रीमती असमत लईक
१४—श्री छत्रपाल सिंह
१५—श्री टी० एम० के० सिद्दीकी
१६—श्री कृष्णकान्त तिवारी
१७—श्री अफसर हुसैन
१८—श्री एल० डी० बाजपेई
१९—श्री तपन बोस
२०—श्री एस० पी० सक्सेना
२१—श्री हयात सिंह धामी
२२—श्री गोकरन नाथ मिश्र
२३—श्री बी० एन० नायक
२४—श्री रामलाल कपूर
२५—श्री जे० पी० अग्रवाल
२६—श्री सलीम हसन ख्वाजा
२७—श्री सुन्दर लाल वर्मा
२८—श्री पी० के० सान्याल
२९—श्री शेखर चन्द्र पाण्डे
३०—श्री नवीन चन्द्र
३१—श्री अमरेश्वरी दयाल
३२—श्री ओ० पी० नागपाल
३३—श्री एस० ए० फारूकी
३४—श्री शमी उल्ला
३५—श्री सैयद तकी अली
३६—श्री एस० एन० अग्रवाल
३७—श्री एस० एन० मेहरोत्रा
३८—श्री एन० बी० जोशी
३९—श्री त्रिवेणी सिंह पाल
४०—श्री सैयद मो० वसी जैदी
४१—श्री सिया राम वर्मा
४२—श्री मनोहर लाल शाह।

पी० एस० यू० पी० ए०पी० —१८ एल० ए०—१९७१—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा